ज़कात, सदक़ए फ़ित्र और उ़श्र के फ़ज़ाइल व मसाइल पर मुश्तमिल गुलदस्ता

Faizane Zakat (Hindi)

फ़ैज़ाने ज़कात

- ज़कात देने के फ़ज़ाइल 05
- ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ? 20
- सोना चांदी की ज़कात 27
- माले तिजारत की ज़कात 39
- करन्सी नोट की ज़कात 46
- जानवरों की ज़कात 104
- ज़कात किस को दें ? 57
- सदक़ए फ़ित्र 111

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले । (مُسْتَطْرَف ج ١ ص ٤٠ دار الفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह किताब "**फ़ैज़ाने ज़कात**"

मजलिसे **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है । ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है ।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लत़ी पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, Email या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबित़ा : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात ।

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

ज़कात, सदक़ए फ़ित्र और उ़श्र के फ़ज़ाइल व मसाइल
पर मुश्तमिल गुलदस्ता

फ़ैज़ाने ज़कात

पेशकश :
मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (शो'बए इस्लाही़ कुतुब)

नाशिर
मक्तबतुल मदीना

الصلوۃ والسلام علیک یارسول اللہ وعلیٰ الک واصحابک یاحبیب اللہ

नाम किताब : फ़ैज़ाने ज़कात

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या

(शो'बए इस्लाही कुतुब)

सिने तबाअत : फ़रवरी 2023 सि.ई. / शा'बान 1444 सि.हि.

नाशिर : मक्तबतुल मदीना

मक्तबतुल मदीना की शाखें

मुम्बई : 19,20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मस्जिद ग़रीब नवाज़ के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नाग पूर – फ़ोन : 09373110621

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, अजमेर

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्ष, A.J. मुढोल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक फ़ोन : 08363244860

तम्बीह : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं है ।

इज्माली फ़ेहरिस्त

नम्बर शुमार	उ़न्वान	सफ़्ह़ा
1	अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या का तआ़रुफ़	A5
2	ज़कात के मसाइल सीख लीजिये	A7
3	इस्लाम का बुन्यादी रुक्न	1
4	ज़कात फ़र्ज़ है	2
5	ज़कात देने के फ़ज़ाइल	5
6	ज़कात न देने की वई़दें	13
7	ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?	20
8	सोना चांदी की ज़कात और उस की अदाएगी का त़रीक़ा	27
9	माले तिजारत की ज़कात और उस की अदाएगी का त़रीक़ा	39
10	करन्सी नोट की ज़कात और उस की अदाएगी का त़रीक़ा	46
11	क़र्ज़ और ज़कात और उस की अदाएगी का त़रीक़ा	51
12	मसारिफ़े ज़कात	57
13	ज़कात की अदाएगी दुरुस्त होने की शराइत़	74
14	जानवरों की ज़कात और उस की अदाएगी का त़रीक़ा	104
15	सदक़ए फ़ित़्र	111
16	उ़श्र के अह़काम	123

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

''ज़कात के फ़ज़ाइल'' के 11 हुरूफ़ की निस्बत से इस किताब को पढ़ने की ''11 निय्यतें''

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **:** نِیَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ o मुसल्मान की निय्यत उस के अ़मल से बेहतर है।

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٥٩٤٢، ج٦، ص١٨٥)

दो मदनी फूल : ﴾1﴿ बिग़ैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ़मले ख़ैर का सवाब नहीं मिलता।

﴾2﴿ जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा।

﴾1﴿ हर बार ह़म्द व ﴾2﴿ सलात और ﴾3﴿ तअ़व्वुज़ व ﴾4﴿ तस्मिया से आग़ाज़ करूंगा। (इसी सफ़ह़ा पर ऊपर दी हुई दो अ़रबी इ़बारात पढ़ लेने से चारों निय्यतों पर अ़मल हो जाएगा)। ﴾5﴿ ह़त्तल वस्अ़ इस का बा वुज़ू और ﴾6﴿ क़िब्ला रू मुत़ालआ़ करूंगा ﴾7﴿ क़ुरआनी आयात और ﴾8﴿ अह़ादीसे मुबारका की ज़ियारत करूंगा ﴾9﴿ जहां जहां **''अल्लाह''** का नामे पाक आएगा वहां عَزَّوَجَلَّ और ﴾10﴿ जहां जहां ''सरकार'' का इस्मे मुबारक आएगा वहां صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पढ़ूंगा। ﴾11﴿ किताबत वग़ैरा में शर्ई ग़लती मिली तो नाशिरीन को तह़रीरी त़ौर पर मुत्तलअ़ करूंगा (मुसन्निफ़ या नाशिरीन वग़ैरा को किताबों की अग़लात़ सिर्फ़ ज़बानी बताना ख़ास मुफ़ीद नहीं होता)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

अज़ : बानिये दा'वते इस्लामी, आ़शिके़ आ'ला ह़ज़रत, शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

الحمد لله علٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صلى الله تعالٰى عليه وسلم

तब्लीग़े कु़रआनो सुन्नत की ग़ैर सियासी तह़रीक "**दा'वते इस्लामी**" नेकी की दा'वत, एह़याए सुन्नत और इशाअ़ते इ़ल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब ह़ुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअ़द्दद मजालिस का कि़याम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस "**अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**" भी है जो दा'वते इस्लामी के उ़लमा व मुफ़्तियाने किराम كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए ज़ैल छ शो'बे हैं :

(1) शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه **(2)** शो'बए दर्सी कुतुब
(3) शो'बए इस्लाह़ी कुतुब **(4)** शो'बए तराजिमे कुतुब
(5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब **(6)** शो'बए तख़्रीज

" **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या**" की अव्वलीन तरजीह़ सरकारे आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल बरकत, अ़ज़ीमुल मर्तबत,

परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीक़त, बाइसे ख़ैरो बरकत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अस्रे हाज़िर के तक़ाज़ों के मुताबिक़ हत्तल वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तहक़ीक़ी और इशाअती मदनी काम में हर मुम्किन तआवुन फ़रमाएं और मजलिस की तरफ़ से शाएअ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुतालआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ **''दा'वते इस्लामी''** की तमाम मजालिस ब शुमूल **''अल मदीनतुल इल्मिय्या''** को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़्क़ी अता फ़रमाए और हमारे हर अमले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تعالٰی علیه واٰلہٖ وسلَّم

रमज़ानुल मुबारक 1425 हि.

ज़कात के मसाइल सीख लीजिये......

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बह़्रो बर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़ज़मत निशान है : ''इस्लाम की **बुन्याद** पांच बातों पर है, इस बात की गवाही देना कि **अल्लाह** तआ़ला के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुह़म्मद (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) उस के रसूल हैं, **नमाज़** क़ाइम करना, **ज़कात** अदा करना, **ह़ज** करना और रमज़ान के रोज़े रखना।''

(صحیح البخاری ، کتاب الایمان ،باب دعاء کم ایمانکم ،الحدیث۸،ج۱،ص۱٤)

मज़्कूरा फ़रमाने अ़ज़मत निशान में नमाज़ के बा'द जिस इ़बादत का ज़िक्र किया गया है वोह **ज़कात** है। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुक्न और माली इ़बादत है। क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद की मुतअ़द्दद आयाते मुक़द्दसा में **ज़कात** अदा करने वालों की **ता'रीफ़ व तौसीफ़** और न देने वालों की मज़म्मत की गई है। ज़कात की अदाएगी के फ़ज़ाइल पाने और अ़दमे अदाएगी के नुक़्सानात से बचने के लिये ज़कात के शरई मसाइल का सीखना बेह़द **ज़रूरी** है। मगर सद हैफ़ कि इ़ल्मे दीन की कमी की वजह से मुसल्मानों की अक्सरिय्यत इन मसाइल से **ना वाक़िफ़** है। येही वजह है कि बा'ज़ अवक़ात किसी पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी होती है लेकिन वोह इस से ला इ़ल्म होता है। याद रखिये कि मालिके निसाब होने की सूरत में ज़कात के मसाइल सीखना **फ़र्ज़े ऐ़न** है। **इमामे** अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आ'ला ह़ज़रत अश्शाह मौलाना अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ الرَّحۡمٰن (अल मुतवफ़्फ़ा 1340 हि.) फ़तावा रज़विय्या जिल्द 23 सफ़ह़ा 624 पर लिखते हैं : मालिके निसाबे नामी (या'नी ह़क़ीक़तन या हुक्मन बढ़ने वाले माल के निसाब का मालिक) हो जाए तो मसाइले ज़कात (सीखना फ़र्ज़े ऐ़न है।) (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 23, स. 624)

ज़ेरे नज़र किताब ''**फ़ैज़ाने ज़कात**'' को मुरत्तब करने के लिये रद्दुल मुह़्तार, अल फ़तावल हिन्दिय्या, फ़तावा रज़विय्या, बहारे शरीअ़त, फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत और **शैख़े त़रीक़त** अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ के मदनी मुज़ाकरों (बिल ख़ुसूस मदनी मुज़ाकरा नम्बर 101, 102) से मवाद लिया गया है। इस किताब में ह़त्तल वस्अ़ **ज़कात, सदक़ए फ़ित्र और उ़श्र के फ़ज़ाइल** व मसाइल को इन्तिहाई आसान पैराए में उ़न्वानात के तह़्त ह़वाला जात के इल्तिज़ाम के साथ पेश करने की कोशिश की गई है ताकि कम इ़ल्म भी इस से फ़ाएदा ह़ासिल कर सकें, फिर भी इ़ल्म बहुत मुश्किल चीज़ है येह मुम्किन नहीं कि इ़ल्मी दुश्वारियां बिल्कुल जाती रहें। यक़ीनन बहुत से मक़ामात अब भी ऐसे होंगे कि उ़लमा से समझने की ह़ाजत होगी। लिहाज़ा जो बात समझ में न आए, समझने के लिये उ़लमाए किराम دَامَتْ فُیُوْضُہُم से रुजूअ़ कीजिये। इस किताब में (चन्द एक मक़ामात के इ़लावा) मसाइल के दलाइल और ह़वाले की इ़बारतें नक़्ल नहीं की गईं क्यूं कि अव्वल तो दलीलों का समझना हर शख़्स का काम नहीं, दूसरा दलीलों की वजह से अक्सर ऐसी उल्झन पड़ जाती है कि नफ़्से मस्अला समझना दुश्वार हो जाता है। अगर किसी को दलाइल का शौक़ हो तो ह़वाले में लिखी गई कुतुब बिल ख़ुसूस फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ का मुत़ालआ़ करें कि اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ उस में हर मस्अले की ऐसी तह़क़ीक़ की गई है जिस की नज़ीर आज दुन्या में मौजूद नहीं।

इस अहम किताब को न सिर्फ़ ख़ुद पढ़िये बल्कि दूसरे मुसल्मानों को भी पढ़ने की तरग़ीब दे कर नेकी की दा'वत को आ़म करने का सवाब कमाइये। **अल्लाह** तआ़ला से दुआ़ है कि हमें ''**अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश**'' करने के लिये मदनी इन्आ़मात पर अ़मल और मदनी क़ाफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए और **दा'वते इस्लामी** की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिसे **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

शो'बए इस्लाही कुतुब (मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या)

तफ़्सीली फ़ेहरिस्त

उ़न्वान	सफ़्हा	उ़न्वान	सफ़्हा
दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत	1	शराइत़ की तफ़्सील	20
इस्लाम का बुन्यादी रुक्न	1	निसाब का मालिक	20
ज़कात फ़र्ज़ है	2	मालिके निसाब होने से पहले ज़कात देना	20
ज़कात की फ़र्ज़िय्यत की 3 रिवायात	3	माले ह़राम पर ज़कात	21
ज़कात कब फ़र्ज़ हुई ?	5	माले ह़राम से नजात का त़रीक़ा	21
ज़कात की फ़र्ज़िय्यत का इन्कार करना कैसा ?	5	माले नामी का मत़लब	22
ज़कात अदा करने के 16 फ़ज़ाइल		ह़ाजते अस्लिय्या किसे कहते हैं ?	22
व फ़वाइद	5	साल कब मुकम्मल होगा ?	23
तक्मीले ईमान का ज़रीआ़	5	क़मरी महीनों का ए'तिबार होगा या शम्सी का ?	23
रह़मते इलाही عَزَّوَجَلَّ की बरसात	6	दौराने साल निसाब में कमी होना	24
तक़्वा व परहेज़ गारी का ह़ुसूल	6	दौराने साल निसाब में इज़ाफ़ा होना	24
काम्याबी का रास्ता	6	दौराने साल निसाब हलाक होना	25
नुस्रते इलाही عَزَّوَجَلَّ का मुस्तह़िक़	7	ज़मानए कुफ़्र की ज़कात	25
अच्छे लोगों में शुमार होने वाला	7	ना बालिग़ और पागल पर ज़कात	26
दिल में ख़ुशी दाख़िल करने का सवाब	8	मज्नून के साले ज़कात का आग़ाज़	26
इस्लामी भाईचारे का बेहतरीन इज़्हार	8	अम्वाले ज़कात	26
फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم का मिस्दाक़	9	सोना चांदी का निसाब	27
माल पाक हो जाता है	9	कितनी ज़कात देना होगी ?	27
बुरी सिफ़ात से छुटकारा	9	निसाब से ज़ाइद का ह़ुक्म	27
माल में बरकत	10	निसाब और ख़ुम्स से ज़ाइद पर ज़कात	28
शर से ह़िफ़ाज़त	11	एक ही जिन्स के मुख़्तलिफ़ अम्वाल और	
ह़िफ़ाज़ते माल का सबब	12	ज़कात का ह़िसाब	28
ह़ाजत रवाई	12	अगर सोने का निसाब मुकम्मल हो और	
दुआ़एं मिलती हैं	12	चांदी का ना मुकम्मल	30
ज़कात न देने के 8 नुक़्सानात	13	ज़कात में सोने चांदी की क़ीमत देना	31
ज़कात की ता'रीफ़	19	क़ीमत की ता'रीफ़	31
ज़कात को ज़कात कहने की वजह	19	किस भाव का ए'तिबार होगा ?	31
ज़कात की अक़्साम	19	किस जगह की क़ीमत ली जाएगी ?	31
ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?	20	क़ीमत किस दिन की मो'तबर है ?	31

उ़न्वान	सफ़्हा	उ़न्वान	सफ़्हा
सोने चांदी की ज़कात का ह़िसाब	32	दुकान की ज़कात	42
खोट का हुक्म	33	एडवान्स पर ज़कात	43
पहनने वाले ज़ेवरात की ज़कात	34	धोबी के साबुन और रंगसाज़ के रंग पर ज़कात	43
आग के कंगन	34	ख़ुश्बू बेचने वाले की शीशियों पर ज़कात	43
सोने चांदी के ज़ेवरात और बरतनों की ज़कात	34	नानबाई पर ज़कात	44
सोने चांदी के बरतनों का इस्ति'माल	35	किताबों पर ज़कात	44
जहेज़ की ज़कात	35	किराए पर दिये गए मकान पर ज़कात	44
बीवी के ज़ेवर की ज़कात	36	किराए पर चलने वाली गाड़ियों और बसों पर ज़कात	44
शोहर के समझाने के बा वुजूद बीवी ज़कात		घरेलू सामान पर ज़कात	45
न दे तो ?	36	सजावट की अश्या पर ज़कात	45
रह्न रखे गए ज़ेवर की ज़कात	36	बैआ़ना में दी गई रक़म पर ज़कात	45
अगर शोहर ने बीवी का ज़ेवर रह्न रखवाया हो तो ?	37	ख़रीदी गई चीज़ पर क़ब्ज़े से पहले ज़कात	45
ज़ेवर की गुज़श्ता सालों की ज़कात अदा		करन्सी नोट की ज़कात	46
करने का त़रीक़ा	37	नोट का निसाब	46
सोने का ना जाइज़ इस्ति'माल करने वाले पर ज़कात	38	नोट की ज़कात का ह़िसाब	46
हीरों और मोतियों पर ज़कात	38	करन्सी नोटों की ज़कात का जद्वल	47
सोने या चांदी की कढ़ाई पर ज़कात	38	बेटियों की शादी के लिये जम्अ़ की गई	
ह़ज के लिये जम्अ़ की जाने वाली रक़म पर ज़कात	38	रक़म पर ज़कात	47
माले तिजारत और उस की ज़कात	39	अमानत में दी गई रक़म पर ज़कात	47
माले तिजारत किसे कहते हैं ?	39	इन्श्योरन्स की रक़म पर ज़कात	47
विरासत में छोड़ा हुवा माले तिजारत	39	ह़ज के लिये जम्अ़ करवाई गई रक़म पर ज़कात	48
माले तिजारत का निसाब	39	प्रोविडन्ट फ़न्ड पर ज़कात	48
माले तिजारत की ज़कात	40	मुलाज़िमीन को मिलने वाले बोनस पर ज़कात	49
माले तिजारत के नफ़्अ़ पर ज़कात	40	बैंक में जम्अ़ करवाई रक़म पर ज़कात	49
माले तिजारत की ज़कात का ह़िसाब	40	बीसी (कमीटी) की रक़म पर ज़कात	50
क़ीमत वक़्ते ख़रीदारी की या साल तमाम होने की ?	40	ह़िसाब का त़रीक़ा	50
होलसेल की ज़कात अदा करने का त़रीक़ा	40	क़र्ज़ और ज़कात	51
उधार में लिया हुवा माल	41	मद्यून पर ज़कात ?	51
होलसेल के निर्ख़ का ए'तिबार होगा या रीटेल का	41	अगर ख़ुद मद्यून न हो मगर मद्यून का	
ह़िसाब का त़रीक़ा	41	ज़ामिन हो तो ?	52
क्या हर साल ज़कात देना होगी ?	42	क्या हर त़रह़ का क़र्ज़ वुजूबे ज़कात	
ख़रीदने के बा'द निय्यत बदल जाना	42	में रुकावट बनेगा ?	52

उ़न्वान	सफ़्हा	उ़न्वान	सफ़्हा
साल गुज़रने के बा'द मक्रूज़ हो गया तो ?	52	गदागरों को ज़कात देना	66
मह्र और ज़कात	53	गदागरों की तीन क़िस्में	66
औ़रत पर उस के मह्र की ज़कात	53	मद्रसा या जामिआ़ में ज़कात देना	67
मक्रूज़ शोहर की ज़ौजा पर ज़कात	53	ज़कात के बारे में बता दीजिये	68
दैन (क़र्ज़) का हुक्म	54	एक ही शख़्स को सारी ज़कात दे देना	68
क़र्ज़ की वापसी की उम्मीद न हो तो ?	55	एक शख़्स को कितनी ज़कात देना मुस्तह़ब है	68
ज़कात वाजिब होने के बा'द माल में कमी का हुक्म	55	किस को ज़कात देना अफ़्ज़ल है ?	69
		सय्यिद किसे ज़कात दे ?	69
मसारिफ़े ज़कात	57	क्या बहुत सारी किताबों का मालिक ज़कात ले सकता है ?	69
ज़कात किसे दी जाए ?	57		
मुस्तह़िक़े ज़कात को कैसे पहचानें ?	60	ग़नी का ज़कात लेना	70
ज़कात लेने वाला मुस्तह़िक़े ज़कात न हुवा तो ?	60	जिस के पास छ तोले सोना हो !	71
क्या मदारिस के सफ़ीर भी आ़मिल हैं ?	60	ह़ाजते अस्लिय्या से ज़ाइद सामान हो तो ?	71
किन को ज़कात नहीं दे सकते ?	61	जिस के पास बहुत सा जहेज़ हो !	71
किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं ?	61	जिस के पास मोती जवाहिर हों !	72
किन ग़ुलामों को ज़कात नहीं दे सकते ?	61	जिस के पास सर्दियों के बेश क़ीमत कपड़े हों !	72
किन ग़ुलामों को ज़कात दे सकते हैं ?	62		
मुत़ल्लक़ा बीवी को ज़कात देना	62	जिस के पास बहुत बड़ा मकान हो !	72
ग़नी की बीवी या बाप को ज़कात देना	62	जिस के मकान में बाग़ हो !	73
ग़नी मां के ना बालिग़ बच्चे	63	क्या मालदार के लिये सदक़ा लेना जाइज़ है ?	73
जिस औ़रत का मह्र अभी शोहर पर बाक़ी हो	63		
काफ़िर को ज़कात देना	63	ग़ैरे मुस्तह़िक़ ने ज़कात ले ली तो ?	73
बद मज़्हब को ज़कात देना	63	ज़कात की अदाएगी	74
त़ालिबे इ़ल्म को ज़कात देना	63	ज़कात की अदाएगी की शराइत़	74
इमामे मस्जिद को ज़कात देना	64	ज़कात देते वक़्त निय्यत करना भूल गया तो ?	74
ज़कात की रक़म से इमामे मस्जिद को तनख़्वाह देना	64	ज़कात के अल्फ़ाज़	74
मां हाशिमी हो और बाप ग़ैरे हाशिमी तो ?	64	ज़कात की अदाएगी में ताख़ीर करना	75
सादाते किराम को ज़कात न देने की वजह	65	ज़कात यक मुश्त दें या थोड़ी थोड़ी ?	75
बनू हाशिम कौन हैं ?	65	ज़कात यक मुश्त दीजिये	75
बनू हाशिम को ज़कात न देने की ह़िक्मत	65	निय्यत में फ़र्क़ आ जाता	76
सादात की इम्दाद की सूरत	66	क्या ज़कात अलग कर लेना काफ़ी है ?	76

उ़न्वान	सफ़्हा	उ़न्वान	सफ़्हा
रमज़ानुल मुबारक में ज़कात देना	76	वकील का किसी को वकील बनाना	84
ए'लानिया या पोशीदा ?	77	क्या वकील किसी को भी ज़कात दे सकता है ?	85
ज़कात दे कर एह़सान जताना	77	क्या वकील ख़ुद ज़कात रख सकता है ?	85
साल भर ख़ैरात करने के बा'द ज़कात		ज़कात पेशगी अदा करना	85
की निय्यत करना	77	पेशगी ह़िसाब का त़रीक़ा	86
ज़कात देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	78	पेशगी ज़कात ज़ियादा दे दी तो क्या करे ?	86
ज़कात लेने वाले को इस का इ़ल्म होना	78	जिसे पेशगी ज़कात दी थी बा'द में	
मिक़्दारे ज़कात का मा'लूम होना	78	वोह मालदार हो गया तो ?	86
क़र्ज़ कह कर ज़कात देने वाला	78	इख़्तितामे साल पर निसाब बाक़ी न रहा तो ?	86
छोटे बच्चे को ज़कात देना	79	ज़कात देने वाले के माल से ज़कात की अदाएगी	87
ज़कात की निय्यत से मकान का		बिला इजाज़त किसी के माल से उस	
किराया मुआ़फ़ करना	79	की ज़कात देना	87
क़र्ज़ मुआ़फ़ कर दिया तो ?	80	ज़कात दिये बिग़ैर इन्तिक़ाल कर जाने	
मुआ़फ़ कर्दा क़र्ज़ का शामिले ज़कात होना	80	वाले का हुक्म	87
ज़कात के त़ौर पर किसी का क़र्ज़ अदा करना	80	मशरूत़ त़ौर पर ज़कात देना	87
यतीमों को कपड़े बनवा कर देने का हुक्म	80	ज़कात की रक़म तिजारत में लगाना	88
ज़कात की रक़म से किताबें ख़रीदना	80	माले ज़कात से वक़्फ़	88
माले ज़कात से दीनी कुतुब छपवा कर तक़्सीम करना कैसा ?	81	ज़कात शह्र से बाहर ले जाना	88
मिठाई के डिब्बे में ज़कात की रक़म रखना	81	बैंक से ज़कात की कटौती	89
ज़कात की रक़म वापस लेने का ना जाइज़ ह़ीला	81	ह़ीलए शर्ई	89
वकील की फ़ीस अदा करना	81	कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?	90
तोह़फ़े की सूरत में ज़कात देना	82	गोश्त का तोह़फ़ा	91
ज़कात की रक़म से अनाज ख़रीद कर देना	82	ज़कात का शर्ई ह़ीला	91
कम क़ीमत में अनाज बेच कर ज़कात की निय्यत करना कैसा ?	82	ह़ीलए शर्ई का त़रीक़ा	92
ज़कात देने में शक हो तो ?	83	100 अफ़राद को बराबर बराबर सवाब मिले	92
ला इ़ल्मी में कम ज़कात देना	83	रख मत लेना	93
ज़कात अदा करने के लिये वकील बनाना	83	अगर शर्ई फ़क़ीर ज़कात ले कर वापस न दे तो ?	94
वकील को ज़कात का इ़ल्म होना	83	भरोसे का आदमी न मिल सके तो ?	94
क्या वकील भी ज़कात की निय्यत करे ?	84	फ़क़ीर को ज़कात की रक़म भलाई के कामों	
नफ़्ली सदक़ा के लिये वकील बनाने		में ख़र्च करने का मश्वरा देना	94
के बा'द ज़कात की निय्यत करना	84	ह़ीलए शर्ई किये बिग़ैर ज़कात मद्रसे	
मुख़्तलिफ़ लोगों की ज़कात मिलाना	84	में ख़र्च कर दी तो क्या करे ?	95

उ़न्वान	सफ़हा	उ़न्वान	सफ़हा
मां बाप को ज़कात देने के लिये ह़ीलए शरई करना	95	सदक़ए फ़ित्र की अदाएगी की ह़िक्मत	113
ज़कात की जगह नफ़्ली सदक़ा करना	95	सदक़ए फ़ित्र का शरई हुक्म	113
ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ		सदक़ए फ़ित्र किस पर वाजिब है ?	113
की वसिय्यत	96	वुजूब का वक़्त	114
ग़ौसे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ की तम्बीह	97	ज़कात और सदक़ए फ़ित्र में फ़र्क़	114
चार फ़राइज़ में से तीन पर अ़मल करना	98	फ़ित्रा की अदाएगी की शराइत़	115
नमाज़ क़बूल नहीं	99	ना बालिग़ पर सदक़ए फ़ित्र	115
जो सदक़ा व ख़ैरात कर चुका उस का हुक्म	99	मां के पेट में मौजूद बच्चे का फ़ित्रा	115
शैत़ान के वार को पहचानिये	100	छोटे भाई का फ़ित्रा	115
ज़कात का ह़िसाब कैसे लगाए ?	101	अगर किसी का फ़ित्रा न दिया गया हो तो ?	116
क़ुसूर अपना है	102	बाप ने अगर रोज़े न रखे हों	116
बरसों की ज़कात की अदाएगी का एक ह़ीला	102	मां पर बच्चों का फ़ित्रा वाजिब नहीं	116
ख़ुशदिली से ज़कात दीजिये	103	यतीम बच्चों का फ़ित्रा	116
जानवरों की ज़कात	104	ग़रीब बाप के बच्चों का फ़ित्रा	116
जानवरों की ज़कात कब फ़र्ज़ होगी ?	104	सदक़ए फ़ित्र के लिये रोज़ा शर्त़ नहीं	117
तिजारत के लिये जानवर ख़रीद कर चराना		ना बालिग़ मन्कूह़ा लड़की का फ़ित्रा	
शुरूअ़ कर दिया तो	104	किस पर ?	117
वक़्फ़ के जानवरों की ज़कात	105	बच्चे हिन्दुस्तान में और बाप मुल्क	
कितनी क़िस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है ?	105	से बाहर हो तो	117
ऊंट की ज़कात	105	शबे ईद बच्चा पैदा हुवा तो...?	118
मादा ऊंटनी की जगह नर ऊंट देना कैसा ?	108	शबे ईद मुसल्मान होने वाले का फ़ित्रा	118
ऊंटों की ज़कात में मज़्कूरा जानवरों		माल ज़ाएअ़ हो जाए तो....?	118
की जगह उन की क़ीमत देना	108	फ़ौतशुदा शख़्स का फ़ित्रा	118
गाय की ज़कात	108	मेहमानों का फ़ित्रा	119
बकरियों की ज़कात	109	शादीशुदा बेटी का फ़ित्रा	119
जानवरों की ज़कात के दीगर मसाइल	110	बिला इजाज़त फ़ित्रा अदा करना	119
कितनी उ़म्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है ?	110	सदक़ए फ़ित्र किन चीज़ों से अदा होता है	119
अगर कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो ?	110	सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार	120
घोड़े गधे और ख़च्चर की ज़कात	110	सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार	
सदक़ए फ़ित्र	111	आसान लफ़्ज़ों में	120
सदक़ए फ़ित्र की फ़ज़ीलत की 4 रिवायात	111	सदक़ए फ़ित्र की अदाएगी का वक़्त	120
सदक़ए फ़ित्र कब मश्रूअ़ हुवा ?	112	सदक़ए फ़ित्र रमज़ान में अदा कर दिया तो ?	121

उ़न्वान	सफ़्हा	उ़न्वान	सफ़्हा
रमज़ान से भी पहले सदक़ए		उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़्राजात	
फ़ित्र अदा करना	121	अलग करना	133
पेशगी फ़ित्रा देते वक़्त साहिबे निसाब होना	121	उ़श्र की अदाएगी	134
अगर ईद के बा'द सदक़ए फ़ित्र		उ़श्र पेशगी अदा करना	134
दिया तो ?	121	फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने	
क्या देना अफ़्ज़ल है ?	121	से मुराद	135
फ़ित्रा किस को दिया जाए ?	122	पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?	135
किसे सदक़ए फ़ित्र नहीं दे सकते ?	122	उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर	135
एक शख़्स का फ़ित्रा एक ही मिस्कीन		उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल	136
को देना	122	उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	136
उ़श्र का बयान	123	उ़श्र में रक़म देना	137
उ़श्र के फ़ज़ाइल	123	अगर त़वील अ़र्से से उ़श्र अदा न किया	
उ़श्र अदा न करने का वबाल	125	हो तो ?	137
किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?	126	अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?	137
शहद की पैदावार पर उ़श्र	128	फ़स्ल ज़ाएअ़ होने की सूरत में उ़श्र	137
किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं	128	उ़श्र किस को दिया जाए	138
उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़		ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	138
कम मिक़्दार	129	रबीअ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	139
पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र	129	सुवाल करने का वबाल	140
क़र्ज़दार पर उ़श्र	130	सुवाल करने की मज़म्मत के बारे में	
शरई फ़क़ीर पर उ़श्र	130	मदनी आक़ा صلی اللہ علیہ وسلم के 6 फ़रामीन	140
उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त़ है		मदनी इल्तिजा	142
या नहीं ?	131	दा'वते इस्लामी की झल्कियां	143
मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र	131	मआख़िज़ो मराजेअ़	149
ठेके की ज़मीनों का उ़श्र	132		
अगर ख़ुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?	132		
मुश्तरिका ज़मीन का उ़श्र	133		
घरेलू पैदावार पर उ़श्र	133		

एक चुप सो सुख

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, फ़ैज़ गन्जीना, साहिबे मुअ़त्तर पसीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की ख़ातिर आपस में मह़ब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफ़ह़ा करें और नबी (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) पर **दुरूदे पाक** भेजें तो उन के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह **बख़्श** दिये जाते हैं।''

(مسند ابی یعلی ، الحدیث ۲۹۵۱،ج۳،ص۹۵)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

इस्लाम का बुन्यादी रुक्न

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ज़कात इस्लाम का बुन्यादी रुक्न है। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़ज़मत निशान है : ''इस्लाम की **बुन्याद** पांच बातों पर है, इस बात की **गवाही** देना कि **अल्लाह** तआ़ला के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुह़म्मद (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) उस के रसूल हैं, **नमाज़** क़ाइम करना, **ज़कात** अदा करना, **ह़ज** करना और **रमज़ान** के रोज़े रखना।''

(صحیح البخاری ، کتاب الایمان ،باب دعاء کم ایمانکم ،الحدیث۸،ج۱،ص۱٤)

ज़कात की अहम्मिय्यत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने ह़मीद में नमाज़ और ज़कात का एक साथ

32 मरतबा ज़िक्र आया है। (ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، ج۳، ص۲۰۲) **इलावा** अर्ज़ीं ज़कात देने वाला ख़ुश नसीब दुन्यवी व उख़रवी सआदतों को अपने दामन में समेट लेता है। (जिन का ज़िक्र अगले सफ़्हात में आ रहा है।)

ज़कात फ़र्ज़ है

ज़कात की फ़र्ज़िय्यत किताब व सुन्नत से साबित है। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ (پ ۱، البقرۃ:۴۳)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और नमाज़ क़ाइम रखो और ज़कात दो।

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْھَادِی (अल मुतवफ़्फ़ा 1367 हि.) इस आयत के तहत तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं : "इस आयत में नमाज़ व ज़कात की **फ़र्ज़िय्यत** का बयान है।"

خُذْ مِنْ اَمْوَالِہِمْ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمْ وَتُزَکِّیْہِمْ بِہَا (پ ۱۱، التوبۃ:۱۰۳)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ महबूब उन के माल में से ज़कात तहसील करो जिस से तुम उन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो।

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْھَادِی (अल मुतवफ़्फ़ा 1367 हि.) इस आयत के तहत तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं : आयत में जो सदक़ा वारिद हुवा है उस के मा'ना में मुफ़स्सिरीन के कई क़ौल हैं। **एक** तो येह कि वोह सदक़ा ग़ैर वाजिबा था जो बतौरे कफ़्फ़ारा के इन साहिबों ने दिया था जिन का ज़िक्र ऊपर की आयत में है।

दूसरा क़ौल येह है कि इस सदक़े से मुराद वोह **ज़कात** है जो उन के ज़िम्मे वाजिब थी, वोह ताइब हुए और उन्हों ने ज़कात अदा करनी चाही तो **अल्लाह** तआ़ला ने उस के लेने का हुक्म दिया। इमाम अबू बक्र राज़ी जिसास رَحْمَةُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ ने इस क़ौल को तरजीह़ दी है कि **सदक़े से ज़कात मुराद है।** (خازن و احکام القرآن)

"फ़र्ज़" के तीन हुरूफ़ की निस्बत से ज़कात की फ़र्ज़िय्यत के मुतअ़ल्लिक़ 3 रिवायात

(1) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साह़िबे मुअ़त्त़र पसीना, बाइ़से नुज़ूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "मुझे **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने इस पर मामूर किया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक लड़ूं जब तक वोह येह गवाही न दें कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के सिवा कोई सच्चा मा'बूद नहीं और मुह़म्मद (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ख़ुदा के सच्चे रसूल हैं, ठीक त़रह़ नमाज़ अदा करें, **ज़कात** दें, पस अगर ऐसा कर लें तो मुझ से उन के माल और जानें मह़फ़ूज़ हो जाएंगे सिवाए उस सज़ा के जो इस्लाम ने (किसी ह़द के सिल्सिले में) उन पर लाज़िम कर दी हो।"

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب فان تابوا واقاموا الصلوۃ، الحدیث ۲۵، ج۱، ص۲۰)

(2) नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने जब ह़ज़रते सय्यिदुना मुआ़ज़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ को जब यमन की त़रफ़ भेजा तो फ़रमाया : इन को बताओ कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने उन के मालों में ज़कात फ़र्ज़ की है मालदारों से ले कर फ़ुक़रा को दी जाए।"

(سنن الترمذی، کتاب الزکاۃ، باب ما جاء فی کراھیۃ اخذ خیار المال فی الصدقۃ، الحدیث ۶۲۵، ج۲، ص۱۲۶)

(3) हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ फ़रमाते हैं : जब रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का विसाले ज़ाहिरी हो गया और हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ख़लीफ़ा बने और कुछ क़बाइले अ़रब मुरतद हो गए (कि ज़कात की फ़र्ज़िय्यत से इन्कार कर बैठे) तो ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ने कहा : आप लोगों से कैसे मुआ़मला करेंगे जब कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : ''मैं लोगों से जिहाद करने पर मामूर हूं जब तक वोह لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ न पढ़ें । जिस ने لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ का इक़रार कर लिया उस ने अपनी जान और अपना माल मुझ से मह़फ़ूज़ कर लिया मगर येह कि किसी का ह़क़ बनता हो और वोह **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के ज़िम्मे है ।'' (या'नी येह लोग तो لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ कहने वाले हैं, उन पर कैसे जिहाद किया जाएगा)

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ने कहा : ''**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की क़सम ! मैं उस शख़्स से जिहाद करूंगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेगा (कि नमाज़ को फ़र्ज़ माने और ज़कात की फ़र्ज़िय्यत से इन्कार करे) और ज़कात माल का ह़क़ है ब ख़ुदा अगर उन्हों ने (वाजिबुल अदा) एक रस्सी भी रोकी जो वोह रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के दौर में दिया करते थे तो मैं उन से जंग करूंगा ।'' ह़ज़रते सय्यिदुना उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ फ़रमाते हैं : ''वल्लाह ! मैं ने देखा कि **अल्लाह** तआ़ला ने सिद्दीक़ का सीना खोल दिया है । उस वक़्त मैं ने भी पहचान लिया कि वोही ह़क़ है ।''

(صحیح البخاری، کتاب الزکاۃ،باب وجوب الزکوۃ،الحدیث ١٣٩٩، ١٤٠٠،ج١،ص٤٧٢، ٤٧٣)

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیۡہِ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ الۡغَنِی (अल मुतवफ़्फ़ा 1376 हि.) इस रिवायत की वज़ाह़त करते हुए लिखते हैं : ''इस ह़दीस से मा'लूम हुवा कि निरी **कलिमा गोई** इस्लाम के लिये काफ़ी नहीं, जब तक तमाम **ज़रूरिय्याते दीन** का इक़रार न करे और

अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके़ आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ का बह़स करना इस वजह से था कि उन के इ़ल्म में पहले येह बात न थी, कि वोह फ़र्ज़िय्यत के मुन्किर हैं येह ख़याल था कि ज़कात देते नहीं इस की वजह से गुनहगार हुए, काफ़िर तो न हुए कि उन पर जिहाद क़ाइम किया जाए, मगर जब मा'लूम हो गया तो फ़रमाते हैं मैं ने पहचान लिया कि वोही ह़क़ है, जो (सय्यिदुना) सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने समझा और किया।"

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, स. 780)

ज़कात कब फ़र्ज़ हुई ?

ज़कात 2 हिजरी में रोज़ों से क़ब्ल फ़र्ज़ हुई।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، ج۳، ص۲۰۲)

ज़कात की फ़र्ज़िय्यत का इन्कार करना कैसा ?

ज़कात का फ़र्ज़ होना कुरआन से साबित है, इस का इन्कार करनेवाला **काफ़िर** है।

(ماخوذ ازالفتاویٰ الھندیۃ، کتاب الزکوٰۃ، الباب الاول، ج۱، ص۱۷۰)

"ग़मे माल से बचा या इलाही" के सोलह ह़ुरूफ़ की निस्बत से ज़कात अदा करने के 16 फ़ज़ाइल व फ़वाइद

(1) तक्मीले ईमान का ज़रीआ़

ज़कात देना तक्मीले ईमान का ज़रीआ़ है जैसा कि ह़ुज़ूरे पाक, साहि़बे लौलाक, सय्याह़े अफ़्लाक صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना येह है कि तुम अपने मालों की **ज़कात** अदा करो।"

(الترغیب والترھیب، کتاب الصدقات، باب الترغیب فی اداءِ الزکوٰۃ، الحدیث۱۲، ج۱، ص۳۰۱)

एक मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : "जो **अल्लाह** और उस के रसूल पर ईमान रखता हो उसे लाज़िम है कि अपने माल की **ज़कात** अदा करे।" (المعجم الکبیر،الحدیث ۱۳۵۶۱،ج۱۲،ص۳۲٤)

(2) रह़मते इलाही عَزَّوَجَلَّ की बरसात

ज़कात देने वाले पर रह़मते इलाही عَزَّوَجَلَّ की छमाछम बरसात होती है। सूरतुल आ'राफ़ में है :

وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और मेरी रह़मत हर चीज़ को घेरे है तो अन्क़रीब मैं ने'मतों को उन के लिये लिख दूंगा जो डरते और ज़कात देते हैं।

(پ۹،الاعراف۱۵٦)

(3) तक़्वा व परहेज़ गारी का हुसूल

ज़कात देने से तक़्वा ह़ासिल होता है। क़ुरआने पाक में **मुत्तक़ीन** की अ़लामात में से एक **अ़लामत** येह भी बयान की गई है चुनान्चे इर्शाद होता है :

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَۙ(۳)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं

(پ۱،البقرۃ:۳)

(4) काम्याबी का रास्ता

ज़कात देने वाला काम्याब लोगों की फ़ेहरिस्त में शामिल हो जाता है। जैसा कि क़ुरआने पाक में फ़लाह़ को पहुंचने वालों का एक काम ज़कात भी गिनवाया गया है चुनान्चे इर्शाद होता है :

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿۴﴾

(پ ۱۸،المؤمنون ۱تا۴)

तरजमए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ में गिड़गिड़ाते हैं और वोह जो किसी बेहूदा बात की त़रफ़ इल्तिफ़ात नहीं करते और वोह कि ज़कात देने का काम करते हैं।

(5) नुसरते इलाही عَزَّوَجَلَّ का मुस्तह़िक़

अल्लाह तआ़ला ज़कात अदा करने वाले की मदद फ़रमाता है। चुनान्चे इर्शाद होता है :

وَلَیَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ یَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿۴۰﴾ اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۱﴾

(پ ۱۷،الحج:۴۰،۴۱)

तरजमए कन्जुल ईमान : और बेशक अल्लाह ज़रूर मदद फ़रमाएगा उस की जो उस के दीन की मदद करेगा बेशक ज़रूर अल्लाह क़ुदरत वाला ग़ालिब है, वोह लोग कि अगर हम उन्हें ज़मीन में क़ाबू दें तो नमाज़ बरपा रखें और ज़कात दें और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें और अल्लाह ही के लिये सब कामों का अन्जाम।

(6) अच्छे लोगों में शुमार होने वाला

ज़कात अदा करना अल्लाह के घरों या'नी मसाजिद को आबाद करने वालों की सिफ़ात में से है चुनान्चे इर्शाद होता है :

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓىٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۸﴾

(پ۱۰،التوبة: ۱۸)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह की मस्जिदें वोही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़ियामत पर ईमान लाते और नमाज़ क़ाइम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते तो क़रीब है कि येह लोग हिदायत वालों में हों।

(7) इस्लामी भाइयों के दिल में ख़ुशी दाख़िल करने का सवाब

ज़कात की अदाएगी से ग़रीब इस्लामी भाइयों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और उन के दिल में **ख़ुशी** दाख़िल होती है।

(8) इस्लामी भाईचारे का बेहतरीन इज़्हार

ज़कात देने का अ़मल उख़ुव्वते इस्लामी की बेहतरीन ता'बीर है कि एक ग़नी मुसल्मान अपने ग़रीब इस्लामी भाई को ज़कात दे कर मुआ़शरे में सर उठा कर जीने का ह़ौसला मुहय्या करता है। नीज़ ग़रीब इस्लामी भाई का दिल कीना व ह़सद की शिकार गाह बनने से मह़फ़ूज़ रहता है क्यूं कि वोह जानता है कि उस के ग़नी इस्लामी भाई के माल में उस का भी ह़क़ है चुनान्चे वोह अपने भाई के जान, माल और औलाद में बरकत के लिये दुआ़ गो रहता है, नबिय्ये पाक, साह़िबे लौलाक صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "बेशक मोमिन के लिये मोमिन मिस्ल इमारत के है, बा'ज़ बा'ज़ को तक़्वियत पहुंचाता है।"

(صَحِيْحُ الْبُخَارِیْ، کتاب الصلوة،باب تشبيك الاصابع..الخ،الحديث ۴۸۱،ج۱،ص ۱۸۱)

(9) फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का मिस्दाक़

ज़कात मुसल्मानों के दरमियान भाईचारा मज़बूत़ बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है जिस से इस्लामी मुआ़शरे में इज्तिमाइय्यत को फ़रोग़ मिलता है और इम्दादे बाहमी की बुन्याद पर मुसल्मान अपने प्यारे आक़ा मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के इस फ़रमाने अ़ज़ीम का मिस्दाक़ बन जाते हैं : मुसल्मानों की आपस में दोस्ती और रह़मत और शफ़्क़त की मिसाल जिस्म की त़रह़ है, जब जिस्म का कोई उ़ज़्व बीमार होता है तो बुख़ार और बे ख़्वाबी में सारा जिस्म उस का शरीक होता है।

(صحیح مسلم ،کتاب البر و الصلۃو الآداب،باب تراحم المؤمنین ..الخ،الحدیث۲۵۸٦،ص۱۳۹٦)

(10) माल पाक हो जाता है

ज़कात देने से माल पाक हो जाता है जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअ़त्त़र पसीना, बाइसे नुज़ूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "अपने माल की ज़कात निकाल कि वोह **पाक** करने वाली है, तुझे **पाक** कर देगी।"

(المسندللامام احمد بن حنبل،مسند انس بن مالك ،الحدیث ١٢٣٩٧،ج٤،ص٢٧٤)

(11) बुरी सिफ़ात से छुटकारा

ज़कात देने से लालच व बुख़्ल जैसी बुरी सिफ़ात से (अगर दिल में हों तो) छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सख़ावत व बख़्शिश का मह़बूब वस्फ़ मिल जाता है।

(12) माल में बरकत

ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुन्या व आख़िरत में बढ़ता है। **अल्लाह** तआला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَهُوَ یُخۡلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَیۡرُ الرّٰزِقِیۡنَ ﴿۳۹﴾

(پ۲۲،سبا:۳۹)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो चीज़ तुम **अल्लाह** की राह में ख़र्च करो वोह उस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़्क़ देने वाला।"

एक मक़ाम पर इर्शाद होता है :

مَثَلُ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنۡۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِیۡ كُلِّ سُنۡۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۶۱﴾ اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتۡبِعُوۡنَ مَاۤ اَنۡفَقُوۡا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًی ۙ لَّهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۲۶۲﴾

(پ۳،البقرة:۲۶۱،۲۶۲)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उस दाने की त़रह़ जिस ने उगाईं सात बालें, हर बाल में सो दाने और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्अ़त वाला इ़ल्म वाला है, वोह जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एह़सान रखें न तक्लीफ़ दें उन का नेग (इन्आ़म) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म।

पस ज़कात देने वाले को येह यक़ीन रखते हुए ख़ुशदिली से ज़कात देनी चाहिये कि **अल्लाह** तआ़ला उस को बेहतर बदला अ़ता फ़रमाएगा। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़ज़मत निशान है : ''सदक़े से माल कम नहीं होता।''

(المعجم الاوسط،الحديث ٢٢٧٠،ج١،ص٦١٩)

अगर्चे ज़ाहिरी त़ौर पर माल कम होता लेकिन ह़क़ीक़त में बढ़ रहा होता है जैसे दरख़्त से ख़राब होने वाली शाख़ों को उतारने में ब ज़ाहिर दरख़्त में कमी नज़र आ रही है लेकिन येह उतारना उस की नश्वो नुमा का सबब है। **मुफ़स्सिरे** शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان फ़रमाते हैं, ज़कात देने वाले की **ज़कात** हर साल बढ़ती ही रहती है। येह तजरिबा है। जो किसान खेत में बीज फेंक आता है वोह ब ज़ाहिर बोरियां ख़ाली कर लेता है लेकिन ह़क़ीक़त में मअ़ **इज़ाफ़े** के भर लेता है। घर की बोरियां चूहे, सुरसुरी वग़ैरा की आफ़ात से हलाक हो जाती हैं या येह मत़लब है कि जिस माल में से सदक़ा निकलता रहे उस में से ख़र्च करते रहो, اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ बढ़ता ही रहेगा, कूंएं का पानी भरे जाओ, तो बढ़े ही जाएगा। (मिरआतुल मनाजीह़ शर्हे मिश्कातुल मसाबीह़, जि. 3, स. 93)

(13) शर से ह़िफ़ाज़त

ज़कात देने वाला शर से मह़फ़ूज़ हो जाता है जैसा कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़ज़मत निशान है : ''जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक **अल्लाह** तआ़ला ने उस से शर को दूर कर दिया।''

(المعجم الاوسط،باب الالف من اسمه احمد،الحديث،١٥٧٩،ج١،ص٤٣١)

(14) ह़िफ़ाज़ते माल का सबब

ज़कात देना ह़िफ़ाज़ते माल का सबब है जैसा कि हुज़ूरे पाक, साह़िबे लौलाक, सय्याह़े अफ़्लाक صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "अपने मालों को ज़कात दे कर मज़्बूत़ क़ल्ओं में कर लो और अपने बीमारों का इ़लाज ख़ैरात से करो।"

(مراسیل ابی داؤد مع سنن ابی داؤد ،باب فی الصائم یصیب اھلہ،ص۸)

(15) ह़ाजत रवाई

अल्लाह तआ़ला **ज़कात** देने वालों की ह़ाजत रवाई फ़रमाएगा जैसा कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जो किसी बन्दे की **ह़ाजत रवाई** करे **अल्लाह** तआ़ला दीन व दुन्या में उस की **ह़ाजत रवाई** करेगा।"

(صحیح مسلم ،کتاب الذکر والدعاء،باب فضل الاجتماع ....الخ، الحدیث۲۶۹۹، ص۱۴۴۷)

एक और मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : "जो किसी मुसल्मान को दुन्यावी तक्लीफ़ से रिहाई दे तो **अल्लाह** तआ़ला उस से क़ियामत के दिन की मुसीबत दूर फ़रमाएगा।"

(جامع الترمذی ،کتاب الحدود،باب ماجاء فی السترعلی المسلم،الحدیث، ج۳، ص۱۱۵)

(16) दुआ़एं मिलती हैं

ग़रीबों की दुआ़एं मिलती हैं जिस से रह़मते ख़ुदावन्दी और मददे इलाही عَزَّوَجَلَّ ह़ासिल होती है जैसा कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साह़िबे मुअ़त्त़र पसीना, बाइ़से नुज़ूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "तुम को **अल्लाह** तआ़ला की मदद और रिज़्क़ ज़ईफ़ों की बरकत और उन की दुआ़ओं के सबब पहुंचता है।"

(صحیح البخاری، کتاب الجھاد،باب عن استعان بالضعفاء،...الخ، الحدیث،۲۸۹۶، ج۲،ص۲۸۰)

''अ़ज़ाबे जहन्नम'' के आठ हु़रूफ़ की मुनासबत से ज़कात न देने के 8 नुक़्सानात

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ज़कात की अ़दम अदाएगी के मुतअ़द्दद नुक़्सानात हैं जिन में चन्द येह हैं :

(1) उन फ़वाइद से **मह़रूमी** जो उसे अदाएगिये ज़कात की सूरत में मिल सकते थे।

(2) बुख़्ल या'नी कन्जूसी जैसी **बुरी सिफ़त से** (अगर कोई इस में गिरिफ़्तार हो तो) छुटकारा नहीं मिल पाएगा। प्यारे आक़ा, दो आ़लम के दाता صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने ख़बरदार है : ''**सख़ावत** जन्नत में एक दरख़्त है जो सख़ी हुवा उस ने उस दरख़्त की शाख़ पकड़ ली, वोह शाख़ उसे न छोड़ेगी यहां तक कि उसे **जन्नत** में दाख़िल कर दे और **बुख़्ल** आग में एक दरख़्त है, जो बख़ील हुवा, उस ने उस की शाख़ पकड़ी, वोह उसे न छोड़ेगी, यहां तक कि **आग** में दाख़िल करेगी।''

(شعب الایمان ،باب فی الجود و السخاء،الحدیث۱۰۸۷۷،ج۷،ص۴۳۵)

(3) माल की **बरबादी** का सबब है। जैसा कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बह़रो बर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : ''ख़ुश्की व तरी में जो माल ज़ाएअ़ हुवा है वोह **ज़कात** न देने की वजह से तलफ़ हुवा है।''

(مجمع الزوائد، کتاب الزکوٰۃ،باب فرض الزکوٰۃ،الحدیث۴۳۳۵،ج۳،ص۲۰۰)

एक मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : ''ज़कात का माल जिस में मिला होगा उसे **तबाहो बरबाद** कर देगा।''

(شعب الایمان،باب فی الزکوٰۃ،فصل فی الاستعفاف،الحدیث۳۵۲۲،ج۳،ص۲۷۳)

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَنِی (अल मुतवफ़्फ़ा 1367 हि.) इस ह़दीस की वज़ाह़त करते हुए लिखते हैं : बा'ज़ अइम्मा ने इस ह़दीस के येह मा'ना बयान किये कि **ज़कात** वाजिब हुई और अदा न की और अपने माल में मिलाए रहा तो येह ह़राम उस ह़लाल को हलाक कर देगा और इमाम अह़मद (رَحْمَةُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ) ने फ़रमाया कि मा'ने येह हैं कि मालदार शख़्स माले ज़कात ले तो येह माले ज़कात उस के माल को हलाक कर देगा कि ज़कात तो फ़क़ीरों के लिये है और दोनों मा'ने सह़ीह़ हैं।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 871)

(4) ज़कात अदा न करने वाली क़ौम को **इज्तिमाई नुक़्सान** का सामना करना पड़ सकता है। नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जो क़ौम ज़कात न देगी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उसे क़ह़त़ में मुब्तला फ़रमाएगा।"

(المعجم الاوسط ،الحدیث٤٥٧٧،ج٣،ص٢٧٥)

एक और मक़ाम पर फ़रमाया : "जब लोग **ज़कात** की अदाएगी छोड़ देते हैं तो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ बारिश को रोक देता है अगर ज़मीन पर चौपाए मौजूद न होते तो आस्मान से पानी का एक क़त़रा भी न गिरता।"

(سنن ابن ماجه ،کتاب الفتن،باب العقوبات،الحدیث٤٠١٩،ج٤،ص٣٦٧)

(5) ज़कात न देने वाले पर **ला'नत** की गई है जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ रिवायत करते हैं : "ज़कात न देने वाले पर रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने ला'नत फ़रमाई है।"

(صَحِیْحُ ابْنِ خُزَیْمَة، کتاب الزکاة،باب جماع ابواب التغلیظ،ذکر لعن لاوی..الخ،الحدیث ٢٢٥٠،ج٤،ص٨)

(6) बरोज़े क़ियामत येही माल वबाले जान बन जाएगा। सूरए तौबा में इर्शाद होता है :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ
نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ
جُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾
(پ ۱۰، التوبة: ۳۴، ۳۵)

तरजमए कन्जुल ईमान : और वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें ख़ुश ख़बरी सुनाओ दर्दनाक अ़ज़ाब की जिस दिन वोह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में फिर उस से दाग़ेंगे उन की पेशानियां और करवटें और पीठें येह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मज़ा इस जोड़ने का।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल ड़यूब صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इब्रत निशान है : "जिस को अल्लाह तआ़ला ने माल दिया और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल **गन्जे सांप** की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या'नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में त़ौक़ बना कर डाल दिया जाएगा। फिर उस (या'नी ज़कात न देने वाले) की बांछें पकड़ेगा और कहेगा : **"मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं।"** इस के बा'द नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

وَلَا يَحۡسَبَنَّ الَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ هُوَ خَيۡرًا لَّهُمۡ ؕ بَلۡ هُوَ شَرٌّ لَّهُمۡ ؕ سَيُطَوَّقُوۡنَ مَا بَخِلُوۡا بِهٖ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ
(پ٤، ال عمران: ١٨٠)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़्ल करते हैं उस चीज़ में जो **अल्लाह** ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा।

(صحيح البخاری، كتاب الزكوٰة ، باب اثم مانع الزكوٰة، الحديث ١٤٠٣، ج١، ص٤٧٤)

(7) **ह़िसाब में सख़्ती** की जाएगी। जैसा कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साह़िबे मुअ़त्तर पसीना, बाइसे नुज़ूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "फ़क़ीर हरगिज़ नंगे भूके होने की तक्लीफ़ न उठाएंगे मगर अग़्निया के हाथों, सुन लो ऐसे मालदारों से अल्लाह तआ़ला सख़्त ह़िसाब लेगा और उन्हें दर्दनाक अ़ज़ाब देगा।"

(مجمع الزوائد، كتاب الزكوٰة، باب فرض الزكوٰة، الحديث ٤٣٢٤، ج٣، ص١٩٧)

(8) **अ़ज़ाबे जहन्नम** में मुब्तला हो सकता है। ह़ुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कुछ लोग देखे जिन के आगे पीछे ग़रक़ी लंगोटियों की त़रह़ कुछ चीथड़े थे और जहन्नम के गर्म पथ्थर और थूहर और सख़्त कड़वी जलती बदबूदार घास चौपायों की त़रह़ चरते फिरते थे। जिब्रईल अमीन عَلَيۡهِ السَّلَام से पूछा येह कौन लोग हैं ? अ़र्ज़ की : यहां पर मालों की ज़कात न देने वाले हैं और **अल्लाह** तआ़ला ने इन पर ज़ुल्म नहीं किया, अल्लाह तआ़ला बन्दों पर ज़ुल्म नहीं फ़रमाता।

(الزواجر ، كتاب الزكوٰة، الكبيرة السابعة، الثامنة والعشرون....الخ، ج١، ص٣٧٢)

एक मक़ाम पर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ज़कात न देने वाला क़ियामत के दिन दोज़ख़ में होगा।

(مجمع الزوائد ، کتاب الزکوٰۃ،باب فرض الزکوۃ،الحدیث۴۳۳۷،ج۳،ص۲۰۱)

एक और मक़ाम पर फ़रमाया : "दोज़ख़ में सब से पहले तीन शख़्स जाएंगे उन में से एक वोह मालदार कि अपने माल में **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ का हक़ अदा नहीं करता।"

(صحیح ابن خزیمہ، کتاب الزکوٰۃ،باب لذکر ادخال مانع الزکوۃ النار....الخ ،الحدیث۲۲۴۹،ج۴،ص۸ ملخصاً)

अ़ज़ाबात का नक़्शा

शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه अपनी मश्हूरे ज़माना तालीफ़ "फ़ैज़ाने सुन्नत" जिल्द अव्वल के सफ़ह़ा 405 पर लिखते हैं :

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! याद रखिये ! ज़कात अदा करने के जहां बे शुमार सवाबात हैं न देने वाले के लिये वहां ख़ौफ़नाक अ़ज़ाबात भी हैं, चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن क़ुरआनो ह़दीस में बयान कर्दा **अ़ज़ाबात** का नक़्शा खींचते हुए फ़रमाते हैं, "ख़ुलासा येह है कि जिस **सोने चांदी** की ज़कात न दी जाए, रोज़े क़ियामत जहन्नम की आग में तपा कर उस से उन की पेशानियां, करवटें, पीठें दाग़ी जाएंगी। उन के सर, पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पथ्थर रखेंगे कि छाती तोड़ कर शाने से निकल जाएगा और शाने की हड्डी पर रखेंगे कि हड्डियां तोड़ता सीने से निकल आएगा, पीठ तोड़ कर करवट से निकलेगा, गुद्दी तोड़ कर पेशानी से उभरेगा। जिस **माल** की ज़कात न दी जाएगी रोज़े क़ियामत पुराना ख़बीस **ख़ूंख़ार**

अज़्दहा बन कर उस के पीछे दौड़ेगा, येह हाथ से रोकेगा, वोह हाथ चबा लेगा, फिर गले में तौक़ बन कर पड़ेगा, उस का मुंह अपने मुंह में ले कर चबाएगा कि मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा ख़ज़ाना। फिर उस का सार बदन चबा डालेगा। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن (फ़तावा रज़विय्या तख़्रीज शुदा, जि. 10, स. 153) मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ज़कात न देने वाले को क़ियामत के अ़ज़ाब से डरा कर समझाते हुए फ़रमाते हैं, ऐ अ़ज़ीज़ ! क्या खुदा व रसूल صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के फ़रमान को यूंही हंसी ठठ्ठा समझता है या (क़ियामत के एक दिन या'नी) पचास हज़ार बरस की मुद्दत में येह जान्काह मुसीबतें झेलनी सहल जानता है, ज़रा यहीं की आग में एकआध रूपिया (छोटा सा सिक्का) गर्म कर के बदन पर रख कर देख, फिर कहां येह ख़फ़ीफ़ (हलकी सी) गर्मी, कहां वोह क़हर आग, कहां येह एक ही रूपिया कहां वोह सारी उ़म्र का जोड़ा हुवा माल, कहां येह मिनट भर की देर कहां वोह हज़ार दिन बरस की आफ़त, कहां येह हलका सा चेहका (या'नी मा'मूली सा दाग़) कहां वोह हड्डियां तोड़ कर पार होने वाला ग़ज़ब। **अल्लाह** तआ़ला मुसल्मान को हिदायत बख़्शे। (ऐज़न, स. 175)

एक और मक़ाम पर आ'ला ह़ज़रत عَلَیْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت लिखते हैं : ग़रज़ ज़कात न देने की जान्काह आफ़तें वोह नहीं जिन की ताब आ सके, न देने वाले को हज़ार साल इन सख़्त अ़ज़ाबों में गिरिफ़्तारी की उम्मीद रखना चाहिये कि ज़ईफ़ुल बन्यान इन्सान की क्या जान, अगर पहाड़ों पर डाली जाएं सुरमा हो कर ख़ाक में मिल जाएं।

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! दा'वते इस्लामी के मदनी माह़ोल से हर दम वाबस्ता रहिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ ज़कात व ख़ैरात के ज़रूरी अह़कामात की मा'लूमात होती रहेंगी और अ़मल के जज़्बे में भी इज़ाफ़ा होता चला जाएगा।

ज़कात की ता'रीफ़

ज़कात शरीअ़त की जानिब से मुक़र्रर कर्दा उस माल को कहते हैं जिस से अपना **नफ़्अ़** हर त़रह़ से **ख़त्म** करने के बा'द रिज़ाए इलाही عَزَّوَجَلَّ के लिये किसी ऐसे **मुसल्मान फ़क़ीर** की **मिल्किय्यत** में दे दिया जाए जो न तो ख़ुद **हाशिमी**[1] हो और न ही किसी **हाशिमी का आज़ाद कर्दा ग़ुलाम** हो। (الدرالمختار،کتاب الزکوٰۃ،ج۳،ص٤ ۲۰۶،۲۰ ملخصاً)

ज़कात को ज़कात कहने की वजह

ज़कात का लुग़वी मा'ना त़हारत, अफ़्ज़ाइश (या'नी इज़ाफ़ा और बरकत) है। चूंकि ज़कात बक़िय्या माल के लिये मा'नवी त़ौर पर त़हारत और अफ़्ज़ाइश का सबब बनती है इसी लिये इसे **ज़कात** कहा जाता है।

(الدرالمختاروردالمحتار،کتاب الزکوٰۃ،ج۳،ص۲۰۳ملخصاً)

ज़कात की अक़्साम

ज़कात की बुन्यादी त़ौर पर 2 क़िस्में हैं।

(1) माल की ज़कात (2) अफ़राद की ज़कात (या'नी सदक़ए फ़ित्र)

माल की ज़कात की मज़ीद दो क़िस्में हैं :

(1) सोने, चांदी की ज़कात।

(2) माले तिजारत और मवेशियों, ज़राअ़त और फलों की ज़कात (या'नी उ़श्र)।

(ماخوذ از بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،کتاب الزکوٰۃ ،ج۲،ص۷۵)

---

1. बनी हाशिम से मुराद ह़ज़रते अ़ली व जा'फ़र व अ़क़ील और ह़ज़रते अ़ब्बास व ह़ारिस बिन अ़ब्दुल मुत्त़लिब की औलादें हैं। इन के इ़लावा जिन्हों ने नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इआ़नत न की मसलन अबू लहब, कि अगर्चे येह काफ़िर भी ह़ज़रते अ़ब्दुल मुत्त़लिब का बेटा था मगर इस की औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, स. 931)

ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?

ज़कात देना हर उस **आ़क़िल, बालिग़** और आज़ाद **मुसल्मान** पर **फ़र्ज़** है जिस में येह शराइत़ पाई जाएं :

(1) निसाब का मालिक हो ।

(2) येह निसाब **नामी** हो ।

(3) निसाब उस के **क़ब्ज़े** में हो ।

(4) निसाब उस की **ह़ाजते अस्लिय्या** (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से **ज़ाइद** हो ।

(5) निसाब दैन से **फ़ारिग़** हो (या'नी उस पर ऐसा क़र्ज़ न हो जिस का मुत़ालबा बन्दों की जानिब से हो, कि अगर वोह क़र्ज़ अदा करे तो उस का निसाब बाक़ी न रहे ।)

(6) इस निसाब पर **एक साल** गुज़र जाए ।

(मुलख़्ख़स़न, बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस़्सा : 5, स. 875 ता 884)

शराइत़ की तफ़्सील

निसाब का मालिक

मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास **साढ़े सात तोले सोना, या साढ़े बावन तोले चांदी,** या इतनी मालिय्यत की **रक़म**, या इतनी मालिय्यत का **माले तिजारत** या इतनी मालिय्यत का ह़ाजाते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से ज़ाइद **सामान** हो ।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस़्सा : 5, स. 902 ता 905, 928)

मालिके निसाब होने से पहले ज़कात दे दी तो ?

अगर पहले ज़कात दे दी फिर मालिके निसाब हुवा तो ऐसी सूरत में दिया गया माल **ज़कात** में शुमार नहीं होगा बल्कि उस की **ज़कात**

अलग से देना होगी। (الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوٰۃ،الباب الاول ج۱،ص۱۷۶)

माले ह़राम पर ज़कात

जिस का कुल माल ह़राम हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी क्यूं कि वह उस माल का **मालिक** ही नहीं है, दुर्रे मुख़्तार में है : "अगर कुल माल ह़राम हो तो उस पर ज़कात नहीं है।" (الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، ج۳،ص۲۵۹) **आ'ला ह़ज़रत,** इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : "चालीस्वां ह़िस्सा देने से वोह माल क्या पाक हो सकता है जिस के बाक़ी उन्तालीस ह़िस्से भी नापाक हैं।" (फ़तावा रज़विय्या, जि. 19, स. 656)

ऐसे शख़्स पर लाज़िम है कि तौबा करे और माले ह़राम से नजात ह़ासिल करे।

माले ह़राम से नजात का त़रीक़ा

शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना **अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास** अ़त्त़ार क़ादिरी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ अपने रिसाले "**पुर असरार भिकारी**" के सफ़ह़ा 27 पर लिखते हैं :

ह़राम माल की दो सूरतें हैं : **(1)** एक वोह **ह़राम माल** जो चोरी, रिश्वत, ग़स्ब और उन्हीं जैसे दीगर ज़राएअ़ से मिला हो इस को ह़ासिल करने वाला इस का अस्लन या'नी बिल्कुल मालिक ही नहीं बनता और इस माल के लिये शरअ़न फ़र्ज़ है कि जिस का है उसी को लौटा दिया जाए वोह न रहा हो तो वारिसों को दे और उन का भी पता न चले तो बिला निय्यते सवाब फ़क़ीर पर **ख़ैरात** कर दे **(2)** दूसरा वोह **ह़राम माल** जिस में क़ब्ज़ा कर लेने से मिल्के ख़बीस ह़ासिल हो जाती है और येह वोह माल है जो किसी अ़क़्दे फ़ासिद के ज़रीए ह़ासिल हुवा हो जैसे सूद या

दाढ़ी मूंडने या ख़श्ख़शी करने की उजरत वग़ैरा। इस का भी वोही हुक्म है मगर फ़र्क़ येह है कि इस को मालिक या इस के वुरसा ही को लौटाना फ़र्ज़ नहीं अव्वलन फ़क़ीर को भी बिला निय्यते सवाब **ख़ैरात** में दे सकता है। अलबत्ता **अफ़्ज़ल** येही है कि मालिक या वुरसा को लौटा दे।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 23, स. 551,552 वग़ैरह)

माले नामी का मत़लब

माले नामी के मा'ना हैं बढ़ने वाला माल, ख़्वाह ह़क़ीक़तन बढ़े या हुक्मन, इस की **3** सूरतें हैं :

(1) येह बढ़ना **तिजारत** से होगा, या

(2) अफ़्ज़ाइशे नस्ल के लिये **जानवरों** को जंगल में छोड़ देने से होगा, या

(3) वोह माल **ख़ल्क़ी** (या'नी पैदाइशी) त़ौर पर नामी होगा जैसे सोना चांदी वग़ैरा

(الفتاوی الھندیۃ، کتاب الزکوٰۃ، الباب الاول، ج۱، ص۱۷٤)

ह़ाजते अस्लिय्या किसे कहते हैं ?

ह़ाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उ़मूमन इन्सान को **ज़रूरत** होती है और उन के बिग़ैर गुज़र अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी मह़सूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इ़ल्मे दीन से मुतअ़ल्लिक़ किताबें, और पेशे से मुतअ़ल्लिक़ औज़ार वग़ैरा। (الھدایۃ، کتاب الزکوٰۃ، ج۱، ص۹٦)

मसलन जिन्हें मुख़्तलिफ़ लोगों से राबित़े की ह़ाजत होती हो उन के लिये टेलीफ़ोन या मोबाइल, जो लोग कम्प्यूटर पर किताबत करते हों या उस के ज़रीए़ रोज़गार कमाते हों उन के लिये कम्प्यूटर, जिन की नज़र कमज़ोर हो उन के लिये ऐ़नक या लेन्स, जिन लोगों को कम सुनाई

देता हो उन के लिये आलए समाअ़त, इसी त़रह़ सुवारी के लिये साइकल, मोटर साइकल या कार या दीगर गाड़ियां, या दीगर अश्या कि जिन के बिग़ैर अहले ह़ाजत का गुज़ारा मुश्किल से हो, ह़ाजते अस्लिय्या में से हैं।

साल कब मुकम्मल होगा ?

जिस तारीख़ और वक़्त पर आदमी साह़िबे निसाब हुवा जब तक निसाब रहे वोही **तारीख़** और **वक़्त** जब आएगा उसी **मिनट** साल **मुकम्मल** होगा। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 202)

मसलन ज़ैद के पास माहे रबीउ़न्नूर शरीफ़ की 12 तारीख़ या'नी ई़दे मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को दिन के बारह बजे साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बावन तोले चांदी या उस की क़ीमत के बराबर रक़म ह़ासिल हुई या माले तिजारत ह़ासिल हुवा तो साल गुज़रने के बा'द ई़दे मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (12 रबीउ़ल अव्वल) को दिन के 12 बजे अगर वोह निसाब का ब दस्तूर मालिक हुवा तो उस माल की **ज़कात** की अदाएगी उस पर फ़र्ज़ होगी। अगर अब बिला उ़ज़्रे शर्ई अदाएगी में ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा।

क़मरी महीनों का ए'तिबार होगा या शम्सी का ?

साल गुज़रने में **क़मरी** (या'नी चांद के) महीनों का ए'तिबार होगा। शम्सी महीनों का ए'तिबार **ह़राम** है।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 157)

दौराने साल निसाब में कमी होना

चूंकि ज़कात की फ़र्ज़िय्यत में साल के शुरूअ़ और आख़िर का ए'तिबार किया जाता है इस लिये अगर साल मुकम्मल होने पर निसाबे ज़कात पूरा है तो दौराने साल (निसाब में) होने वाली कमी का कोई नुक़्सान नहीं मौजूदा माल की ज़कात दी जाएगी।
(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،باب زکوٰۃ المال ،ج ۳،ص۲۷۸،و الفتاوی الھندیۃ،کتاب الزکوٰۃ ،الباب الاول فی نضیرھا....الخ،ج ۱،ص۱۷۵)

मसलन बक्र यकुम रमज़ान को 12 बजे साढ़े सात तोले सोने का मालिक बना, इसी लम्हे साल शुमार होना शुरूअ़ हो जाएगा, फिर शव्वाल में उस ने एक तोला सोना बेच दिया और निसाब में कमी वाक़ेअ़ हो गई, जब दोबारा रमज़ानुल मुबारक की आमद क़रीब हुई तो उसे शा'बान के महीने में कहीं से एक तोला सोना तोह़फ़े में मिला, चुनान्चे यकुम रमज़ान को 12 बजे वोह फिर से मालिके निसाब था लिहाज़ा अब उसे उस सोने की ज़कात अदा करना होगी क्यूं कि साल मुकम्मल हो गया।

दौराने साल निसाब में इज़ाफ़ा होना

जो शख़्स मालिके निसाब है अगर दरमियाने साल में कुछ और माल **उसी जिन्स** का ह़ासिल किया तो इस **नए माल** का जुदा साल नहीं, बल्कि **पहले माल का ख़त्मे साल** इस के लिये भी साले **तमाम** है, अगर्चे साले तमाम से एक ही **मिनट** पहले ह़ासिल किया हो, ख़्वाह वोह माल उस के पहले माल से ह़ासिल हुवा या मीरास व हिबा या और किसी जाइज़ ज़रीए़ से मिला हो और अगर **दूसरी जिन्स** का है मसलन पहले उस के पास ऊंट थे और अब बकरियां मिलीं तो उस के लिये जदीद साल शुमार होगा। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, मस्अला नम्बर : 43, स. 884)

नोट : इस सिल्सिले में सोना, चांदी, करन्सी नोट, सामाने तिजारत एक ही जिन्स शुमार होंगे। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 210)

मसलन ज़ैद को सालाना ग्यारहवीं शरीफ़ या'नी 11 रबीउ़ल ग़ौस के दिन 11000 रूपै ह़ासिल हुए फिर ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم या'नी 12 रबीउ़न्नूर को बत़ौरे मीरास 12000 रूपै ह़ासिल हुए। पच्चीस सफ़रुल मुज़फ़्फ़र (उ़र्से आ'ला ह़ज़रत رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡه) के दिन 25000 रूपै बत़ौरे तोह़फ़ा या मकान के किराए के 25000 रूपै ह़ासिल हुए। इस त़रह़ साल के आख़िर में ज़ैद के पास 48000 हज़ार रूपै जम्अ़ हो गए अब ज़ैद पर शरअ़न वाजिब है कि इन तमाम रूपौं की ज़कात निकाले क्यूं कि तमाम नोट एक दूसरे के हम जिन्स हैं लिहाज़ा दौराने साल जितने रूपै ह़ासिल होंगे इन सब का वोही साल शुमार किया जाएगा जो पिछले 11000 का था।

दौराने साल निसाब हलाक होना

अगर दौराने साल निसाब हलाक हो जाए कि उस का कोई भी ह़िस्सा न बचे तो **शुमारे साल** जाता रहा, जिस दिन **दोबारा** मालिके निसाब होगा उसी दिन नए सिरे से **ह़िसाब** किया जाएगा। मसलन यकुम मुह़र्रम को मालिके निसाब हुवा, सफ़र में सब माल सफ़र कर गया, रबीउ़न्नूर में फिर बहार आई तो इसी महीने से साल का आग़ाज़ होगा। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 89)

ज़मानए कुफ़्र की ज़कात

अगर पहले कोई **काफ़िर** था फिर मुसल्मान हुवा तो उस पर ह़ालते कुफ़्र की **ज़कात** की अदाएगी फ़र्ज़ नहीं है क्यूं कि **ज़कात** मुसल्मान पर फ़र्ज़ होती है काफ़िर पर नहीं।

(الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوٰۃ، ج۱، ص۱۷۱۔۱۷۵)

ना बालिग़ और पागल पर ज़कात

ना बालिग़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। **मज्नून** की चन्द सूरतें हैं :

(1) अगर जुनून पूरे साल को घेर ले तो ज़कात वाजिब नहीं, और

(2) अगर साल के अव्वल आख़िर में इफ़ाक़ा होता है, अगर्चे बाक़ी ज़माना जुनून में गुज़रता है तो **ज़कात** वाजिब है।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, स. 875)

मज्नून के साले ज़कात का आग़ाज़

जुनून दो क़िस्म का होता है :

(1) जुनूने अस्ली (2) जुनूने आ़रिज़ी

(1) अगर जुनूने **अस्ली** हो या'नी जुनून ही की ह़ालत में बालिग़ हुवा तो उस का साल होश आने से **शुरूअ़** होगा।

(2) और अगर **आ़रिज़ी** है मगर पूरे साल को घेर लिया तो जब इफ़ाक़ा होगा उस वक़्त से साल की **इब्तिदा** होगी।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, स. 875)

अम्वाले ज़कात

ज़कात तीन क़िस्म के **माल** पर है।

(1) **सोना चांदी।** (करन्सी नोट भी उन्ही के हुक्म में हैं बशर्ते कि उन का रवाज और चलन हो।)

(2) माले तिजारत।

(3) साइमा या'नी चराई पर छूटे जानवर।

(”الفتاوى الهندية“، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ١٧٤, फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 161, बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, स. 882, मस्अला : 33)

सोने चांदी का निसाब

सोने का निसाब बीस मिस्क़ाल या'नी साढ़े सात तोले है, जब कि **चांदी का निसाब** दो सो दिरहम या'नी साढ़े बावन तोले है।[1]

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, स. 902)

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जब तुम्हारे पास दो सो दिरहम हो जाएं और उन पर साल गुज़र जाए तो उन पर पांच दिरहम हैं और सोने में तुम पर कुछ नहीं है यहां तक कि बीस दीनार हो जाएं। जब तुम्हारे पास बीस दीनार हो जाएं और उन पर साल गुज़र जाए तो उन पर निस्फ़ दीनार ज़कात है।"

(سنن ابی داؤد ، کتاب الزکاۃ،باب فی زکاۃ السائمۃ،الحدیث۱۵۷۳،ج۲،ص۱۴۳)

कितनी ज़कात देना होगी ?

निसाब का चालीसवां ह़िस्सा (या'नी 2.5 %) **ज़कात** के तौर पर देना होगा। (फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

निसाब से ज़ाइद का हुक्म

अगर किसी के पास थोड़ा सा माल निसाब से ज़ाइद हो तो देखा जाएगा कि निसाब से ज़ाइद माल निसाब का पांचवां ह़िस्सा (ख़ुम्स) बनता है या नहीं ?

★ अगर बनता हो तो उस पर पांचवें ह़िस्से (ख़ुम्स) का भी अढ़ाई फ़ीसद या'नी चालीसवां ह़िस्सा **ज़कात** में देना होगा।

---

1. सुनारों के मुत़ाबिक़ साढ़े सात तोला सोना में तक़रीबन 87 ग्राम, 48 मिली ग्राम होते हैं और साढ़े बावन तोला चांदी तक़रीबन 612 ग्राम, 41 मिली ग्राम के बराबर है।

★ अगर ज़ाइद मिक़्दार पांचवें हि़स्से (ख़ुम्स) से कम है तो वोह **अ़फ़्व** है उस पर **ज़कात** नहीं होगी।

मसलन किसी के पास आठ तोले सोना है तो सिर्फ़ साढ़े सात तोले सोने की ज़कात देना होगी क्यूं कि ज़ाइद मिक़्दार (या'नी आधा तोला) निसाब के पांचवें हि़स्से (या'नी डेढ़ तोला) को नहीं पहुंचती है और अगर किसी के पास 9 तोला सोना हो तो वोह 9 तोला की **ज़कात** देगा। क्यूं कि येह ज़ाइद मिक़्दार (या'नी डेढ़ तोला) सोने के निसाब का पांचवां हि़स्सा बनती है। علیٰ ھذا القیاس

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 85)

निसाब और ख़ुम्स से ज़ाइद पर ज़कात

जो निसाब और ख़ुम्स से ज़ाइद हो मगर दूसरे ख़ुम्स से कम हो तो **अ़फ़्व** है उस पर ज़कात नहीं। मसलन अगर किसी के पास **10** तोले सोना हो तो वोह सिर्फ़ **9** तोले की ज़कात देगा, दसवां तोला मुआ़फ़ है। और अगर किसी के पास साढ़े दस तोले सोना हो तो वोह साढ़े दस तोले की ज़कात देगा क्यूं कि दूसरा ख़ुम्स मुकम्मल हो गया।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 85)

एक ही जिन्स के मुख़्तलिफ़ अम्वाल और ज़कात का हि़साब

अगर मुख़्तलिफ़ माल हों और कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो तमाम माल मसलन सोना, चांदी या माले तिजारत या करन्सी को **मिला** कर उस की **कुल मालिय्यत** निकाली जाएगी और उस की **ज़कात**

का ह़िसाब उस **निसाब** से लगाया जाएगा जिस में फ़ुक़रा का ज़ियादा **फ़ाएदा** हो मसलन अगर तमाम माल को चांदी शुमार कर के ज़कात निकालने में ज़कात **ज़ियादा** बनती है तो येही किया जाए और अगर सोना शुमार करने में ज़कात ज़ियादा बनती है तो इसी त़रह़ किया जाएगा और अगर दोनों सूरतों में **यक्सां** बनती है तो उस से ह़िसाब लगाएंगे जिस से ज़कात की अदाएगी का रवाज ज़ियादा हो, फिर अगर रवाज **यक्सां** हो तो ज़कात देने वाले को **इख़्तियार** है कि चाहे तो सोने के ह़िसाब से ज़कात दे या चांदी के ह़िसाब से।

फ़तावा शामी में है : "निसाब को पहुंचाने वाली क़ीमत ज़म के लिये मुतअ़य्यन होगी दूसरे की नहीं, और अगर दोनों से निसाब पूरा होता हो जब कि एक का ज़ियादा रवाज हो तो जो ज़ियादा राइज हो उसी के ह़िसाब से क़ीमत लगाई जाएगी।" (ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ المال، ج٣، ص٢٧١ ملخصاً)

शर्ह़े निक़ाया में है : "अगर दोनों (का रवाज) यक्सां हो तो मालिक को इख़्तियार होगा।" (شرح نقایہ، کتاب الزکوٰۃ، ج١، ص٣١٣)

अगर मुख़्तलिफ़ माल हों और हर एक निसाब को पहुंचता हो तो उस में 3 सूरतें मुम्किन हैं :

पहली : हर एक माल मह़्ज़ **मुकम्मल निसाब** पर मुश्तमिल हो, उस से कुछ **ज़ाइद** न हो, (मसलन साढ़े सात तोले सोना और साढ़े बावन तोले चांदी हो) तो ऐसी सूरत में अगर मिलाना चाहें तो वोह ह़िसाब लगाया जाएगा जिस में **ज़कात** ज़ियादा बनती हो।

(ماخوذ از بدائع الصنائع ،فصل واما مقدار الواجب فیه ،ج ٢، ص١٠٨)

दूसरी : निसाब को पहुंचने के बा'द तमाम अक़्साम के माल की कुछ मिक़्दारे **अ़फ़्व** (या'नी मुआ़फ़ शुदा मिक़्दार) ज़ाइद होगी तो हर माल की महूज़ इस **ज़ाइद मिक़्दारे अ़फ़्व** को आपस में मिला कर उस निसाब के मुत़ाबिक़ **ह़िसाब** लगाया जाएगा जिस में **ज़कात** ज़ियादा बने। (मसलन 8 तोले सोना और 53 तोले चांदी हो तो दोनों में आधा आधा तोला मिक़्दारे अ़फ़्व है इन दोनों को मिला कर ह़िसाब लगाया जाएगा।)

तीसरी : निसाब को पहुंचने के बा'द एक माल की कुछ मिक़्दारे **अ़फ़्व** (या'नी मुआ़फ़ शुदा मिक़्दार) ज़ाइद होगी जब कि दूसरा माल बिग़ैर अ़फ़्व के हो तो पहले माल की महूज़ इस **ज़ाइद मिक़्दारे** अ़फ़्व को दूसरे माल (बिग़ैर अ़फ़्व वाले) में मिलाएंगे मसलन सोने का निसाब मअ़ अ़फ़्व है और चांदी का निसाब बिग़ैर अ़फ़्व के तो सोने के महूज़ अ़फ़्व को चांदी में मिलाएंगे। (8 तोले सोना और साढ़े बावन तोले चांदी हो तो सोने की ज़ाइद मिक़्दार (अ़फ़्व) को चांदी में मिला कर ह़िसाब लगाया जाएगा।)

(ماخوذازالفتاوىٰ الهنديه،كتاب الزكوٰة، الباب الاول ،الفصل الاول فى زكوٰة الذهب والفضة ، ج١، ص١٧٩ व फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 116)

अगर सोने का निसाब मुकम्मल हो और चांदी का ना मुकम्मल

दोनों में से जिस का निसाब (बिग़ैर अ़फ़्व के) मुकम्मल होगा उस में दूसरे माल को मिला देंगे मसलन साढ़े बावन तोले चांदी है और सोना 4 तोले तो सोने को चांदी में मिला देंगे और अगर उस के बर अ़क्स हो या'नी सोना साढ़े सात तोले और चांदी 40 तोले हो तो चांदी को सोने में मिलाएंगे। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 115)

ज़कात में सोने चांदी की क़ीमत देना

ज़कात में सोने या चांदी की जगह उन की **क़ीमत** दे देना **जाइज़ है,** दुर्रे मुख़्तार में है : "ज़कात में क़ीमत दे देना भी जाइज़ है।"

(الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الغنم، ج٣، ص ٢٥٠)

क़ीमत की ता'रीफ़

शरअ़न क़ीमत उस को कहते हैं जो उस चीज़ का बाज़ार में भाव हो, इत्तिफ़ाक़ी तौर पर या भाव ताव करने के बा'द कमी या ज़ियादती के साथ कोई चीज़ ख़रीद ली जाए तो उस को क़ीमत नहीं कहेंगे (बल्कि समन कहेंगे)। (फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 382)

किस भाव का ए'तिबार होगा ?

जिस मक़ाम पर अश्या वाक़ेई हुकूमती रेट के मुताबिक़ फ़रोख़्त होती हों वहां उसी रेट का ए'तिबार होगा और अगर हुकूमती रेट और बाज़ार के भाव में फ़र्क़ हो तो बाज़ार के भाव का ए'तिबार होगा।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 386, मुलख़्ख़सन)

किस जगह की क़ीमत ली जाएगी ?

क़ीमत उस जगह की होनी चाहिये जहां माल है।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 18, स. 908)

क़ीमत किस दिन की मो'तबर है ?

क़ीमत न तो बनवाने के वक़्त की मो'तबर है न अदाएगिये ज़कात के वक़्त की बल्कि जब ज़कात का साल **पूरा** हुवा उसी **वक़्त** की क़ीमत का **हिसाब** लगाया जाएगा।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 133)

सोने चांदी की ज़कात का ह़िसाब कैसे लगाएं ?

इस की दो सूरतें हैं :

(1) आप **रक़म** की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं.... या

(2) सोने या **चांदी** की सूरत में ।

(1) अगर रक़म की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं तो **आसान तरीन ह़िसाब** येह है कि **ज़कात** का साल पूरा होने पर उन की क़ीमत मा'लूम कर लें फिर उस का 2.5 % (या'नी हर सो रूपै पर अढ़ाई रूपै) बत़ौरे ज़कात अदा कर दें । इस त़रह़ चाहे थोड़ी रक़म ज़ाइद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यक़ीनी है और ज़ाइद रक़म नफ़्ली सदक़ा शुमार होगी । (ज़ाइद रक़म कैसे जाएगी इस की वज़ाह़त के लिये इसी किताब के सफ़ह़ा नम्बर 27 को दोबारा मुलाह़ज़ा कर लीजिये ।)

(2) अगर आप सोने की ज़कात सोने की सूरत में या चांदी की ज़कात चांदी की सूरत में देना चाहते हैं तो उस का भी चालीसवां ह़िस्सा (या'नी 2.5%) **बत़ौरे ज़कात** देना होगा । **उस का ह़िसाब** यूं लगाएंगे कि (सुनार से ह़ासिल की गई मा'लूमात के मुत़ाबिक़) एक तोला तक़रीबन 11 ग्राम 665 मिली ग्राम के बराबर होता है । लिहाज़ा साढ़े सात तोले की ज़कात (2.5%) तक़रीबन 2 ग्राम 187 मिली ग्राम सोना और साढ़े बावन तोले चांदी की ज़कात (2.5%) तक़रीबन 15 ग्राम 310 मिली ग्राम चांदी बनेगी ।

और अगर आप के पास **निसाब से थोड़ी ज़ाइद सोना या चांदी हो तो आसानी** इसी में है कि सोने की कुल मिक़्दार का अढ़ाई फ़ीसद या चांदी की कुल मिक़्दार का **अढ़ाई फ़ीसद बत़ौरे ज़कात** अदा

कर दीजिये कि इस त़रह़ चाहे कुछ मिक़्दार ज़ाइद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यक़ीनी है और ज़ाइद मिक़्दार नफ़्ली सदक़ा शुमार होगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा जिल्द : 10, व बहारे शरीअ़त हि़स्सए पन्जुम)

नोट : ज़कात का पूरा पूरा हि़साब जानने के लिये ''बहारे शरीअ़त'' हि़स्सा : 5 का मुत़ालआ़ कर लीजिये।

खोट का हुक्म

अगर सोने चांदी में खोट हो तो उस की **3 सूरतें हैं :**

(1) अगर सोना या चांदी खोट पर **ग़ालिब** हों तो कुल सोना या चांदी क़रार पाएगा और कुल पर **ज़कात** वाजिब है।

(2) अगर खोट सोने चांदी के बराबर हो तो भी **ज़कात** वाजिब है।

(3) अगर खोट ग़ालिब हो तो सोना चांदी नहीं फिर उस की **2 सूरतें** हैं।

(i) अगर उस में सोना चांदी इतनी **मिक़्दार** में हो कि जुदा करें तो **निसाब** को पहुंच जाए या वोह निसाब को नहीं पहुंचता मगर उस के पास और **माल** है कि उस से मिल कर निसाब हो जाएगी या वोह **समन** में चलता है और उस की क़ीमत निसाब को पहुंचती है तो इन सब सूरतों में **ज़कात वाजिब है,** .... और

(ii) अगर इन सूरतों में कोई न हो तो उस में अगर तिजारत की निय्यत हो तो ब शराइत़ तिजारत उसे **माले तिजारत** क़रार दें और उस की क़ीमत **निसाब** की क़दर हो, ख़ुद या औरों के साथ मिल कर तो **ज़कात** वाजिब है वरना नहीं। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, मस्अला नम्बर : 6, स. 904)

पहनने वाले ज़ेवरात की ज़कात

पहनने के ज़ेवरात पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी।

(الدر المختار وردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،باب زکوٰۃ المال ،ج١،ص ٢٧٠،ملخصاً)

आग के कंगन

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अनिल उ़यूब صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की खि़दमत में एक औ़रत आई, उस के साथ उस की बेटी भी थी, जिस के हाथ में सोने के मोटे मोटे **कंगन** थे। आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने उस औ़रत से पूछा "क्या तुम इन की **ज़कात** अदा करती हो ?" उस औ़रत ने अ़र्ज़ की "जी नहीं।" आप ने इर्शाद फ़रमाया "क्या तुम इस बात से खु़श हो कि कि़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला तुम्हें इन कंगनों के बदले **आग के कंगन** पहना दे ?"

येह सुनते ही उस ने वोह कंगन रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के आगे डाल दिये और कहा : "येह **अल्लाह** तआ़ला और उस के रसूल (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) के लिये हैं।"

(سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ،باب الکنزماھو؟الحدیث ١٥٦٣،ج٢،ص١٣٧)

सोने चांदी के ज़ेवरात और बरतनों की ज़कात

अगर सोने, चांदी के ज़ेवरात या बरतनों वगै़रा की **ज़कात** रूपौं में दें तो अस्ल सोने या चांदी की क़ीमत लेंगे।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

सोने चांदी के बरतनों का इस्ति'माल

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِى बहारे शरीअ़त ह़िस्सा 16 सफ़्ह़ा 38, 39 पर लिखते हैं :

★ सोने चांदी के बरतन में खाना पीना और उन की प्यालियों से तेल लगाना या उन के इत्रदान से इत्र लगाना या उन की अंगेठी से बख़ूर करना (या'नी धूनी लेना) मन्अ़ है और येह मुमानअ़त मर्द व औ़रत दोनों के लिये है।

★ सोने चांदी के चम्चे से खाना, उन की सलाई या सुरमा दानी से सुरमा लगाना, उन के आईने में मुंह देखना, उन की क़लम दवात से लिखना, उन के लोटे या त़श्त से वुज़ू करना या उन की कुर्सी पर बैठना, मर्द व औ़रत दोनों के लिये मम्नूअ़ है।

★ चाय के बरतन सोने चांदी के इस्ति'माल करना ना जाइज़ है।

★ सोने चांदी की चीज़ें मह़ज़ मकान की आराइश व ज़ीनत के लिये हों, मसलन क़रीने से येह बरतन व क़लम व दवात लगा दिये, कि मकान आरास्ता हो जाए इस में ह़रज नहीं। यूहीं सोने चांदी की कुर्सियां या मेज़ या तख़्त वग़ैरा से मकान सजा रखा है, उन पर बैठता नहीं है तो ह़रज नहीं।

जहेज़ की ज़कात

जहेज़ चूंकि औ़रत की मिल्क होता है लिहाज़ा फ़र्ज़ होने की सूरत में उस की ज़कात भी औ़रत को देना होगी।

बीवी के ज़ेवर की ज़कात

अगर शोहर ने बीवी को ज़ेवर बनवा कर दिया हो तो अगर वोह ज़ेवर बीवी की मिल्किय्यत में दे चुका है तो ज़कात बीवी अदा करेगी और अगर महज़ पहनने के लिये दिया है और मालिक शोहर ही है तो शोहर ज़कात अदा करेगा।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 133)

शोहर के समझाने के बा वुजूद बीवी ज़कात न दे तो ?

अगर शोहर के समझाने के बा वुजूद ज़ौजा ज़ेवर की ज़कात न दे तो इस का वबाल शोहर पर नहीं आएगा। कुरआने पाक में है :

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۙ (پ۲۷: النجم ۳۸)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : कि कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ नहीं उठाती।

हां ! इस पर मुनासिब अन्दाज़ में समझाना लाज़िम है कि कुरआने पाक में है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (پ ۲۸، التحريم ٦)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस के ईंधन आदमी और पथ्थर हैं।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 132)

रह्न रखे गए ज़ेवर की ज़कात

रह्न रखे ज़ेवर की ज़कात न रखने वाले (या'नी मुरतहिन) पर है न रखवाने वाले (या'नी राहिन) पर क्यूं कि रखने वाले की मिल्क नहीं और रखवाने वाले के क़ब्ज़े में नहीं। और जब रह्न रखने वाला उस ज़ेवर को वापस लेगा तो गुज़श्ता सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 146)

अगर शोहर ने बीवी का ज़ेवर रह्न रखवाया हो तो ?

रह्न रखा गया ज़ेवर ज़कात के हि़साब में शामिल नहीं होगा।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 147)

ज़ेवर की गुज़श्ता सालों की ज़कात अदा करने का त़रीक़ा

अगर किसी के पास ज़ेवर हो और उस ने कई साल से ज़कात अदा न की हो तो गुज़श्ता सालों की ज़कात का हि़साब लगाने के लिये देखा जाएगा कि साहि़बे निसाब होने के बा'द **मिक़्दारे ज़ेवर** में कोई **कमी बेशी** हुई या नहीं। **अगर नहीं हुई** तो **पहला साल** ख़त्म होने के दिन ज़ेवर की क़ीमत मा'लूम कर ले और उस की ज़कात अदा करे फिर अगर बच रहने वाला ज़ेवर निसाब को पहुंचे तो उस की **दूसरे साल** के इख़्तिताम के दिन की क़ीमत मा'लूम कर के ज़कात दे, इस के बा'द भी बच रहने वाला ज़ेवर निसाब को पहुंचे तो **तीसरे साल** के इख़्तितामी दिन पर ज़ेवर की क़ीमत मा'लूम करे और **ज़कात** दे। علیٰ ھذا القیاس

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 128)

और अगर ज़ेवर की मिक़्दार में **कमी हुई हो या इज़ाफ़ा हुवा** हो तो हर साल के इख़्तितामी दिन पर **कमी** को निसाब से मिन्हा (या'नी ख़ारिज) कर ले और क़ीमत मा'लूम कर के ज़कात अदा करे और अगर **इज़ाफ़ा हुवा** हो तो निसाब में शामिल कर के ज़कात अदा करे।

सोने का ना जाइज़ इस्ति'माल करने वाले पर ज़कात है या नहीं ?

सोना चांदी का इस्ति'माल चाहे मालिक के लिये जाइज़ हो या न हो, उस पर उन की **ज़कात** देना वाजिब है। दुर्रे मुख़्तार में है : "इन दोनों (या'नी सोना और चांदी) से बनी हुई अश्या में चालीसवां हिस्सा **ज़कात** लाज़िम है अगर्चे येह डली की सूरत में हों या ज़ेवरात की सूरत में, इन का इस्ति'माल **जाइज़ हो या मम्नूअ़ ।"**

(الدر المختار وردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،باب زکوٰۃ المال ،ج۱،ص ۲۷۰،ملخصاً)

हीरों और मोतियों पर ज़कात

हीरों और मोती पर **ज़कात** वाजिब नहीं अगर्चे हज़ारों के हों, हां ! अगर **तिजारत** की निय्यत से लिये तो ज़कात वाजिब है।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ ،ج۳،ص ۲۳۰)

सोने या चांदी की कढ़ाई पर ज़कात

अगर कपड़ों पर सोने या चांदी की कढ़ाई करवाई हो तो उस पर भी ज़कात होगी।

(फ़तावा अम्जदिय्या, किताबुज़्ज़कात जि. 1, स. 377)

हज के लिये जम्अ़ की जाने वाली रक़म पर ज़कात

सफ़रे हज व ज़ियारते मदीना के लिये जम्अ़ की जाने वाली रक़म पर भी वुजूबे ज़कात की शराइत़ पूरी होने पर **ज़कात** देना होगी।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 140)

माले तिजारत और उस की ज़कात

माले तिजारत किसे कहते हैं ?

माले तिजारत उस माल को कहते हैं जिसे बेचने की **निय्यत** से ख़रीदा गया है और अगर ख़रीदने या मीरास में मिलने के **बा'द** तिजारत की **निय्यत** की तो अब वोह माले तिजारत **नहीं** कहलाएगा।

(ماخوذ از ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،باب زکوٰۃالمال، ج۳،ص۲۲۱)

मसलन ज़ैद ने मोटर साइकल इस निय्यत से ख़रीदी कि उसे बेच दूंगा और नफ़्अ़ कमाऊंगा तो येह माले तिजारत है और अगर अपने इस्ति'माल के लिये ख़रीदी थी, उस वक़्त बेचने की निय्यत नहीं थी सिर्फ़ इस्ति'माल की थी मगर ख़रीदने के बा'द निय्यत कर ली कि अच्छे दाम मिलेंगे तो बेच दूंगा या पुख़्ता निय्यत ही कर ली कि अब इस को बेच डालना है तब भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी क्यूं कि ख़रीदते वक़्त की निय्यत पर ज़कात के अह़काम मुरत्तब होंगे।

विरासत में छोड़ा हुवा माले तिजारत

अगर किसी ने विरासत में माले तिजारत छोड़ा तो अगर उस के मरने के बा'द वारिसों ने **तिजारत की निय्यत** कर ली तो **ज़कात** वाजिब है। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, मस्अला : 36, स. 883)

माले तिजारत का निसाब

माले तिजारत की कोई भी चीज़ हो, जिस की क़ीमत सोने या चांदी के निसाब (या'नी साढ़े सात तोले सोने या साढ़े बावन तोले चांदी की क़ीमत) को पहुंचे तो उस पर भी **ज़कात** वाजिब है।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला : 4, ह़िस्सा : 5, स. 903)

माले तिजारत की ज़कात

क़ीमत का चालीसवां हिस़्सा (या'नी 2.5%) ज़कात के त़ौर पर देना होगा। (फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

माले तिजारत के नफ़्अ़ पर ज़कात

ज़कात माले तिजारत पर फ़र्ज़ होगी न सिर्फ़ नफ़्अ़ पर बल्कि साल मुकम्मल होने पर नफ़्अ़ की मौजूदा मिक़्दार और माले तिजारत **दोनों पर ज़कात है।**

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 158)

माले तिजारत की ज़कात का हिसाब

माले तिजारत की ज़कात देने के लिये उस की क़ीमत लगवा ली जाए फिर उस का **चालीसवां हिस़्सा** ज़कात दे दी जाए।

(माख़ूज़न अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

क़ीमत वक़्ते ख़रीदारी की या साल तमाम होने की ?

माले तिजारत में साल गुज़रने पर जो क़ीमत होगी उस का ए'तिबार है। (बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस़्सा : 5, मस्अला : 16, स. 907)

होलसेल कारोबार करने वाले के लिये ज़कात अदा करने का त़रीक़ा

होलसेल का कारोबार करने वाला शख़्स जिस दिन जिस वक़्त मालिके निसाब हुवा था दीगर शराइत़ पाए जाने और **साल गुज़रने** पर जब वोह दिन वोह वक़्त आए तो जितना माल **मौजूद** है हिसाब लगा कर उस की फ़ौरन ज़कात अदा करे और जो **उधार** में गया हुवा है उस का हिसाब अपने पास मह़फ़ूज़ कर ले और जब उस में से मिक़्दारे निसाब का

पांचवां हिस्सा वुसूल हो तो उस वुसूल शुदा हिस्से की ज़कात की अदाएगी करे, उसी हिसाब से जितना माल मिलता जाए उतने हिस्से की ज़कात अदा करता जाए। (ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی وجوب الزکوٰۃ...الخ،ج۳،ص۲۸۱) लेकिन आसानी इसी में है कि उधार में गए हुए माल की ज़कात भी अभी अदा कर दे ताकि बार बार हिसाब से नजात मिले।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 133)

उधार में लिया हुवा माल

उधार में लिये हुए माल को अस्ल माल से तफ़रीक़ करे जो बाक़ी बचे उस की **ज़कात** अदा करे।

होलसेल (थोक) के निर्ख़ का ए'तिबार होगा या रिटेल (परचून) का

होलसेल का कारोबार करने वाले होलसेल के निर्ख़ के ए'तिबार से और परचून का कारोबार करने वाले रीटेल (परचून) के निर्ख़ के ए'तिबार से क़ीमत निकालेंगे।

हिसाब का त़रीक़ा

माले तिजारत की ज़कात देने वाले को चाहिये कि वोह ज़कात का हिसाब इस त़रह़ करे :

मौजूदा सामाने तिजारत की क़ीमत	: ....
करन्सी नोट	: ....
उधार में गई हुई रक़म	: ....
उधार में गया हुवा सामाने तिजारत	: ....
मीज़ान	: ....

फिर उस में से उधार ली हुई रक़म या उधार में लिये हुए सामाने तिजारत की क़ीमत **तफ़रीक़** कर दे अब जो बाक़ी बचे उस का अढ़ाई फ़ीसद (2.5%) बतौरे ज़कात अदा करे। **याद रहे** कि उधार में गई हुई रक़म या सामाने तिजारत की ज़कात फ़िलहाल अदा करना वाजिब नहीं, लेकिन **आसानी** की ख़ातिर उसे हिसाब में शामिल किया गया है।

क्या हर साल ज़कात देना होगी ?

माले तिजारत जब तक ख़ुद या दीगर अम्वाल से मिल कर निसाब को पहुंचता रहेगा, वुजूबे ज़कात की दीगर शराइत मुकम्मल होने पर उस पर **हर साल** ज़कात वाजिब होती रहेगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 155)

ख़रीदने के बा'द निय्यत बदल जाना

अगर किसी ने कोई चीज़ मसलन कार वग़ैरह तिजारत की निय्यत से ख़रीदी, मगर जब देखा येह कार इस्ति'माल के लिये बेहतर है, तो बेचने का इरादा तर्क कर दिया, कुछ दिनों बा'द उसे रक़म की ज़रूरत पेश आ गई, उस ने कार को बेचने की निय्यत कर ली मगर साल भर तक न बिक सकी तो उस कार पर ज़कात नहीं बनेगी, क्यूं कि अगर माले तिजारत के बारे में एक मरतबा तिजारत की निय्यत तब्दील हो गई या उस को बेचने का इरादा तर्क कर दिया फिर उस पर तिजारत की निय्यत की तो वोह चीज़ दोबारा माले तिजारत नहीं बन सकती।

दुकान की ज़कात

कारोबार के लिये दुकान ख़रीदी तो शामिले निसाब नहीं होगी। फ़तावा शामी में है : "दुकानों और जागीरों में (ज़कात नहीं)।"

(الدر المختار وردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی زکوٰۃ ثمن المبیع، ج٣،ص٢١٧)

एडवान्स पर ज़कात

किराए पर दुकान या मकान लेने के लिये एडवान्स दिया, निसाब में शामिल होगा क्यूं कि दुकान या मकान किराए पर लेने के लिये दिया जाने वाला एडवान्स या डिपॉज़िट हमारे उ़र्फ़ में क़र्ज़ की एक सूरत है। लिहाज़ा येह भी शामिले निसाब होगा। (वक़ारुल फ़तावा, जि. 1, स. 239)

धोबी के साबुन और रंगसाज़ के रंग पर ज़कात

इस सिल्सिले में **उसूल** येह है कि ऐसी चीज़ ख़रीदी जिस से कोई काम करेगा और काम में उस का **असर** बाक़ी रहेगा और वोह ब क़दरे निसाब हो तो उस पर साल गुज़रने पर **ज़कात** फ़र्ज़ हो जाएगी और अगर वोह ऐसी चीज़ हो जिस का **असर** बाक़ी नहीं रहता तो अगर्चे ब क़दरे निसाब हो और साल भी गुज़र जाए **ज़कात** फ़र्ज़ नहीं होगी। चुनान्चे धोबी पर साबुन की **ज़कात** फ़र्ज़ नहीं है क्यूं कि धोबी का साबुन **फ़ना** (या'नी ख़त्म) हो जाता है लिहाज़ा ऐसी चीज़ पर **ज़कात** नहीं जब कि **रंगसाज़** पर ज़कात होगी क्यूं कि रंग कपड़े पर बाक़ी रहता है इस लिये उस पर **ज़कात** होगी।

(الفتاوی الھندیة، کتاب الزکوٰۃ، الباب الاول، ج۱، ص۱۷۲ ملخصاً)

ख़ुश्बू बेचने वाले की शीशियों पर ज़कात

इत्र फ़रोश के पास **2** क़िस्म की शीशियां होती हैं : **एक** वोह छोटी शीशियां जो इत्र के साथ फ़रोख़्त होती हैं, उन पर **ज़कात** होगी और **दूसरी** वोह बड़ी बोतलें या शीशे के जार जिन में इत्र भर कर दुकान या घर पर रखते हैं बेचते नहीं हैं, उन पर **ज़कात** नहीं है।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، مطلب فی زکوٰۃ ثمن...الخ، ج۳، ص۲۱۸ ملخصاً)

नानबाई पर ज़कात

नानबाई (या'नी रोटियां पकाने वाला) रोटी पकाने के लिये जो **लकड़ियां** या आटे में डालने के लिये **नमक** ख़रीदता है, उन में **ज़कात** नहीं और रोटियों पर लगाने के लिये **तेल** ख़रीदे तो उन में **ज़कात** है। (الفتاوی الھندیۃ،کتاب الزکوٰۃ،الباب الاول،ج۱،ص۱۸۰)

किताबों पर ज़कात

अगर किसी के पास बहुत सारी किताबें हों तो उस पर **ज़कात** वाजिब नहीं होगी क्यूं कि किताबों पर ज़कात वाजिब नहीं जब कि **तिजारत** के लिये न हों।

(الدر المختار وردالمحتار،کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی زکوٰۃ ثمن المبیع،ج۳،ص۲۱۷)

किराए पर दिये गए मकान पर ज़कात

वोह मकानात जो किराए पर उठाने के लिये हों अगर्चे पचास करोड़ के हों उन पर **ज़कात** नहीं है, हां ! उन से ह़ासिल होने वाला नफ़्अ़ तन्हा या दीगर माल के साथ मिल कर **निसाब** को पहुंच जाए तो ज़कात की दीगर शराइत़ पाए जाने पर उस पर **ज़कात** देना होगी।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 161 मुलख़्ख़सन)

किराए पर चलने वाली गाड़ियों और बसों पर ज़कात

किराए पर चलने वाली गाड़ियों या बसों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, हां ! उन की **आमदनी** पर फ़र्ज़ होगी।

(फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, किताबुज़्ज़कात, जि. 1, स. 306)

घरेलू सामान पर ज़कात

जिस के पास टीवी, कम्प्यूटर, फ़्रीज और वॉशिंग मशीन (ओवन, ए.सी) वग़ैरा हों तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इस लिये कि येह सब घरेलू सामान हैं, ख़्वाह उन्हें इस्ति'माल करता हो या नहीं क्यूं कि येह **माले नामी** नहीं हैं। (वक़ारुल फ़तावा, किताबुज़्ज़कात, जि. 2, स. 389)

सजावट की अश्या पर ज़कात

मकान की सजावट की अश्या मसलन तांबे, चीनी के बरतन वग़ैरा पर **ज़कात** नहीं, अगर्चे लाखों रूपै की हों।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 161)

बैआ़ना में दी गई रक़म पर ज़कात

हमारे हां बैआ़ना ज़रे ज़मानत के तौ़र पर उ़मूमन ख़रीदो फ़रोख़्त से पहले इस लिये दिया जाता है कि उस चीज़ को हम ही ख़रीदेंगे। येह बैआ़ना महूज़ **अमानत** या इजाज़ते इस्ति'माल की सूरत में **क़र्ज़** होता है, दोनों सूरतों में येह बैआ़ना भी **शामिले** निसाब होगा।

(माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 149)

ख़रीदी गई चीज़ पर क़ब्ज़े से पहले ज़कात

अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी मगर क़ब्ज़ा नहीं किया तो ऐसी सूरत में ख़रीदार या बेचने वाले किसी पर **ज़कात** नहीं। ख़रीदार पर इस लिये नहीं कि क़ब्ज़ा न होने के सबब उस की **मिल्क**

कामिल नहीं हुई जो कि वुजूबे ज़कात के लिये **शर्त्** है और बेचने वाले पर इस लिये नहीं कि बेच देने के सबब वोह उस का **मालिक** न रहा, हां ! **क़ब्ज़ा** होने के बा'द ख़रीदार को इस साल की भी **ज़कात** देना होगी । सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ اللهِ الۡغَنِى **बहारे शरीअ़त** जि. 1, ह़िस्सा : 5, सफ़ह़ा : 878 में लिखते हैं : जो माल तिजारत के लिये ख़रीदा और साल भर तक उस पर क़ब्ज़ा न किया तो क़ब्ज़े के क़ब्ल मुश्तरी पर **ज़कात** वाजिब नहीं और क़ब्ज़े के बा'द उस साल की भी **ज़कात** वाजिब है ।

(الدرالمختار و ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، مطلب في زکاۃ ثمن المبیع وفاء، ج۳، ص۲۱۵،

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला : 16, ह़िस्सा : 5, स. 878)

करन्सी नोट की ज़कात

करन्सी नोट की ज़कात भी वाजिब है, जब तक उन का रवाज और चलन हो ।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला नम्बर : 9, ह़िस्सा : 5, स. 905)

नोट का निसाब

जब नोटों की क़ीमत सोने या चांदी के निसाब को पहुंचे तो उन पर भी ज़कात वाजिब है ।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, मस्अला नम्बर : 9, ह़िस्सा : 5, स. 40)

नोट की ज़कात का ह़िसाब

निसाब का चालीसवां ह़िस्सा (या'नी 2.5%) ज़कात के त़ौर पर देना होगा ।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

करन्सी नोटों की ज़कात का जद्वल

रक़म	ज़कात	रक़म	ज़कात
सो रूपै	2.5 (या'नी अढ़ाई रूपै)	दस लाख रूपै	25, 000 रूपै
हज़ार रूपै	25 रूपै	एक करोड़ रूपै	2, 50, 000, रूपै
दस हज़ार रूपै	250 रूपै	दस करोड़ रूपै	25, 00, 000
एक लाख रूपै	2, 500 रूपै	एक अरब	2, 50, 00000

बेटियों की शादी के लिये जम्अ़ की गई रक़म पर ज़कात

अगर बेटियों की शादी के लिये रक़म जम्अ़ की और उन के बालिग़ होने से पहले उन की **मिल्क** कर दिया तो बच्चियों के **बालिग़** होने तक उन पर **ज़कात** फ़र्ज़ नहीं होगी क्यूं कि ना बालिग़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती और बालिग़ होने के बा'द अगर शराइत़ पाई गईं तो उन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 144)

अमानत में दी गई रक़म पर ज़कात

मालिक की इजाज़त से अमानत की रक़म ख़र्च की तो उस की ज़कात मालिक के ज़िम्मे है। (ह़बीबुल फ़तावा, स. 637)

इन्श्योरन्स की रक़म पर ज़कात

इन्श्योरन्स में जम्अ़ करवाई गई रक़म अगर तन्हा या दीगर अम्वाल से मिल कर निसाब को पहुंचती है तो उस पर भी ज़कात होगी।

ह़ज के लिये जम्अ़ करवाई गई रक़म पर ज़कात

उ़मूमन ह़ज के लिये जम्अ़ कराई गई रक़म में से कुछ **किरायों** के मद में काट ली जाती है और कुछ ह़ाजी को अ़रब शरीफ़ में दीगर **अख़राजात** के लिये दी जाती है। किरायों की मद में कट जाने वाली रक़म ह़ाजी की **मिल्किय्यत** न रही क्यूं कि इजारे में बत़ौरे एडवान्स दी जाने वाली रक़म मालिक की **मिल्क** नहीं रहती बल्कि लेने वाले की **मिल्क** हो जाती है चुनान्चे येह रक़म **शामिले निसाब** न होगी। दियारे अ़रब में मिलने वाली रक़म इसी की **मिल्किय्यत** है और इस का हुक्म हमारे उ़र्फ़ में **क़र्ज़** का है, इस लिये अगर येह रक़म तन्हा या दीगर अम्वाल से मिल कर **निसाब** को पहुंच जाए और उन अम्वाल पर साल भी पूरा हो चुका हो तो उस की ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी लेकिन जम्अ़ करवाई गई रक़म की ज़कात उस **वक़्त** देना वाजिब है जब मिक़्दारे निसाब का कम अज़ कम **पांचवां ह़िस्सा** वुसूल हो जाए।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा अहले सुन्नत, सिलसिला नम्बर : 4, स. 27, 28)

प्रोविडन्ट फ़न्ड पर ज़कात

चूंकि येह फ़न्ड मालिक की **मिल्क** होता है इस लिये अगर मुलाज़िम मालिके निसाब है तो जब से येह रक़म जम्अ़ होना शुरूअ़ हुई उसी वक़्त से इस रक़म की भी **ज़कात** हर साल फ़र्ज़ होती रहेगी। (फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, ह़िस्सए अव्वल, स. 479) लेकिन **अदाएगी** उस वक़्त वाजिब होगी जब मिक़्दारे निसाब का कम अज़ कम **पांचवां ह़िस्सा** वुसूल हो जाए।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, जि. 1, स. 320)

मुलाज़िमीन को मिलने वाले बोनस पर ज़कात

सरकारी या निजी इदारों के मुलाज़िमीन को साल के आख़िर पर कुछ मख़्सूस रक़म तनख़्वाह के इलावा भी दी जाती है जिसे बोनस कहते हैं। येह एक त़रह़ का **इन्आ़म** है जिस की शर्ई ह़ैसिय्यत **माले मोहूब** (या'नी हिबा किये हुए माल) की है चुनान्चे उस पर क़ब्ज़े के बिग़ैर **मिल्किय्यत** साबित नहीं होगी, मुलाज़िम बा'दे क़ब्ज़ा ही उस का मालिक होगा फिर अगर वोह तन्हा या दीगर अम्वाले ज़कात से मिल कर निसाब को पहुंचे तब उस पर ज़कात वाजिब होगी। (जदीद मसाइले ज़कात, स. 4)

बैंक में जम्अ़ करवाई गई रक़म पर ज़कात

बैंक में रक़म अगर्चे अमानत के त़ौर पर रखवाई जाती है मगर हमारे उ़र्फ़ में **क़र्ज़** शुमार होती है क्यूं कि देने वाले को मा'लूम होता है कि उस की रक़म बैंक इन्तिज़ामिया कारोबार वग़ैरा में लगाएगी। चुनान्चे उस रक़म पर भी **ज़कात** वाजिब होगी मगर अदा उस वक़्त की जाएगी जब निसाब का कम अज़ **पांचवां ह़िस्सा** वुसूल हो जाए।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, किताबुज़्ज़कात, जि. 1, स. 368)

फ़क़ीहे आ'ज़मे हिन्द ह़ज़रते अ़ल्लामा मुफ़्ती मुह़म्मद शरीफ़ुल ह़क़ अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِی फ़तावा अम्जदिय्या के ह़ाशिये में लिखते हैं : आसानी इसी में है कि जितने रूपै जम्अ़ हों, सब की **ज़कात** साल ब साल देता जाए। मा'लूम नहीं कब मौत आए और वारिसीन, ज़कात दें न दें, शैत़ान को बहकाते देर नहीं लगती।

बीसी (कमेटी) की रक़्म पर ज़कात

बीसी (कमेटी) का मुआ़मला भी **क़र्ज़** की त़रह़ है, लिहाज़ा देखा जाएगा कि उस को बीसी (कमेटी) मिल चुकी है या नहीं ? पूरी कमेटी मिलने की सूरत में उस की भरी हुई रक़्म पर **ज़कात** होगी जितनी रक़्म भरना बाक़ी है वोह निसाब में शामिल नहीं होगी क्यूं कि येह उस पर एक त़रह़ से **क़र्ज़** है।

और अगर बीसी (कमेटी) नहीं मिली तो निसाब पूरा होने और दीगर शराइत़े ज़कात पाए जाने की सूरत में साल गुज़रने पर **ज़कात** फ़र्ज़ हो जाएगी लेकिन अदाएगी उस वक़्त लाज़िम होगी जब मिक़्दारे निसाब का कम अज़ कम **पांचवां ह़िस्सा** वुसूल हो जाए, लिहाज़ा ! इस वुसूल शुदा ह़िस्से की **ज़कात** अदा की जाएगी।

(फ़तावा अहले सुन्नत, सिल्सिला नम्बर : 4, स. 10, मुलख़्ख़सन)

ह़िसाब का त़रीक़ा

बीसी भरने वाले को चाहिये कि अगर वोह बीसी वुसूल कर चुका है तो ज़कात का ह़िसाब इस त़रह़ करे :

वुसूल होने वाली रक़्म	: ....
बक़िय्या अक़्सात़ की रक़्म (ख़ारिज करे)	: ....
कुल रक़्म	: ....

अब इस कुल रक़्म का अढ़ाई फ़ीसद 2.5% बत़ौरे ज़कात अदा करे।

क़र्ज़ और ज़कात

मद्यून पर ज़कात ?

मद्यून[1] पर इतना दैन हो कि अगर वोह इसे अदा करता है तो **निसाब** बाक़ी रहता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और अगर बाक़ी न रहता हो तो **ज़कात** फ़र्ज़ नहीं होगी।

सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِى (अल मुतवफ़्फ़ा 1367 हि.) बहारे शरीअ़त, जिल्द अव्वल, ह़िस्सा : 5 सफ़्ह़ा : 878 पर लिखते हैं : "निसाब का मालिक है मगर उस पर **दैन** है कि अदा करने के बा'द निसाब नहीं रहती तो **ज़कात** वाजिब नहीं, ख़्वाह वोह दैन बन्दे का हो, जैसे क़र्ज़, ज़र समन (किसी ख़रीदी गई चीज़ के दाम) किसी चीज़ का तावान या अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का दैन हो, जैसे ज़कात, ख़िराज। मसलन कोई शख़्स सिर्फ़ एक निसाब का मालिक है और दो साल गुज़र गए कि ज़कात नहीं दी तो सिर्फ़ पहले साल की ज़कात वाजिब है दूसरे साल की नहीं कि पहले साल की ज़कात उस पर दैन है उस के निकालने के बा'द निसाब बाक़ी नहीं रहती, लिहाज़ा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं।

(الفتاوی الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج١، ص١٧٢-١٧٤، و ردالمحتار، كتاب الزكاة، مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة، ج٣، ص٢١٠)

---

1. : मद्यून उस शख़्स को कहते हैं जिस पर किसी का दैन हो, जो चीज़ وَاجِب فِى الذِّمَّه (या'नी किसी के ज़िम्मे वाजिब) हो किसी "अ़क़्द" मसलन "बैअ़" या "इजारा" की वजह से या किसी चीज़ के हलाक करने से उस के ज़िम्मे "तावान" वाजिब हुवा या "क़र्ज़" की वजह से वाजिब हुवा, इन सब को "दैन" कहते हैं। "दैन" की एक ख़ास सूरत का नाम "क़र्ज़" है जिस को लोग "दस्तगर्दां" कहते हैं हर "दैन" को आजकल लोग "क़र्ज़" बोला करते हैं येह "फ़िक़्ह" की इस्तिलाह़ के ख़िलाफ़ है। (बहारे शरीअ़त, ह़िस्सा : 11, स. 130)

अगर ख़ुद मद्यून न हो मगर मद्यून का ज़ामिन हो तो ?

अगर ख़ुद मद्यून नहीं मगर मद्यून का **कफ़ील** है और **कफ़ालत**[1] के रूपै निकालने के बा'द निसाब बाक़ी नहीं रहता, ज़कात वाजिब नहीं, मसलन ज़ैद के पास 1000 रूपै हैं और बक्र ने किसी से हज़ार क़र्ज़ लिये और ज़ैद ने उस की कफ़ालत की तो ज़ैद पर इस सूरत में **ज़कात** वाजिब नहीं कि ज़ैद के पास अगर्चे रूपै हैं मगर बक्र के क़र्ज़ में मुस्तग़रक़ हैं कि क़र्ज़ ख़्वाह को इख़्तियार है ज़ैद से मुतालबा करे और रूपै न मिलने पर येह इख़्तियार है कि ज़ैद को क़ैद करा दे तो येह रूपै दैन में मुस्तग़रक़ हैं, लिहाज़ा **ज़कात** वाजिब नहीं।

(ردالمحتار، كتاب الزكاة، مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة، ج٣، ص٢١٠)

क्या हर त़रह़ का दैन वुजूबे ज़कात में रुकावट बनेगा ?

जिस दैन (या'नी क़र्ज़ वग़ैरा) का मुतालबा बन्दों की त़रफ़ से न हो उस का उस जगह ए'तिबार नहीं या'नी वोह **मानेए ज़कात** नहीं मसलन नज़्र व कफ़्फ़ारा व सदक़ए फ़ित्र व ह़ज व क़ुरबानी, कि अगर उन के मसारिफ़ निसाब से निकालें तो अगर्चे निसाब बाक़ी न रहे **ज़कात** वाजिब है।

(الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الزكاة، مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة، ج٣، ص٢١١. وغيرهما)

साल गुज़रने के बा'द मक़्रूज़ हो गया तो ?

अगर निसाब पर साल गुज़रने के बा'द मक़्रूज़ हो गया तो ज़कात अदा करना होगी **क्यूं कि** क़र्ज़ उस वक़्त ज़कात की अदाएगी में मानेअ़ (रुकावट) होगा जब ज़कात फ़र्ज़ होने से पहले का हो अगर निसाब

1. : इस्तिलाहे शरअ़ में कफ़ालत के मा'ना येह हैं कि एक शख़्स अपने ज़िम्मे को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुतालबा में ज़म कर (या'नी मिला) दे या'नी मुतालबा एक शख़्स के ज़िम्मे था दूसरे ने भी मुतालबा अपने ज़िम्मे ले लिया। तफ़्सीली मा'लूमात के लिये बहारे शरीअ़त हिस्सा : 12 का मुतालआ़ कीजिये।

पर साल गुज़रने के बा'द मक़रूज़ हुवा तो उस का कोई ए'तिबार नहीं है।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی زکوٰۃ ثمن المبیع،ج٣،ص٢١٥)

महर और ज़कात

औरतों का महर उ़मूमन मुअख़्ख़र होता है या'नी जिन का मुत़ालबा बा'दे मौत या त़लाक़ के बा'द ही किया जाता है। मर्द को अपने तमाम मसारिफ़ (या'नी अख़्राजात) में येह ख़याल तक नहीं आता कि मुझ पर दैन (या'नी क़र्ज़) है, इस लिये ऐसा महर ज़कात के वाजिब होने में रुकावट नहीं है चुनान्चे जिस के ज़िम्मे महर हो उस पर दीगर शराइत़ पूरी होने पर **ज़कात** फ़र्ज़ हो जाएगी।

(ماخوذ ازالفتاوی الھندیۃ، کتاب الزکوٰۃ ،الباب الاول ،ج١،ص١٧٣)

औ़रत पर उस के महर की ज़कात

महर दो क़िस्म का होता है, **मुअ़ज्जल** (या'नी ख़ल्वत से पहले महर देना क़रार पाया है) और ग़ैरे **मुअ़ज्जल** (जिस के लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर हो), अगर औ़रत का महर मुअ़ज्जल निसाब के ब क़दर हो तो उस का कम अज़ कम पांचवां हिस्सा वुसूल होने पर उस की **ज़कात** अदा करना वाजिब होगा और ग़ैरे मुअ़ज्जल महर में उ़मूमन अदाएगी का वक़्त तै़ नहीं होता और उस का मुत़ालबा औ़रत त़लाक़ या शोहर की मौत से पहले नहीं कर सकती। उस पर वुसूल करने के बा'द शराइत़ पूरी होने की सूरत में ज़कात फ़र्ज़ होगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 169)

मक़रूज़ शोहर की ज़ौजा पर ज़कात

बीवी और शोहर का मुआ़मला दुन्यावी ए'तिबार से कितना ही एक क्यूं न हो मगर **ज़कात** के मुआ़मले में जुदा जुदा हैं, लिहाज़ा शोहर पर चाहे कितना ही **क़र्ज़** हो शराइत़े वुजूबे ज़कात पूरी

होने पर बीवी पर ज़कात वाजिब हो जाएगी।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 168 मुलख़्ख़सन)

दैन (क़र्ज़) का हुक्म

हमारी जो रक़म किसी के ज़िम्मे हो उसे दैन कहते हैं इस की 3 क़िस्में हैं और हर एक का हुक्म अलग अलग है :

(1) दैने क़वी :

दैने क़वी उसे कहते हैं जो हम ने किसी को **क़र्ज़** दिया हुवा हो, ... या तिजारत का माल उधार बेचा हो, ... या कोई ज़मीन या मकान तिजारत की ग़रज़ से ख़रीद कर किराए पर दिया और वोह किराया किसी के ज़िम्मे हो।

हुक्म : इस की ज़कात हर साल फ़र्ज़ होती रहेगी लेकिन अदा करना उस वक़्त वाजिब होगा जब मिक़्दारे निसाब का कम अज़ कम **पांचवां हिस्सा** वुसूल हो जाए तो उस पांचवें हिस्से की **ज़कात** देना होगी, मसलन 50, 000 रूपै निसाब हो तो जब उस का पांचवां हिस्सा 10, 000 रूपै वुसूल हो जाएं तो उस का चालीसवां हिस्सा 250 रूपै बतौरे ज़कात देना वाजिब होगा। अलबत्ता आसानी इस में है कि हर साल उस की भी ज़कात अदा कर दी जाए।

(2) दैने मुतवस्सित :

दैने मुतवस्सित उसे कहते हैं जो ग़ैरे तिजारती माल का इवज़ या बदल हो जैसे घर की कुर्सी या चारपाई या दीगर सामान बेचा और उस की क़ीमत लेने वाले पर उधार हो।

हुक्म : इस में भी **ज़कात** फ़र्ज़ होगी मगर अदाएगी उस वक़्त वाजिब होगी जब ब क़दरे निसाब पूरी रक़म आ जाए।

(3) दैने ज़ईफ़ :

वोह है जो ग़ैरे माल का **बदल** हो जैसे मह्र और मकान या दुकान का किराया, कि नफ़्अ़ का बदला है माल का नहीं।

हुक्म : इस में गुज़श्ता सालों की **ज़कात** फ़र्ज़ नहीं है। जब क़ब्ज़े में आ जाए और शराइते ज़कात पाई जाएं तो साल गुज़रने पर **ज़कात** फ़र्ज़ होगी।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ،باب زکوٰۃالمال ج۳،ص۲۸۱, बहारे शरीअ़त, हिस्सा : 5, स. 906)

क़र्ज़ की वापसी की उम्मीद न हो तो ?

जिस के ज़िम्मे हमारा दैन (क़वी या ज़ईफ़) हो और वोह ला पता हो गया, या उस ने हमारा मक़रूज़ होने से इन्कार कर दिया और हमारे पास गवाह भी नहीं, अल ग़रज़ क़र्ज़ की वापसी की कोई उम्मीद न रही तो अब हम पर **ज़कात** देना वाजिब नहीं।

फिर अगर ख़ुश क़िस्मती से उस ने क़र्ज़ लौटा दिया तो ऐसी सूरत में गुज़श्ता सालों की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।

(الدر المختار وردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی زکوٰۃ ثمن المبیع،ج۳،ص۲۱۸)

ज़कात वाजिब होने के बा'द माल में कमी का हुक्म

माल में कमी की **3 सूरतें** हैं :

(1) इस्तिह्लाक :

या'नी रक़म ज़ाएअ़ होने में उस के फ़े'ल को **दख़्ल** हो मसलन ख़र्च कर डाला, फेंक दिया या किसी ग़नी को हिबा कर दिया (या'नी तोह्फ़तन दे दिया) या किसी नज़्र या कफ़्फ़ारे या किसी और सदक़ए वाजिबा की निय्यत से सदक़ा कर दिया। इस सूरत में अगर्चे सारा माल जाता रहे मगर

ज़कात से कुछ भी साक़ित न होगा मुकम्मल ज़कात देना होगी। फ़तावा सिराजिया में है : ''अगर निसाब को किसी ने हलाक कर दिया तो ज़कात साक़ित न होगी।'' (فتاوىٰ سراجيه، كتاب الزكوٰة،باب سقوط الزكوٰة،ج٣،ص٢٥) और दुर्रे मुख़्तार में है : ''जब किसी ने नज़्र की निय्यत कर ली या किसी और वाजिब की तो दुरुस्त है मगर ज़कात की ज़मानत देनी होगी।''

(الدرالمختار، كتاب الزكوٰة،باب سقوط الزكوٰة،ج٣،ص٢٢٥)

(2) तसद्दुक़ :

या'नी अगर मुत्लक़न सदक़ा किया या किसी वाजिब या नज़्र की अदाएगी की निय्यत किये बिग़ैर किसी मोहताज फ़क़ीर को दे दिया तो तमाम माल सदक़ा करने की सूरत में **ज़कात** साक़ित हो गई। फ़तावा आलमगीरी में है : ''जिस ने तमाम माल सदक़ा कर दिया और ज़कात की निय्यत न की तो उस से फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा।''

(الفتاوىٰ الهندية ، كتاب الزكوٰة،الباب الاول ،ج١،ص١٧١)

और अगर कुछ माल सदक़ा किया तो उस की **ज़कात** साक़ित न होगी, पूरी ज़कात देना होगी। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 93)

(3) हलाक :

इस की सूरत येह है कि उस के फ़े'ल के बिग़ैर तलफ़ या ज़ाएअ़ हो गया मसलन चोरी हो गई या किसी को क़र्ज़ दे दिया फिर वोह मुकर गया और उस के पास गवाह भी नहीं या क़र्ज़दार फ़ौत हो गया और उस ने कोई तर्का नहीं छोड़ा या माल किसी फ़क़ीर पर दैन (या'नी क़र्ज़) था उस ने उसे मुआफ़ कर दिया। इस का हुक्म येह है कि जितना **हलाक** हुवा उस की **साक़ित** और जो बाक़ी है उस की वाजिब अगर्चे वोह ब क़दरे निसाब न हो। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 91, 95)

मसारिफ़े ज़कात

ज़कात किसे दी जाए ?

इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है :

(1) फ़क़ीर (2) मिस्कीन (3) आ़मिल (4) रिक़ाब (5) ग़ारिम (6) फ़ी सबीलिल्लाह (7) इब्ने सबील (या'नी मुसाफ़िर)

(الفتاوی الھندیۃ، کتاب الزکوٰۃ، الباب السابع فی المصارف، ج۱،ص۱۸۷)

इन की तफ़्सील

फ़क़ीर : वोह है कि **(अलिफ़)** जिस के पास कुछ न कुछ हो मगर इतना न हो कि निसाब को पहुंच जाए **(बा)** या निसाब की क़दर तो हो मगर उस की ह़ाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) में **मुस्तग़रक़** (घिरा हुवा) हो । मसलन रहने का मकान, ख़ानादारी का सामान, सुवारी के जानवर (या स्कूटर या कार) कारीगरों के औज़ार, पहनने के कपड़े, ख़िदमत के लिये लौंडी, गुलाम, इल्मी शुग़्ल रखने वाले के लिये इस्लामी किताबें जो उस की ज़रूरत से ज़ाइद न हों **(जीम)** इसी त़रह़ अगर मद्यून (मक़रूज़) है और दैन (क़र्ज़) निकालने के बा'द निसाब बाक़ी न रहे तो **फ़क़ीर** है अगर्चे उस के पास एक तो क्या कई निसाबें हों ।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला नम्बर : 2, ह़िस्सा : 5, स. 924 ، رَدُّالْمُحتَار ج۳ص۳۳۳)

मिस्कीन : वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोह़ताज है कि लोगों से सुवाल करे और उसे सुवाल ह़लाल है । **फ़क़ीर** को (या'नी जिस के पास कम अज़ कम एक दिन का

खाने के लिये और पहनने के लिये मौजूद है) **बिग़ैर ज़रूरत व मजबूरी सुवाल ह़राम है ।**

(الفتاوٰی الهندیة، کتاب الزکوٰۃ،الباب السابع فی المصارف ،ج١،ص١٨٧)

आ़मिल : वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उ़श्र वुसूल करने के लिये मुक़र्रर किया हो ।

(الفتاوی الهندیة، کتاب الزکوٰۃ،الباب السابع فی المصارف ،ج١،ص١٨٨)

नोट : सदरुश्शरीअ़ह बदरुत्त़रीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی बहारे शरीअ़त में फ़रमाते हैं कि ''आ़मिल अगर्चे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशिमी हो तो उस को माले ज़कात में से देना भी ना जाइज़ और उसे लेना भी ना जाइज़, हां अगर किसी और मद (या'नी ज़िम्न) में दें तो लेने में ह़रज नहीं ।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला नम्बर : 6, ह़िस्सा : 5, स. 925)

रिक़ाब : से मुराद मुकातब है । मुकातब उस ग़ुलाम को कहते हैं जिस से उस के आक़ा ने उस की आज़ादी के लिये कुछ क़ीमत अदा करना त़ै की हो, फ़ी ज़माना रिक़ाब मौजूद नहीं हैं ।

ग़ारिम : इस से मुराद मक़रूज़ है या'नी उस पर इतना क़र्ज़ हो कि देने के बा'द ज़कात का निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे उस का भी दूसरों पर क़र्ज़ बाक़ी हो मगर लेने पर क़ुदरत न रखता हो ।

(الدرالمختارمع ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ،باب المصرف ،ج٣،ص٣٣٩)

फ़ी सबीलिल्लाह : या'नी राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करना । इस की चन्द सूरतें हैं :

(1) कोई शख़्स मोह़ताज है और जिहाद में जाना चाहता है मगर उस के पास सुवारी और ज़ादे राह नहीं हैं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि येह राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में देना है अगर्चे वोह कमाने पर क़ादिर हो ।

(2) कोई ह़ज के लिये जाना चाहता है और उस के पास ज़ादे राह नहीं है तो उसे भी ज़कात दे सकते हैं लेकिन उसे ह़ज के लिये लोगों से

सुवाल करना जाइज़ नहीं है।

(3) त़ालिबे इ़ल्म कि इ़ल्मे दीन पढ़ता है या पढ़ना चाहता है उस को भी ज़कात दे सकते हैं बल्कि त़ालिबे इ़ल्म सुवाल कर के भी माले ज़कात ले सकता है जब कि उस ने अपने आप को इसी काम के लिये फ़ारिग़ कर रखा हो, अगर्चे वोह कमाने पर क़ुदरत रखता हो।

(4) इसी त़रह़ हर नेक काम में माले ज़कात इस्ति'माल करना भी फ़ी सबीलिल्लाह या'नी राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करना है। माले ज़कात में दूसरे को मालिक बना देना ज़रूरी है बिग़ैर मालिक किये ज़कात अदा नहीं हो सकती।

(الدرالمختار و رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ ، باب المصرف، ج٣، ص٣٣٥، ٣٤٠

बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला नम्बर : 14, ह़िस्सा : 5, स. 926 मुलख़्ख़सन)

इब्ने सबील : या'नी वोह मुसाफ़िर जिस के पास सफ़र की ह़ालत में माल न रहा, येह ज़कात ले सकता है अगर्चे उस के घर में माल मौजूद हो मगर इसी क़दर ले कि उस की ज़रूरत पूरी हो जाए, ज़ियादा की इजाज़त नहीं और अगर उसे क़र्ज़ मिल सकता हो तो बेहतर है कि क़र्ज़ ले ले। (الفتاوی الھندیة، کتاب الزکوٰۃ، الباب السابع فی المصارف، ج١، ص١٨٨)

नोट : सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : "जिन लोगों की निस्बत बयान किया गया है कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं उन सब का फ़क़ीर होना शर्त़ है सिवाए आ़मिल के कि उस के लिये फ़क़ीर होना शर्त़ नहीं और इब्ने सबील (या'नी मुसाफ़िर) अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त फ़क़ीर के हुक्म में है, बाक़ी किसी को जो फ़क़ीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।"

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला नम्बर : 44, ह़िस्सा : 5, स. 932)

मुस्तहिक़े ज़कात को कैसे पहचानें ?

जिसे हम ज़कात देना चाह रहे हैं वोह मुस्तहिक़े ज़कात है या नहीं ? ज़ाहिर है कि उस की मुकम्मल तहक़ीक़ बहुत दुश्वार है इस लिये जिस को देना हो उस के मुतअ़ल्लिक़ अगर ग़ालिब गुमान हो कि येह मुस्तहिक़े ज़कात है (या'नी अदाएगी की शराइत़ पर पूरा उतरता है) तो दे दे ज़कात अदा हो जाएगी और अगर गुमान ग़ालिब न होता हो तो न दे।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 374)

ज़कात देने के बा'द पता चला ज़कात लेने वाला मुस्तहिक़े ज़कात नहीं तो ?

अगर ग़ालिब गुमान के बा'द ज़कात दी थी कि मुस्तहिक़ है मगर बा'द में मा'लूम हुवा कि वोह ग़नी था या उस के वालिदैन में कोई था या अपनी औलाद थी या शोहर था या ज़ौजा थी या हाशिमी या हाशिमी का ग़ुलाम था या ज़िम्मी (काफ़िर) था, ज़कात अदा हो गई और अगर येह मा'लूम हुवा कि उस का ग़ुलाम था या ह़रबी (काफ़िर) था तो अदा न हुई। और अगर बिग़ैर सोचे समझे ज़कात दी फिर मा'लूम हुवा कि वोह ज़कात का **मुस्तहिक़** नहीं था तो ज़कात अदा न हुई।

(الفتاوی الهندية، كتاب الزكوٰة،الباب السابع فی المصارف ،ج١،ص١٩٠, बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 5 स. 932)

क्या मदारिस के सफ़ीर भी आ़मिल हैं ?

आ़मिल मुक़र्रर करने का इख़्तियार शर्ई क़ाज़ी के पास है अगर वोह न हो तो शहर के सब से बड़े **आ़लिम** के पास जिस की त़रफ़ मुसल्मान अपने दीनी मुआ़मलात में रुजूअ़ करते हों। लिहाज़ा, अगर मदारिस के सफ़ीर मज़्कूरा आ़लिम के मुक़र्रर किये हुए हों तो **आ़मिल** कहलाएंगे वरना नहीं। (फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, जि. 1, स. 323, 327)

किन को ज़कात नहीं दे सकते ?

इन मुसल्मानों को ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे शर्ई फ़क़ीर हों :

(1) बनू हाशिम (या'नी सादाते किराम) चाहे देने वाला हाशिमी हो या ग़ैरे हाशिमी

(2) अपनी अस्ल (या'नी जिन की औलाद में से ज़कात देने वाला हो) जैसे मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी वग़ैरा

(3) अपनी फ़ुरूअ़ (या'नी जो उस की औलाद में से हों) जैसे बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वग़ैरा

(4) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते

(5) ग़नी के ना बालिग़ बच्चे (क्यूं कि वोह अपने बाप की वजह से ग़नी शुमार होते हैं।) (الدرالمختارو رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب المصرف ،ج۳،ص۳٤٤،۳٤۹،۳۵۰, फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 109)

किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं ?

इन **रिश्तेदारों** को **ज़कात** दे सकते हैं जब कि ज़कात के **मुस्तह़िक़** हों :

﴾1﴿ बहन ﴾2﴿ भाई ﴾3﴿ चचा ﴾4﴿ फूफी ﴾5﴿ ख़ाला ﴾6﴿ मामूं ﴾7﴿ बहू ﴾8﴿ दामाद ﴾9﴿ सौतेला बाप ﴾10﴿ सौतेली मां ﴾11﴿ शोहर की त़रफ़ से सौतेली औलाद ﴾12﴿ बीवी की त़रफ़ से सौतेली औलाद।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 110)

किन ग़ुलामों को ज़कात नहीं दे सकते ?

मम्लूके शर्ई (या'नी शर्ई ग़ुलाम) का वुजूद फ़ी ज़माना मफ़्क़ूद है, बहर ह़ाल इन ग़ुलामों को **ज़कात** नहीं दे सकते : ﴾1﴿

हाशिमी का गुलाम, अगर्चे "मुकातब" हो ﴾2﴿ हाशिमी का आज़ाद कर्दा गुलाम ﴾3﴿ ग़नी का गुलाम "ग़ैर मुकातब" ﴾4﴿ बीवी का गुलाम अगर्चे "मुकातब" हो ﴾5﴿ शोहर का गुलाम अगर्चे "मुकातब" हो ﴾6﴿ अपनी अस्ल का गुलाम अगर्चे "मुकातब" हो ﴾7﴿ अपनी फ़ुरूअ़ का गुलाम अगर्चे "मुकातब" हो ﴾8﴿ अपना गुलाम अगर्चे "मुकातब" हो।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 109)

किन ग़ुलामों को ज़कात दे सकते हैं ?

इन गुलामों को **ज़कात** दे सकते हैं जब कि ज़कात के **मुस्तहिक़** हों : ﴾1﴿ ग़ैरे हाशिमी का आज़ाद कर्दा गुलाम ﴾2﴿ अगर्चे ख़ुद अपना ही हो ﴾3﴿ अपने और अपने उसूल (मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी) और अपने फ़ुरूअ़ (बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी) और शोहर और बीवी और "हाशिमी" के इलावा किसी ग़नी का "मुकातब" गुलाम।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 110)

मुतल्लक़ा बीवी को ज़कात देना

अगर शोहर अपनी बीवी को त़लाक़ दे चुका हो और औ़रत **इद्दत** में हो तो नहीं दे सकता और अगर **इद्दत** गुज़ार चुकी हो तो दे सकता है।
(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، باب المصرف، ج٣،ص٣٤٥ व बहारे शरीअ़त, जि. 1, मस्अला नम्बर : 26, हिस्सा : 5, स. 928)

ग़नी की बीवी या बाप को ज़कात देना

ग़नी की बीवी को ज़कात दे सकते हैं जब कि मालिके निसाब न हो। यूहीं ग़नी के बाप को दे सकते हैं जब कि फ़क़ीर है।

(الفتاوی الھندیة"، کتاب الزکاة، الباب السابع في المصارف، ج١، ص١٨٩)

ग़नी मां के ना बालिग़ बच्चे

ग़नी मां के ना बालिग़ बच्चों को ज़कात दे सकते हैं जब कि उन का बाप फ़ौत हो चुका हो क्यूं कि बच्चा ग़नी बाप की त़रफ़ से ग़नी शुमार होता है मां की त़रफ़ से नहीं।

(الدر المختاروردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی حوائج الاصلیہ،ج٣،ص٣٤٩)

जिस औ़रत का मह्र अभी शोहर पर बाक़ी हो

जिस औ़रत का मह्र उस के शोहर पर दैन है, अगर्चे वोह ब क़दरे निसाब हो अगर्चे शोहर मालदार हो अदा करने पर क़ादिर हो, उसे **ज़कात** दे सकते हैं।

(الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز، ص١٦٧)

काफ़िर को ज़कात देना

काफ़िर को ज़कात देने से **ज़कात** अदा नहीं होगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 290)

बद मज़हब को ज़कात देना

बद मज़हब को **ज़कात** देना ह़राम है और उन को देने से **ज़कात** अदा भी नहीं होगी। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 290)

त़ालिबे इ़ल्म को ज़कात देना

ऐसे त़लबा जो साह़िबे निसाब न हों उन्हें **ज़कात** दी जा सकती है, बल्कि उन्हें देना **अफ़्ज़ल** है जब कि वोह इ़ल्मे दीन बत़ौरे दीन पढ़ते हों। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 253)

इमामे मस्जिद को ज़कात देना

अगर मस्जिद के इमाम साहि़ब शरअ़न **फ़क़ीर** न हों या **सय्यिद** साहि़ब हों तो उन्हें **ज़कात** नहीं दी जा सकती और अगर वोह शरई़ फ़क़ीर हों और सय्यिद साहि़ब न हों तो दी जा सकती है, बल्कि अगर वोह **आ़लिम** भी हों तो उन्ही को देना **अफ़्ज़ल** है। मगर आ़लिम को देते वक़्त इस बात का लिहा़ज़ रखा जाए कि उन का एह़तिराम पेशे नज़र हो और देने वाला अदब के साथ दे जैसे छोटे, बड़ों को कोई चीज़ नज़्र करते हैं और مَعَاذَاللہ عَزَّوَجَلَّ अगर आ़लिमे दीन को ज़कात देते वक़्त दिल में ह़क़ारत आई तो बाइ़से हलाकत है। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, स. 924)

फ़तावा आ़लमगीरी में है : "फ़क़ीर आ़लिम पर सदक़ा करना जाहिल फ़क़ीर पर सदक़ा करने से अफ़्ज़ल है।"

(الفتاوی الهندية، کتاب الزکوٰة، الباب السابع فی المصارف، ج١،ص١٨٧)

ज़कात की रक़म से इमामे मस्जिद को तनख़्वाह देना

ज़कात की रक़म से इमामे मस्जिद को तनख़्वाह नहीं दे सकते क्यूं कि तनख़्वाह मुआ़वज़ए अ़मल है और **ज़कात** ख़ालिसन अल्लाह तआ़ला के लिये है। अगर दीगर अस्बाब मुयस्सर न हों तो ह़ीलए शरई़ के बा'द दे सकते हैं। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 376)

मां हाशिमी हो और बाप ग़ैरे हाशिमी तो ?

किसी की वालिदा हाशिमी बल्कि सय्यिदानी हो और बाप हाशिमी न हो तो वोह हाशिमी नहीं कि शरअ़ में नसब बाप से है, लिहाज़ा ऐसे शख़्स को **ज़कात** दे सकते हैं अगर कोई दूसरा मानेअ़ न हो।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, मस्अला : 41, स. 931)

सादाते किराम को ज़कात न देने की वजह

सादाते किराम और दीगर बनू हाशिम को ज़कात इस लिये नहीं दे सकते कि सादाते किराम और दीगर बनू हाशिम पर ज़कात ह़रामे क़त़्ई है जिस पर चारों मज़ाहिब (या'नी ह़नफ़ी, शाफ़ेई, ह़म्बली, मालिकी) के अइम्मए किराम का इज्माअ़ है। फ़तावा रज़विय्या में है : "ब इत्तिफ़ाक़े अइम्मए अरबआ़ बनू हाशिम और बनू अ़ब्दुल मुत्त़लिब पर सदक़ए फ़र्ज़िय्या ह़राम है।" (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 99)

बनू हाशिम कौन हैं ?

बनू हाशिम और बनू अ़ब्दुल मुत्त़लिब से मुराद पांच ख़ानदान हैं, आले अ़ली, आले अ़ब्बास, आले जा'फ़र, आले अ़क़ील, आले ह़ारिस बिन अ़ब्दुल मुत्त़लिब। इन के इ़लावा जिन्हों ने नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की इआ़नत न की, मसलन अबू लहब कि अगर्चे येह काफ़िर भी ह़ज़रते अ़ब्दुल मुत्त़लिब का बेटा था, मगर इस की औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी।

(الفتاوی الهندية، كتاب الزكوٰة،الباب السابع فی المصارف ،ج١،ص١٨٩ बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, मस्अला 39 स. 931)

बनू हाशिम को ज़कात न देने की ह़िक्मत

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़ज़मत निशान है "येह सदक़ात लोगों के मैल हैं, न येह **मुह़म्मद** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) को ह़लाल है और न **मुह़म्मद** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) की आल को।"

(صحيح مسلم ،كتاب الزكوٰة،باب ترك استعمال...الخ،الحديث١٠٧٢،ص٥٤٠)

ह़कीमुल उम्मत ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيۡهِ رَحۡمَةُ الۡحَنَّان इस ह़दीस के तह़्त फ़रमाते हैं : "येह ह़दीस ऐसी वाज़ेह़ और साफ़ है जिस

में कोई तावील नहीं हो सकती या'नी मुझे और मेरी औलाद को ज़कात लेना इस लिये ह़राम है कि येह माल का मैल है, लोग हमारे मैल से सुथरे हों हम किसी का मैल क्यूं लें।" (मिरआतुल मनाजीह़, जि. 3, स. 46)

सादात की इमदाद की सूरत

अव्वलन तो मालदारों को चाहिये कि अपने माल से बत़ौरे हदिय्या इन ह़ज़राते अ़ालिया की ख़िदमत अपनी **जेब** से करें और वोह वक़्त याद करें कि जब इन सादाते किराम के जद्दे अकरम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सिवा ज़ाहिरी आंखों को भी कोई मल्जा व मावा न मिलेगा। वोह माल जो उन्ही की बारगाह से अ़त़ा हुवा और अ़न्क़रीब छोड़ कर ज़ेरे ज़मीन जाने वाले हैं अगर उन की ख़ुशनूदी के लिये उन की मुबारक औलाद पर **ख़र्च** हो जाए तो इस से बढ़ कर क्या **सआ़दत** होगी। और अगर किसी अ़लाक़े में ऐसी तरकीब न बन सके तो किसी मुस्तह़िक़े ज़कात को **माले ज़कात** का मालिक बना कर माल उस के क़ब्ज़े में दे दें फिर उसे उस सय्यिद साह़िब की ख़िदमत में **पेश** करने का मश्वरा दें।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 390, मुलख़्ख़सन)

गदागरों को ज़कात देना

गदागर तीन क़िस्म के होते हैं :

(1) ग़नी मालदार : इन्हें सुवाल करना ह़राम और इन को देना भी ह़राम, इन्हें देने से ज़कात अदा नहीं होगी कि मुस्तह़िक़े ज़कात नहीं हैं।

(2) वोह फ़क़ीर जो तन्दुरुस्त और कमाने पर क़ादिर हो : येह लोग ब क़दरे ह़ाजत कमाने पर क़ादिर होने के बा वुजूद मुफ़्त की रोटियां तोड़ने और उस के लिये भीक मांगने के अ़ादी होते हैं। ऐसे पेशावरों को सुवाल करना ह़राम है और जो कुछ उन को मिले उन के ह़क़ में माले ख़बीस है

जिसे मालिक को लौटाना या सदक़ा कर देना वाजिब होता है। लेकिन अगर इन को किसी ने ज़कात दे दी तो अदा हो जाएगी क्यूं कि येह शरई फ़क़ीर होते हैं जब कि कोई और मानेए ज़कात न हो।

(3) कमाने से आ़जिज़ फ़क़ीर : येह लोग या तो कमाने की कुदरत नहीं रखते या फिर ह़ाजत के ब क़दर कमा नहीं सकते, इन्हें ब क़दरे ज़रूरत सुवाल ह़लाल है और जो कुछ इन को मिले इन के लिये ह़लाल है, इन्हें ज़कात दी तो अदा हो जाएगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 253)

मद्रसा या जामिआ़ में ज़कात देना

अगर मद्रसा या जामिआ़ अहले ह़क़ का है बद मज़हबों का नहीं तो उस में **माले ज़कात** इस शर्त़ पर दिया जा सकता है कि **मोहतमिम** (नाज़िम) उस माल को जुदा रखे और मह़ज़ तम्लीके फ़क़ीर में सर्फ़ करे मसलन त़लबा को बत़ौरे इमदाद जो वज़ीफ़ा दिया जाता है उस में दे या किताबें या कपड़े ख़रीद कर त़लबा को उन का मालिक बना दे या बीमार होने की सूरत में दवाई ख़रीद कर उन्हें उस का मालिक बना दे। मुदर्रिसीन या दीगर अ़मले की **तनख़्वाह** उस माल से नहीं दी जा सकती क्यूं कि तनख़्वाह मुआ़वज़ए अ़मल है और ज़कात ख़ालिसन अल्लाह तआ़ला के लिये है, और न ही ता'मीरात वग़ैरा में इस्ति'माल की जा सकती है और न ही त़लबा के लिये पकाए गए खाने में इस्ति'माल हो सकती है क्यूं कि येह खाना उन्हें बत़ौरे **इबाह़त** खिलाया जाता है **मालिक** नहीं बनाया जाता है लेकिन अगर खाना दे कर उन्हें मालिक बना दिया जाए तो दुरुस्त है। हां ! अगर ज़कात का रूपिया ब निय्यते ज़कात किसी मस्रफ़े ज़कात को दे कर उसे उस का **मालिक** बना दें फिर वोह अपनी त़रफ़ से मद्रसा या जामिआ़ को दे दे तो अब येह **रक़म** तनख़्वाहे मुदर्रिसीन और ता'मीरात वग़ैरा में इस्ति'माल हो सकती है। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 254)

ज़कात के बारे में बता दीजिये

बहुत से इस्लामी भाई माले ज़कात मदारिस व जामिअ़ात में भेज देते हैं उन को चाहिये कि मद्रसे के मुतवल्ली को इत्तिलाअ़ दें कि येह माले ज़कात है ताकि मुतवल्ली इस माल को जुदा रखे और माल में न मिलाए और ग़रीब त़लबा पर सर्फ़ करे, किसी काम की उजरत में न दे वरना **ज़कात** अदा न होगी।

एक ही शख़्स को सारी ज़कात दे देना

ज़कात देने वाले को इख़्तियार होता है कि चाहे तो माले ज़कात तमाम मसारिफ़े ज़कात में थोड़ा थोड़ा तक़्सीम कर दे और अगर चाहे तो किसी एक को ही दे दे। अगर बत़ौरे ज़कात दिया जाने वाला **माल ब क़दरे निसाब** न हो तो एक ही शख़्स को दे देना **अफ़्ज़ल** है और अगर ब क़दरे निसाब हो तो एक ही शख़्स को दे देना मक्रूह है लेकिन **ज़कात** बहर ह़ाल अदा हो जाएगी। एक शख़्स को ब क़दरे निसाब देना मक्रूह उस वक़्त है कि वोह फ़क़ीर मद्यून न हो और मद्यून हो तो इतना दे देना कि दैन निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे मक्रूह नहीं। यूंही अगर वोह फ़क़ीर बाल बच्चों वाला है कि अगर्चे निसाब या ज़ियादा है, मगर अहलो इ़याल पर तक़्सीम करें तो सब को निसाब से कम मिलता है तो इस सूरत में भी ह़रज नहीं।

(الفتاوی الھندیة، کتاب الزکوٰة،الباب السابع فی المصارف ،ج۱،ص۱۸۸،ملخصاً)

एक शख़्स को कितनी ज़कात देना मुस्तह़ब है

मुस्तह़ब येह है कि एक शख़्स को इतना दें कि उस दिन उसे सुवाल की ह़ाजत न पड़े और येह उस फ़क़ीर की ह़ालत के ए'तिबार से मुख़्तलिफ़ है, उस के खाने बाल बच्चों की कसरत और दीगर उमूर का

लिह़ाज़ कर के दे ।

(الـدرالـمـختـار و ُردالـمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مطلب في حوائج الأصلية، ج٣، ص٣٥٨)

किस को ज़कात देना अफ़्ज़ल है ?

अगर बहन भाई ग़रीब हों तो पहले उन का **ह़क़** है, फिर उन की औलाद का फिर चचा और फूफियों का, फिर उन की औलाद का, फिर मामूओं और ख़ालाओं का, फिर उन की औलाद का, फिर **ज़विल अरह़ाम** (वोह रिश्तेदार जो मां, बहन, बीवी या लड़कियों की त़रफ़ से मन्सूब हों) का, फिर पड़ोसियों का, फिर अपने अहले पेशा का, फिर अहले शह्र का (या'नी जहां उस का माल हो) ।

(الفتاوىٰ الهندية،كتاب الزكوٰة ،الباب السابع فى المصارف ،ص١٩٠)

सय्यिद किसे ज़कात दे ?

ज़कात क़रीबी रिश्तेदार को देना अफ़्ज़ल है मगर सय्यिद किस को दे क्यूं कि उस का क़रीबी रिश्तेदार भी तो सय्यिद होगा ? इस का जवाब देते हुए आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن लिखते हैं : बेशक ज़कात और दीगर सदक़ात अपने क़रीबी रिश्तेदारों को देना अफ़्ज़ल है और इस में दुगना अज्र है लेकिन येह इसी सूरत में है कि वोह सदक़ा क़रीबी रिश्तेदारों को देना जाइज़ भी हो ।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 287)

क्या बहुत सारी किताबों का मालिक ज़कात ले सकता है ?

अगर किसी के पास बहुत सारी किताबें हों और वोह किताबें उस की **ह़ाजते अस्लिय्या** में से हैं तो ले सकता है अगर्चे लाखों की हों और अगर **ह़ाजते अस्लिय्या** में से नहीं हैं तो ब क़दरे निसाब होने की सूरत में नहीं ले सकता । इस में **तफ़्सील** येह है कि

★ फ़िक़्ह, तफ़्सीर और ह़दीस की किताबें अहले इ़ल्म (या'नी जिसे पढ़ने, पढ़ाने या तस्ह़ीह़ के लिये इन किताबों की ज़रूरत हो) के लिये **ह़ाजते अस्लिय्या** में से हैं और दूसरों के लिये **ह़ाजते अस्लिय्या** में से नहीं। अगर एक किताब के एक से ज़ाइद नुस्खे़ हों तो वोह अहले इ़ल्म के लिये भी **ह़ाजते अस्लिय्या** में से नहीं हैं।

★ कुफ़्फ़ार और बद मज़हबों के रद और अहले सुन्नत की ताईद में लिखी गई और फ़र्ज़ उ़लूम पर मुश्तमिल किताबें, आ़लिम और ग़ैरे आ़लिम दोनों की **ह़ाजते अस्लिय्या** में से हैं।

★ आ़लिम अगर बद मज़हबों की किताबें उन के रद के लिये रखे तो येह उस की **ह़ाजते अस्लिय्या** में से हैं। ग़ैरे आ़लिम को तो इन का देखना ही जाइज़ नहीं।

★ कुरआने मजीद ग़ैरे ह़ाफ़िज़ के लिये **ह़ाजते अस्लिय्या** में से है ह़ाफ़िज़े कुरआन के लिये नहीं। (जब कि उस का ह़िफ़्ज़े कुरआन मज़्बूत़ हो)

★ त़िब की किताबें त़बीब के लिये **ह़ाजते अस्लिय्या** में से हैं जब कि उन को मुत़ालए़ में रखे या देखने की ज़रूरत पड़ती हो।

(الدر المختار وردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی ثمن المبیع وفاءً،ج۳،ص۲۱۷

बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, स. 882)

ग़नी का ज़कात लेना

हुज़ूरे पाक, साह़िबे लौलाक, सय्याहे़ अफ़्लाक صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी।" इमाम अह़मद رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ ने इस ह़दीस के मा'ना येह किये कि मालदार शख़्स ज़कात ले ले तो येह उस के

(बक़िय्या) माल को हलाक कर देगी।

(الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات،باب الترهيب من منع الزكوٰة،الحديث١٨، ج١،ص٣٠٩)

ज़कात तो फ़क़ीरों के लिये होती है, ग़नी को ज़कात लेना ह़राम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ऐसे शख़्स को इस माले ह़राम के सबब क़ब्रो ह़श्र और मीज़ान की परेशानियों और अ़ज़ाबाते जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 261, मुलख़्ख़सन)

जिस के पास छ॑ तोले सोना हो !

जिस के पास छ॑ तोले या साढ़े बावन तोले चांदी की क़ीमत के बराबर सोना हो अगर्चे उस पर **ज़कात** फ़र्ज़ नहीं होती कि सोने की निसाब साढ़े सात तोले है मगर ऐसा शख़्स ज़कात ले नहीं सकता। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, मस्अला : 27, स. 929)

ह़ाजते अस्लिय्या से ज़ाइद सामान हो तो ?

जिस के पास ज़रूरत के सिवा ऐसा सामान है जो **माले नामी** न हो और न ही **तिजारत** के लिये और वोह साढ़े बावन तोला चांदी की क़ीमत के बराबर है तो उसे **ज़कात** नहीं दे सकते अगर्चे ख़ुद उस पर ज़कात वाजिब नहीं।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, मस्अला : 27, स. 929)

जिस के पास बहुत सा जहेज़ हो !

औ़रत को मां बाप के यहां से जो जहेज़ मिलता है उस की मालिक औ़रत ही है, उस में दो त़रह़ की चीज़ें होती हैं **एक :** ह़ाजत की जैसे ख़ानादारी के सामान, पहनने के कपड़े, इस्ति'माल के बरतन इस क़िस्म की चीज़ें कितनी ही क़ीमत की हों इन

की वजह से औ़रत ग़नी नहीं, **दूसरी :** वोह चीज़ें जो ह़ाजते अस्लिय्या से ज़ाइद हैं ज़ीनत के लिये दी जाती हैं जैसे ज़ेवर और ह़ाजत के इलावा अस्बाब और बरतन और आने जाने के बेश क़ीमत भारी जोड़े, इन चीज़ों की क़ीमत अगर ब क़दरे निसाब है औ़रत **ग़नी है ज़कात** नहीं ले सकती।

(ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية، ج٣، ص٣٤٧)

जिस के पास मोती जवाहिर हों !

मोती वग़ैरा जवाहिर जिस के पास हों और **तिजारत** के लिये न हों तो उन की **ज़कात** वाजिब नहीं, मगर जब निसाब की क़ीमत के हों तो ज़कात ले नहीं सकता।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 37, स. 930)

जिस के पास सर्दियों के बेश क़ीमत कपड़े हों !

सर्दियों के कपड़े जिन की गर्मियों में ह़ाजत नहीं पड़ती **ह़ाजते अस्लिय्या** में हैं, वोह कपड़े अगर्चे बेश क़ीमत हों **ज़कात** ले सकता है।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 35, स. 930)

जिस के पास बहुत बड़ा मकान हो !

जिस के पास रहने का मकान ह़ाजत से ज़ियादा हो या'नी पूरे मकान में उस की सुकूनत (या'नी रिहाइश) नहीं येह शख़्स **ज़कात** ले सकता है। (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، ج٣، ص٣٤٧)

जिस के मकान में बाग़ हो !

जिस के मकान में निसाब की क़ीमत का **बाग़** हो और बाग़ के अन्दर ज़रूरिय्याते मकान बावर्ची ख़ाना, गुस्ल ख़ाना वग़ैरा नहीं तो उसे **ज़कात** लेना जाइज़ नहीं।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ج١، ص١٨٩)

क्या मालदार के लिये सदक़ा लेना जाइज़ है ?

सदक़ा 2 क़िस्म का होता है, सदक़ए वाजिबा और नाफ़िला। **सदक़ए** वाजिबा मालदार को लेना **ह़राम** और उस को देना भी **ह़राम** है और उस को देने से ज़कात भी अदा न होगी। रहा **सदक़ए नाफ़िला** तो उस के लिये मालदार को मांग कर लेना ह़राम और बिग़ैर मांगे मिले तो मुनासिब नहीं जब कि देने वाला मालदार जान कर दे और अगर मोह़ताज समझ कर दे तो लेना ह़राम और अगर लेने के लिये अपने आप को मोह़ताज ज़ाहिर किया तो दूसरा ह़राम। हां वोह सदक़ाते नाफ़िला कि आ़म मख़्लूक़ के लिये होते हैं और उन को लेने में कोई ज़िल्लत न हो तो वोह ग़नी को लेना भी **जाइज़** है जैसे, सबील का पानी, नियाज़ की शीरीनी वग़ैरा। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 261)

ग़ैरे मुस्तह़िक़ ने ज़कात ले ली तो ?

ग़ैरे मुस्तह़िक़ ने ज़कात ले ली, बा'द में पशेमानी हुई तो अगर देने वाले ने ग़ौरो फ़िक्र के बा'द **ज़कात** दी थी और उसे उस के मुस्तह़िक़ न होने का मा'लूम नहीं था तो **ज़कात** बहर ह़ाल अदा हो गई लेकिन इस को लेना ह़राम था क्यूं कि येह ज़कात का मुस्तह़िक़ नहीं था। ग़ैरे मुस्तह़िक़ माल पर ह़ासिल होने वाली मिल्किय्यत ''मिल्के ख़बीस'' कहलाती है और उस का हुक्म येह है कि उतना माल **सदक़ा** कर दिया जाए।

ज़कात की अदाएगी

ज़कात की अदाएगी की शराइत़

ज़कात की अदाएगी दुरुस्त होने की 2 शराइत़ हैं (1) **निय्यत** और (2) मुस्तह़िके़ ज़कात को उस का **मालिक** बना देना। **अल अश्बाह वन्नज़ाइर** में है : "ज़कात की अदाएगी निय्यत के बिग़ैर दुरुस्त नहीं है।" (الاشباہ والنظائر ، القاعدۃ الاولٰی،ما تکون النیۃ الیٰ آخرہ،ص١٩) निय्यत के येह मा'ना हैं कि अगर पूछा जाए तो बिला तअम्मुल बता सके कि ज़कात है।

ज़कात देते वक़्त निय्यत करना भूल गया तो ?

अगर ज़कात में वोह माल दिया जो पहले ही से **ज़कात** की निय्यत से अलग कर रखा था तो **ज़कात** अदा हो गई अगर्चे देते वक़्त ज़कात का ख़याल न आया हो और अगर ऐसा नहीं है तो जब तक मोह़ताज के पास मौजूद है देने वाला **निय्यते ज़कात** कर सकता है, और अगर उस के पास भी नहीं है तो अब निय्यत नहीं कर सकता, दिया गया माल सदक़ए नफ़्ल होगा। दुर्रे मुख़्तार में है : "अदाएगिये ज़कात के सह़ीह़ होने के लिये वक़्ते अदा निय्यत का मुत्तसिल (या'नी मिला हुवा) होना ज़रूरी है, ख़्वाह येह इत्तिसाल (या'नी मुत्तसिल होना) हुक्मी हो मसलन किसी ने बिला निय्यत **ज़कात** अदा कर दी और अभी माल फ़क़ीर के क़ब्ज़े में हो तो निय्यत कर ली या कुल या बा'ज़ माल बराए ज़कात जुदा करते वक़्त निय्यत कर ली."

(الدرالمختار ، کتاب الزکوٰۃ،ج٣،ص٢٢٢،٢٢٤)

ज़कात के अल्फ़ाज़

ज़कात अदा करते वक़्त ज़कात के अल्फ़ाज़ बोलना ज़रूरी नहीं फ़क़त दिल में **निय्यत** होना काफ़ी है चाहे ज़बान से कुछ और कहे। फ़तावा

शामी में है : "नाम लेने का कोई ए'तिबार नहीं, अगर किसी ने ज़कात को **हिबा, तोहफ़ा या क़र्ज़** कह दिया तब भी सहीह़ तरीन क़ौल के मुताबिक़ उस की **ज़कात** अदा हो जाएगी।"

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ،مطلب فی ثمن المبیع ،ج۳،ص۲۲۲)

ज़कात की अदाएगी में ताख़ीर करना

ज़कात फ़र्ज़ हो जाने के बा'द फ़ौरन अदा करना **वाजिब** है और उस की अदाएगी में बिला उ़ज़्रे शरई ताख़ीर करना **गुनाह** है।

(الفتاویٰ الهندیة،کتاب الزکوٰۃ ، فصل فی مال التجارۃ،الباب الاول ،ص ۱۷۰)

ज़कात यकमुश्त दें या थोड़ी थोड़ी ?

अगर ज़कात साल मुकम्मल होने से क़ब्ल पेशगी अदा करनी हो तो चाहे थोड़ी थोड़ी कर के दें या एक साथ दोनों त़रह़ से **दुरुस्त** है। और अगर साल गुज़रने पर **ज़कात** फ़र्ज़ हो चुकी हो तो फ़ौरन अदा करना **वाजिब** है ताख़ीर पर गुनहगार होगा, लिहाज़ा अब यकमुश्त देना ज़रूरी है। (माख़ूज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 75)

ज़कात यकमुश्त दीजिये

साल मुकम्मल हो जाने के बा'द एक साथ **ज़कात** दे दीजिये क्यूं कि ब तदरीज या'नी थोड़ी थोड़ी कर के देने में गुनाह लाज़िम आने के इ़लावा दीगर आफ़तें भी मुम्किन हैं। मसलन हो सकता है कि ऐसा शख़्स ज़कात न देने का **वबाल** अपनी गरदन पर लिये दुन्या से रुख़्सत हो जाए या फिर उस के पास ज़कात अदा करने के लिये **माल** ही न रहे और येह भी मुम्किन है कि आज अदाएगी का जो पुख़्ता **इरादा** है कल न रहे क्यूं कि शैत़ान इन्सान में ख़ून की त़रह़ गर्दिश करता है।

निय्यत में फ़र्क़ आ जाता

हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बाक़िर رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ने एक क़बाए नफ़ीस बनवाई। तहारत ख़ाने में तशरीफ़ ले गए, वहां ख़याल आया कि इसे राहे ख़ुदा में दीजिये। फ़ौरन ख़ादिम को आवाज़ दी, क़रीबे दीवार हाज़िर हुवा। हुज़ूर ने क़बाए मुअ़ल्ला उतार कर दी कि फ़ुलां मोहताज को दे आओ। जब बाहर रौनक़ अफ़रोज़ हुए तो ख़ादिम ने अ़र्ज़ की : "इस दरजा **ता'जील** (या'नी जल्दी) की वजह क्या थी ? फ़रमाया : "क्या मा'लूम था बाहर आते आते **निय्यत में फ़र्क़** आ जाता।"

(फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 84)

سُبْحٰنَ الله ! येह उन की एहतियात है जो अहले तक़्वा की आग़ोश में पले और तहारत व पाकीज़गी के दरिया में नहाए धुले हैं। **अल्लाह** तआ़ला हमें उन के नक़्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واٰلہ وسلم

क्या ज़कात अलग कर लेने से बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाएगा ?

ज़कात महज़ जुदा करने से ज़िम्मादारी पूरी न होगी बल्कि फ़ुक़रा तक पहुंचाने से होगी।

(الدرالمختار ، کتاب الزکوٰۃ، ج۳،ص۲۲۲،۲۲٤)

रमज़ानुल मुबारक में ज़कात देना

जब साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन अदा करना **वाजिब** है और ताख़ीर गुनाह, ख़्वाह कोई भी महीना हो और अगर साल तमाम होने से पहले पेशगी अदा करना चाहे तो **रमज़ानुल मुबारक** में अदा करना बेहतर है जिस में नफ़्ल का फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब सत्तर फ़र्ज़ों के **बराबर** होता है। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 183)

ए'लानिया या पोशीदा ?

ज़कात ए'लान के साथ देना बेहतर है जब कि **रियाकारी** का अन्देशा न हो, ताकि दूसरों को तरग़ीब भी मिले और वोह उस के बारे में **बद गुमानी** का शिकार न हों कि येह **ज़कात** नहीं देता। पोशीदा देने में भी कोई ह़रज नहीं बल्कि अगर **ज़कात** लेने वाला ऐसा खुद्दार हो कि ए'लानिया लेने में ज़िल्लत मह़सूस करेगा तो उसे पोशीदा दे देना **बेहतर** है। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 158

(والفتاویٰ الھندیۃ، کتاب الزکوۃ، الباب الاول ج۱، ص۱۷۱)

ज़कात दे कर एह़सान जताना

ज़कात दे कर एह़सान नहीं जताना चाहिये कि एह़सान जताने से सवाब ज़ाएअ़ हो जाता है। **अल्लाह** तआ़ला का फ़रमान है :

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰىۙ (پ۳، البقرۃ:۲۶۴)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अपने सदके़ बात़िल न कर दो एह़सान रख कर और ईज़ा दे कर।

साल भर ख़ैरात करने के बा'द ज़कात की निय्यत की तो ?

साल भर ख़ैरात करने के बा'द उसे **ज़कात** में शुमार नहीं कर सकता क्यूं कि **ज़कात** देते वक़्त या ज़कात के लिये माल अ़लाह़िदा करते वक़्त निय्यते ज़कात **शर्त़** है। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, मस्अला नम्बर : 54, स. 886) हां ! अगर ख़ैरात कर्दा माल फ़क़ीर के पास मौजूद हो, हलाक न हुवा हो तो ज़कात की **निय्यत** कर सकता है।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 161)

ज़कात देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

अदाएगिये ज़कात की निय्यत से माल अलग किया, फिर फ़ौत हो गया तो येह माल मीरास में शामिल हो जाएगा और उस पर **विरासत** के अह़काम जारी होंगे।

(الدر المختارو ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، مطلب فی الزکوٰۃ...الخ، ج۳، ص۲۲۵)

ज़कात लेने वाले को इस का इल्म होना

अगर ज़कात लेने वाले को येह मा'लूम न हो कि येह ज़कात है तो भी ज़कात अदा हो जाएगी क्यूं कि ज़कात लेने वाले का येह जानना ज़रूरी नहीं कि येह ज़कात है बल्कि देने वाले की **निय्यत** का ए'तिबार होगा। ग़म्ज़ुल उ़यून में है : ''देने वाले की **निय्यत** का ए'तिबार है न कि उस के जानने का जिसे **ज़कात** दी जा रही है।''

(غمزالعیون البصائر، شرح الاشباہ والنظائر، کتاب الزکوٰۃ، الفن الثانی، ج۱، ص۴۴۷)

ज़कात की अदाएगी के लिये मिक़्दारे ज़कात का मा'लूम होना

अदाए ज़कात में मिक़्दारे वाजिब का सही़ह़ मा'लूम होना शराइते़ सिह़्ह़त से नहीं लिहाज़ा **ज़कात** अदा हो जाएगी।

(फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 126)

क़र्ज़ कह कर ज़कात देने वाला

क़र्ज़ कह कर किसी को ज़कात दी, अदा हो गई। फिर कुछ अ़र्से बा'द वोही शख़्स उस ज़कात को ह़क़ीक़तन क़र्ज़ समझ कर वापस करने आया तो देने वाला उसे वापस नहीं ले सकता है अगर्चे उस वक़्त वोह ख़ुद भी मोह़ताज हो क्यूं कि ज़कात देने के बा'द वापस नहीं ली जा सकती,

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने अ़ज़मत निशान है : "सदक़ा दे कर वापस मत लो।"

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب ھل یشتری صدقتہ، الحدیث،١٤٨٩، ج١، ص٥٠٢)

(फ़तावा अम्जदिय्या, हिस्सए अव्वल, स. 389)

छोटे बच्चे को ज़कात देना

मालिक बनाने में येह शर्त़ है कि लेने वाला इतनी अ़क़्ल रखता हो कि क़ब्ज़े को जाने धोका न खाए। चुनान्चे छोटे बच्चे को ज़कात दी और वोह **क़ब्ज़े** को जानता है फेंक नहीं देता तो **ज़कात** अदा हो जाएगी वरना नहीं या फिर उस की त़रफ़ से उस का बाप या वली या कोई अ़ज़ीज़ वग़ैरा हो जो उस के साथ हो, क़ब्ज़ा करे तो भी **ज़कात** अदा हो जाएगी और उस का मालिक वोह बच्चा होगा।

(الدر المختار وردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، ج٣، ص٢٠٤ ملخصاً)

ज़कात की निय्यत से मकान का किराया मुआ़फ़ करना

अगर रहने के लिये मकान दिया और किराया मुआ़फ़ कर दिया तो **ज़कात** अदा नहीं होगी क्यूं कि अदाएगिये ज़कात के लिये माले ज़कात का मालिक बनाना शर्त़ है जब कि यहां मह़ज़ रिहाइश के **नफ़्अ़** का मालिक बनाया गया है, **माल** का नहीं।

हां ! अगर किराए दार ज़कात का मुस्तह़िक़ है तो उसे ज़कात की रक़म ब निय्यते ज़कात दे कर उसे मालिक बना दे फिर किराए में वुसूल कर ले, **ज़कात** अदा हो जाएगी।

(ماخوذ از بحرالرائق، کتاب الزکوٰۃ، ج٢، ص٣٥٣)

क़र्ज़ मुआ़फ़ कर दिया तो ?

किसी को क़र्ज़ मुआ़फ़ किया और **ज़कात** की निय्यत कर ली तो ज़कात अदा नहीं होगी ।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ، مطلب فی زکوٰۃ ثمن المبیع ، ج۳،ص۲۲۶)

मुआ़फ़ कर्दा क़र्ज़ का शामिले ज़कात होना

किसी को क़र्ज़ मुआ़फ़ कर दिया तो मुआ़फ़ कर्दा रक़म भी शामिले निसाब होगी या नहीं ? इस की 2 सूरतें हैं, (1) अगर क़र्ज़ ग़नी को मुआ़फ़ किया तो उस (मुआ़फ़ शुदा) ह़िस्से की भी **ज़कात** देना होगी और (2) अगर शरई फ़क़ीर को क़र्ज़ मुआ़फ़ किया तो उस ह़िस्से की **ज़कात** साक़ित़ हो जाएगी ।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ، مطلب فی زکوٰۃ ثمن المبیع ، ج۳،ص۲۲۶،ملخصاً)

ज़कात के त़ौर पर किसी का क़र्ज़ अदा करना

अगर किसी की इजाज़त लिये बिग़ैर उस का **क़र्ज़** अदा कर दिया तो **ज़कात** अदा नहीं होगी । इस के लिये बेहतर येह है कि उस शख़्स को निय्यते ज़कात के साथ वोह रक़म दे दे फिर वोह चाहे तो अपना क़र्ज़ अदा करे या कहीं और ख़र्च करे । (माख़ूज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 74)

यतीमों को कपड़े बनवा कर देने का हुक्म

ज़कात की रक़म से यतीमों को कपड़े बनवा कर दे सकते हैं जब कि उन्हें इस का **मालिक** बना दिया जाए और वोह **मुस्तह़िक़े ज़कात** भी हों । (फ़तावा फ़ैज़ुर्रसूल, जि. 1, स. 495)

ज़कात की रक़म से किताबें ख़रीदना

ज़कात की रक़म से किताबें ख़रीद कर दे सकते हैं जब कि लेने वाले मुस्तह़िक़े ज़कात हों और उन को **मालिक** बना दिया जाए वरना **ज़कात** अदा न होगी । (फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 372)

माले ज़कात से दीनी कुतुब छपवा कर तक़्सीम करना कैसा ?

इस में कोई शक नहीं कि दीनी कुतुब छपवाने का काम **अ़ज़ीम सवाबे जारिय्या** है लेकिन इस के लिये पहले किसी मुस्तह़िक़े ज़कात मसलन फ़क़ीर को उस का **मालिक** कर दिया जाए फिर वोह कुतुब की त़बाअ़त के लिये दे दे। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 256)

मिठाई के डिब्बे में ज़कात की रक़म रखना

किसी को आटे के थेले या मिठाई के डिब्बे वग़ैरा में रक़म रख कर बत़ौरे ज़कात दी तो अगर देने वाले ने फ़क़ीर को आटे या मिठाई और रक़म दोनों का मालिक कर दिया है और फ़क़ीर ने आटे के थेले पर क़ब्ज़ा भी कर लिया है तो ज़कात अदा हो जाएगी अगर्चे फ़क़ीर को थेले या डिब्बे में मौजूद रक़म का इ़ल्म न हो क्यूं कि क़ब्ज़े के लिये मक़्बूज़ (या'नी क़ब्ज़े में ली जाने वाली) अश्या का इ़ल्म होना शर्त़ नहीं।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 374)

ज़कात की रक़म वापस लेने का ना जाइज़ ह़ीला

किसी को आटे के थेले या मिठाई के डिब्बे वग़ैरा में रक़म रख कर बत़ौरे ज़कात देने के बा'द उसी थेले या डिब्बे को किसी क़ीमत पर ख़रीद लिया तो उस शख़्स के लिये वोह रक़म ह़राम है क्यूं कि फ़क़ीर ने मह़ज़ आटे का थेला या मिठाई का डिब्बा बेचा है रक़म नहीं।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 374)

वकील की फ़ीस अदा करना

ज़कात की रक़म किसी ग़रीब शख़्स के वकील को बत़ौरे फ़ीस नहीं दी जा सकती क्यूं कि ज़कात के लिये मालिक बनाना शर्त़ है। अगर

वोह ग़रीब शख़्स **मुस्तह़िक़े** ज़कात हो तो पहले उसे ज़कात दे दी जाए फिर वोह चाहे तो वकील की फ़ीस अदा करे या कुछ और।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 291)

तोह़फ़े की सूरत में ज़कात देना

अगर कोई शादी वग़ैरा के मौक़अ़ पर कपड़े या तोह़फ़े देने में ज़कात की निय्यत करना चाहे तो अगर लेने वाला **मुस्तह़िक़े** ज़कात है तो ज़कात की **निय्यत** से दे सकते हैं, **ज़कात** अदा हो जाएगी।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 387)

ज़कात की रक़म से अनाज ख़रीद कर देना

अगर खाना पका कर या अनाज ख़रीद कर ग़रीबों में तक़्सीम किया और देते वक़्त उन्हें मालिक बना दिया तो ज़कात अदा हो जाएगी मगर खाना पकाने पर आने वाला ख़र्च शामिले ज़कात नहीं होगा बल्कि पके हुए खाने के बाज़ारी दाम (या'नी क़ीमत) ज़कात में शुमार होंगे और अगर मह़ज़ दा'वत के अन्दाज़ में बिठा कर खिला दिया तो मालिक न बनाने की वजह से **ज़कात** अदा न होगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 262)

मोह़ताजों को कम क़ीमत में अनाज बेच कर ज़कात की निय्यत करना कैसा ?

अगर अनाज ख़रीद कर मुस्तह़िक़ीने ज़कात को कम क़ीमत में बेचें और जितनी रक़म कम की गई उसे **ज़कात** में शुमार करें तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी क्यूं कि येह सूरत रिआ़यत की है, मालिक बनाना नहीं पाया गया। इस के बजाए आ़क़िल व बालिग़ मुस्तह़िक़ीने ज़कात को अनाज अस्ल क़ीमत मसलन 50 रूपै किलो ही बेचा जाए और जितनी रिआ़यत मक़्सूद हो मसलन पांच

रूपै तो उतनी रक़म अपने पास से ज़कात के त़ौर पर दे कर उस का क़ब्ज़ा हो जाने के बा'द क़ीमत के त़ौर पर वापस ली जाए। अब फ़ी किलो पांच रूपै बत़ौरे ज़कात अदा हो गए उस को जम्अ़ कर के **ज़कात** में शुमार कर लें। (माख़ूज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 72)

ज़कात देने में शक हो तो ?

अगर शक हो कि ज़कात अदा की थी या नहीं ? तो ऐसी सूरत में **ज़कात** अदा करे।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ،مطلب فی زکوٰۃ ...الخ،ج٣،ص٢٢٨)

ला इल्मी में कम ज़कात देना

अगर ला इल्मी की बिना पर ज़कात कम अदा की तो जितनी ज़कात दी वोह अदा हो गई क्यूं कि अदाए ज़कात में निय्यत ज़रूर **शर्त़** है लेकिन मिक़्दारे ज़कात का सह़ीह़ मा'लूम होना **शर्त़** नहीं। मगर ऐसा शख़्स गुनहगार होगा क्यूं कि ज़कात की अदाएगी में ताख़ीर गुनाह है, ऐसे शख़्स को चाहिये कि तौबा करे और ह़िसाब लगा कर बक़िय्या **ज़कात** अदा करे। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 126)

ज़कात अदा करने के लिये वकील बनाना

ज़कात की अदाएगी के लिये किसी को वकील बनाना **जाइज़** है।

(ماخوذ ازردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ،مطلب فی زکوٰۃ ...الخ،ج٣،ص٢٢٤)

वकील को ज़कात का इ़ल्म होना

वकील को ज़कात के बारे में बताना ज़रूरी नहीं, अगर दिल में ज़कात की निय्यत है और वकील को कहा कि येह नफ़्ली सदक़ा व ख़ैरात है या ईदी है या क़र्ज़ है फ़ुलां को दे दो, तो भी

वकालत दुरुस्त है। लेकिन बता देना बेहतर है ताकि वोह अदाएगी की शराइत़ का ख़याल रख सके।

(ماخوذ ازردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ،مطلب فی زکوٰۃ ...الخ،ج۳،ص۲۲۳)

क्या वकील भी ज़कात की निय्यत करे ?

अगर वकील को मालिक (या'नी मुअक्किल) ने ज़कात अदा करने की निय्यत से माल दिया तो वकील को दोबारा निय्यत करने की ह़ाजत नहीं क्यूं कि अस्ल या'नी मालिक की निय्यत मौजूद है।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ ،مطلب فی زکوٰۃ ...الخ،ج۳،ص۲۲۲ ملخصاً)

नफ़्ली सदके़ के लिये वकील बनाने के बा'द ज़कात की निय्यत करना

वकील को देते वक़्त कहा नफ़्ल सदक़ा या कफ़्फ़ारा है मगर इस से पहले कि वकील **फ़क़ीरों** को दे, उस ने **ज़कात** की निय्यत कर ली तो **ज़कात** ही है, अगर्चे वकील ने नफ़्ल या कफ़्फ़ारे की निय्यत से फ़क़ीर को दिया हो।

(الدرالمختار وردالمحتار، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، ج۳، ص۲۲۳)

मुख़्तलिफ़ लोगों की ज़कात मिलाना

अगर देने वालों ने मिलाने की सराह़तन **इजाज़त** दी थी या इस पर उ़र्फ़ जारी हो और मुअक्किल इस उ़र्फ़ से **वाक़िफ़** हो तो वकील मुख़्तलिफ़ लोगों की **ज़कात** को आपस में मिला सकता है वरना नहीं।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ ،مطلب فی زکوٰۃ ...الخ،ج۳،ص۲۲۳ ملخصاً)

वकील का किसी को वकील बनाना

वकील मज़ीद किसी को वकील बना सकता है।

(المرجع السابق،ص۲۲٤)

क्या वकील किसी को भी ज़कात दे सकता है ?

अगर देने वालों ने मुत़्लक़न **इजाज़त** दी हो कि जिस मस्रफ़े **ज़कात** में चाहो सर्फ़ करो तो जिस में चाहे **सर्फ़** करे और अगर देने वालों ने किसी मुअ़य्यन मस्रफ़ में ख़र्च करने का कहा हो तो वहीं **सर्फ़** करना पड़ेगा। फ़तावा शामी में है : "जब ज़कात देने वाले ने येह कहा हो कि फ़ुलां पर ज़कात की रक़म सर्फ़ करो तो वकील को इस बात का इख़्तियार नहीं कि वोह इस के इ़लावा किसी और पर ज़कात की रक़म सर्फ़ करे।" (المرجع السابق)

क्या वकील ख़ुद ज़कात रख सकता है ?

जब देने वालों ने मुत़्लक़न **इजाज़त** दी हो कि जहां चाहो सर्फ़ करो तो मुस्तह़िक़े ज़कात होने की सूरत में वकील ख़ुद **ज़कात** रख सकता है वरना नहीं। दुर्रे मुख़्तार में है : "वकील को जाइज़ है कि अपने फ़क़ीर बेटे या बीवी को **ज़कात** दे दे मगर ख़ुद नहीं ले सकता, हां ! अगर देने वाले ने येह कहा हो कि जहां चाहो मस्रफ़े ज़कात में सर्फ़ करो तो अपने लिये भी जाइज़ है जब कि फ़क़ीर हो।"

(الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ، ج٣، ص٢٢٤)

ज़कात पेशगी अदा करना

पेशगी ज़कात दे सकते हैं लेकिन इस के लिये 2 शराइत़ हैं।

(1) देने वाला मालिके निसाब हो, (2) इख़्तितामे साल पर निसाब मुकम्मल हो।

अगर दोनों में से एक भी **शर्त़** कम होगी तो दिया जाने वाला माल **नफ़्ली सदक़ा** शुमार होगा।

(الفتاویٰ الهندیة، کتاب الزکوٰۃ، الباب الاول، ج١، ص١٧٦)

पेशगी हि़साब का त़रीक़ा

जो साहि़बे निसाब इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें थोड़ी थोड़ी कर के **पेशगी ज़कात** देना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वोह अपने पास मौजूद कुल माले ज़कात (सोना चांदी, करन्सी नोट, माले तिजारत वग़ैरा) का अन्दाज़न हि़साब लगा लें फिर कुल माले ज़कात की क़ीमत का 2.5% बत़ौरे **ज़कात** अलग अलग कर लें । फिर अगर वोह माहाना के हि़साब से देना चाहें तो ज़कात की रक़म को 12 पर तक़्सीम कर लें और अगर हफ़्तावार देना चाहें तो 48 पर और अगर रोज़ाना देना चाहें तो 360 पर तक़्सीम कर लें । फिर जब साल तमाम हो तो **ज़कात** का मुकम्मल हि़साब कर लें और जो कमी हो उसे पूरा करें ।

पेशगी ज़कात ज़ियादा दे दी तो क्या करे ?

अगर पेशगी ज़कात ज़ियादा चली गई तो उसे आयन्दा साल की **ज़कात** में शामिल कर ले ।

(الفتاوىٰ الهندية، كتاب الزكوٰة،الباب الاول، ج١، ص١٧٦)

जिसे पेशगी ज़कात दी थी बा'द में वोह मालदार हो गया तो ?

जिस फ़क़ीर को पेशगी **ज़कात** दी थी वोह साल के इख़्तिताम पर मालदार हो गया या मर गया या मुरतद हो गया तो **ज़कात** अदा हो गई । (الفتاوىٰ الهندية، كتاب الزكوٰة،الباب الاول، ج١، ص١٧٦)

इख़्तितामे साल पर निसाब बाक़ी न रहा तो ?

ऐसी सूरत में जो कुछ दिया, नफ़्ली सदक़े में शुमार होगा ।

(الفتاوىٰ الهندية، كتاب الزكوٰة،الباب الاول، ج١، ص١٧٦)

ज़कात देने वाले के माल से ज़कात की अदाएगी

जिस पर ज़कात वाजिब हो उसी के माल से ज़कात देना ज़रूरी नहीं कोई दूसरा भी उस की **इजाज़त** से **ज़कात** अदा कर सकता है। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 139) मसलन बीवी पर ज़कात हो तो उस की इजाज़त से शोहर अपने माल से अदा कर सकता है।

बिला इजाज़त किसी के माल से उस की ज़कात देना

किसी की इजाज़त के बिग़ैर उस के माल से पेशगी ज़कात देता रहा फिर उसे ख़बर की और उस ने जाइज़ रखा तो भी **ज़कात** अदा नहीं होगी और जो कुछ मालिक की इजाज़त के बिग़ैर फ़ुक़रा को दिया है उस का तावान अदा करे। फ़तावा शामी में है **:** "अगर किसी ने दूसरे की इजाज़त के बिग़ैर ज़कात अदा कर दी फिर दूसरे तक ख़बर पहुंची और उस ने जाइज़ भी रखा तब भी **ज़कात** अदा न होगी।"

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ،مطلب فی زکوٰۃ ...الخ، ج۳،ص۲۲۳)

ज़कात दिये बिग़ैर इन्तिक़ाल कर जाने वाले का हुक्म

जिस शख़्स पर ज़कात वाजिब है अगर वोह मर गया तो साक़ित हो गई या'नी उस के माल से **ज़कात** देना ज़रूरी नहीं, **हां** अगर वसिय्यत कर गया तो तिहाई माल (या'नी कुल माल के तीसरे हिस्से) तक वसिय्यत नाफ़िज़ है और अगर आ़क़िल बालिग़ वरसा इजाज़त दे दें तो कुल माल से **ज़कात** अदा की जाए।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला नम्बर : 84, स. 892)

मश्रूत़ त़ौर पर ज़कात देना

अगर ज़कात देते वक़्त कोई **शर्त़** लगा दी मसलन यहां रहोगे तो देता हूं वरना नहीं, या इस शर्त़ पर ज़कात देता हूं कि फ़ुलां काम

मसलन ता'मीरे मस्जिद या मद्रसे में सर्फ़ करो तो लेने वाले पर इस शर्त़ की **पाबन्दी** ज़रूरी नहीं ज़कात अदा हो जाएगी क्यूं कि **ज़कात** एक सदक़ा है और सदक़ा शर्ते़ फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होता।

(ماخوذ از الدرالمختارو رد المحتار ، کتاب الزکوٰۃ ، باب المصرف، ج۳،ص۳٤۳)

ज़कात की रक़म तिजारत में लगा कर उस का नफ़्अ़ ग़रीबों में तक़्सीम करना कैसा ?

अगर साल पूरा हो चुका है तो ज़कात की रक़म उस के मुस्तह़िक़ को देने के बजाए तिजारत में लगाना ह़राम है। हां अगर कोई साल पूरा होने से पहले इस **निय्यत** के साथ अपनी ज़कात की रक़म कारोबार में लगाए कि साल तमाम होने पर येह रक़म उस के मुनाफ़अ़ समेत फ़ुक़रा को दे दूंगा तो येह **निय्यत** बहुत अच्छी है।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 159 मुलख़्ख़सन)

माले ज़कात से वक़्फ़

माले ज़कात से कोई चीज़ ख़रीद कर **वक़्फ़** नहीं की जा सकती इस लिये माले ज़कात से **वक़्फ़** मुम्किन नहीं क्यूं कि वक़्फ़ किसी की मिल्किय्यत नहीं होता और **ज़कात** अदा करने के लिये **मालिक** बनाना शर्त़ है। इस की तदबीर, यूं की जा सकती है कि किसी मस्रफ़े ज़कात को ज़कात दें फिर वोह अपनी त़रफ़ से किताबें वग़ैरा ख़रीद कर **वक़्फ़** कर दें। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 255)

ज़कात शहर से बाहर ले जाना

अगर ज़कात पेशगी अदा करनी हो तो दूसरे शहर भेजना मुत़लक़न **जाइज़** है और अगर साल पूरा हो चुका है तो दूसरे शहर भेजना **मक्रूह**, हां अगर वहां कोई रिश्तेदार हो या कोई शख़्स ज़ियादा

मोह्ताज हो या कोई नेक मुत्तक़ी शख़्स हो या वहां भेजने में मुसल्मानों का ज़ियादा फ़ाएदा हो तो कोई **ह़रज** नहीं। दुर्रे मुख़्तार में है : "ज़कात को दूसरी जगह मुन्तक़िल करना मक्रूह है, हां ऐसी सूरत में मक्रूह नहीं जब दूसरी जगह कोई रिश्तेदार हो या कोई ज़ियादा मोह्ताज हो या नेक मुत्तक़ी शख़्स हो या उस में मुसल्मानों का ज़ियादा फ़ाएदा हो या साल से पहले जल्दी ज़कात देना चाहता हो।"

(ماخوذاز الدرالمختارو رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب المصرف مطلب فی الحوائج ج٣ص٢٥٥)

बैंक से ज़कात की कटौती

बैंक से ज़कात की कटौती की सूरत में अदाऐगिये ज़कात की शराइत़ पूरी नहीं हो पातीं मसलन मालिक बनाना, कि ज़ियादा रूपिया ऐसी जगह ख़र्च किया जाता है जहां कोई मालिक नहीं होता, लिहाज़ा ज़कात अदा नहीं होगी। (वक़ारुल फ़तावा, जि. 2, स. 414 मुलख़्ख़सन) लिहाज़ा शरई एह्तियात़ का तक़ाज़ा येही है कि अपनी ज़कात शरीअ़त के मुत़ाबिक़ खुद अदा की जाए।

ह़ीलए शरई

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَکَاتُھُمُ الْعَالِیَہ अपनी किताब "**इस्लामी बहनों की नमाज़**" सफ़्ह़ा 166 पर लिखते हैं : ह़ीलए शरई का जवाज़ क़ुरआनो ह़दीस और फ़िक़्हे ह़नफ़ी की मो'तबर कुतुब में मौजूद है। चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अय्यूब عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की बीमारी के ज़माने में आप عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام की ज़ौजए मोह्तरमा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا एक बार ख़िदमते सरापा अ़ज़मत में ताख़ीर से ह़ाज़िर हुईं तो आप عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ने क़सम खाई कि "मैं तन्दुरुस्त हो कर 100 कोड़े मारूंगा" सिह्ह़त याब होने पर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने उन्हें 100 तीलियों की झाड़ू मारने का हुक्म इर्शाद फ़रमाया। चुनान्चे क़ुरआने पाक में है :

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ (پ ۲۳،صٓ: ٤٤) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर उस से मार दे और क़सम न तोड़ ।

"फ़तावा आ़लमगीरी" में ह़ीलों का एक मुस्तक़िल बाब है जिस का नाम "**किताबुल ह़ियल**" है चुनान्चे "आ़लमगीरी किताबुल ह़ियल" में है, "जो ह़ीला किसी का ह़क़ मारने या उस में शुबा पैदा करने या बात़िल से फ़रेब देने के लिये किया जाए वोह मक्रूह है और जो ह़ीला इस लिये किया जाए कि आदमी ह़राम से बच जाए या ह़लाल को ह़ासिल कर ले वोह अच्छा है। इस क़िस्म के ह़ीलों के जाइज़ होने की दलील **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का येह फ़रमान है :

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ (پ ۲۳،صٓ: ٤٤) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और फ़रमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर उस से मार दे और क़सम न तोड़ ।

(الفتاوٰی الھندیۃ ، کتاب الحیل ، ج٦،ص ٣٩٠)

कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?

ह़ीले के जवाज़ पर एक और दलील मुलाह़ज़ा फ़रमाइये चुनान्चे **ह़ज़रते** सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا से रिवायत है कि एक बार ह़ज़रते सय्यिदतुना सारह और ह़ज़रते सय्यिदतुना हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا में कुछ चप्क़लिश हो गई । ह़ज़रते सय्यिदतुना सारह رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا ने क़सम खाई कि मुझे अगर क़ाबू मिला तो मैं हाजिरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا का कोई उ़ज़्व काटूंगी। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ने ह़ज़रते सय्यिदुना

जिब्रईल عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام को ह़ज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की ख़िदमत में भेजा कि उन में सुल्ह़ करवा दें। ह़ज़रते सय्यिदतुना सारह رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا ने अ़र्ज़ की, "**مَاحِيلَةُ يَمِيْنِی**" या'नी मेरी क़सम का क्या ह़ीला होगा ?" तो ह़ज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام पर वह़्य नाज़िल हुई कि (ह़ज़रते) सारह (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) को हुक्म दो कि वोह (ह़ज़रते) हाजिरा (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) के कान छेद दें। **उसी वक़्त से औ़रतों के कान छेदने का रवाज पड़ा।** (غمزعُیون البصائر شرح الاشباہ والنظائر، ج۳،ص۲۹۵)

गोश्त का तोह़फ़ा

उम्मुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदतुना आ़इशा सिद्दीक़ा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا से रिवायत है कि दो जहां के सुल्तान, सरवरे ज़ीशान, मह़बूबे रह़मान صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में गाय का गोश्त ह़ाज़िर किया गया, किसी ने अ़र्ज़ की, येह गोश्त ह़ज़रते सय्यिदतुना बरीरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا पर सदक़ा हुवा था। फ़रमाया : **هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ**. या'नी येह बरीरा के लिये सदक़ा था हमारे लिये हदिय्या है।

(صحیح مسلم ،کتاب الزکوۃ،الحدیث ۱۰۷۵ ص ۵٤۱)

ज़कात का शरई ह़ीला

ह़ज़रते सय्यिदतुना बरीरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا जो कि सदक़े की ह़क़दार थीं उन को बतौ़रे सदक़ा मिला हुवा गोश्त अगर्चे उन के ह़क़ में सदक़ा ही था मगर उन के क़ब्ज़ा कर लेने के बा'द जब बारगाहे रिसालत में पेश किया गया था तो उस का हुक्म बदल गया था और अब वोह सदक़ा न रहा था। यूं ही कोई मुस्तह़िक़ शख़्स **ज़कात** अपने क़ब्ज़े में

लेने के बा'द किसी भी आदमी को तोहूफ़तन दे सकता या मस्जिद वगै़रा के लिये पेश कर सकता है कि मज़्कूरा मुस्तहिक़ शख़्स का पेश करना अब ज़कात न रहा, हदिय्या या अ़तिय्या हो गया।

ह़ीलए शरई का त़रीक़ा

ह़ीलए शरई का त़रीक़ा येह है किसी शरई फ़क़ीर को **ज़कात** का मालिक बना दें फिर वोह (आप के मश्वरे पर या ख़ुद) अपनी त़रफ़ से किसी नेक काम में ख़र्च करने के लिये दे दे। तो اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ दोनों को सवाब होगा। फ़ुक़हाए किराम رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی इर्शाद फ़रमाते हैं, **ज़कात** की रक़म मुर्दे की तज्हीज़ व तक्फ़ीन या मस्जिद की ता'मीर में सर्फ़ नहीं कर सकते कि तम्लीके फ़क़ीर (या'नी फ़क़ीर को मालिक करना) न पाई गई। अगर इन उमूर में ख़र्च करना चाहें तो इस का त़रीक़ा येह है कि **फ़क़ीर** को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वगै़रा में) सर्फ़ करे, इस त़रह़ सवाब दोनों को होगा।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، ج۳، ص۳۴۳)

100 अफ़राद को बराबर बराबर सवाब मिले

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! कफ़न दफ़्न बल्कि ता'मीरे मस्जिद में भी ह़ीलए शरई के ज़रीए ज़कात इस्ति'माल की जा सकती है। क्यूं कि ज़कात तो फ़क़ीर के ह़क़ में थी जब फ़क़ीर ने क़ब्ज़ा कर लिया तो अब वोह मालिक हो चुका, जो चाहे करे। ह़ीलए शरई की बरकत से देने वाले की ज़कात भी अदा हो गई और फ़क़ीर भी मस्जिद में दे कर सवाब का ह़क़दार हो गया। फ़क़ीरे शरई को ह़ीले का मस्अला बेशक समझा दिया जाए। ह़ीला करते वक़्त मुम्किन हो तो

ज़ियादा अफ़राद के हाथ में रक़म फिरानी चाहिये ताकि सब को सवाब मिले मसलन ह़ीले के लिये फ़क़ीरे शर्ई को 12 लाख रूपै ज़कात दी, क़ब्ज़े के बा'द वोह किसी भी इस्लामी भाई को तोह़फ़तन दे दे येह भी क़ब्ज़े में ले कर किसी और को मालिक बना दे, यूं सभी ब निय्यते सवाब एक दूसरे को मालिक बनाते रहें, आख़िर वाला मस्जिद या जिस काम के लिये ह़ीला किया था उस के लिये दे दे तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ सभी को बारह बारह लाख रूपै सदक़ा करने का सवाब मिलेगा। चुनान्चे ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सख़ावत, सरापा रह़मत, मह़बूबे रब्बुल इ़ज़्ज़त صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया, अगर सो100 हाथों में सदक़ा गुज़रा तो सब को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिये है और उस के अज्र में कुछ कमी न होगी। (تاریخ بغداد، ج۷، ص۱۳۵)

रख मत लेना

ह़ीला करते वक़्त शर्ई फ़क़ीर को येह न कहिये कि वापस दे देना, रख मत लेना वग़ैरा वग़ैरा, बिलफ़र्ज़ ऐसा कह भी दिया तब भी ज़कात की अदाएगी व ह़ीले में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा क्यूं कि सदक़ात व ज़कात और तोह़फ़ा देने में इस क़िस्म के शर्त़िय्या अल्फ़ाज़ फ़ासिद हैं। आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْهِ رَحْمَةُالرَّحْمٰن फ़तावा शामी के ह़वाले से फ़रमाते हैं, ''हिबा और सदक़ा शर्तें फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होते।''

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 108)

अगर शरई फ़क़ीर ज़कात ले कर वापस न दे तो ?

अगर ह़ीला करने के लिये शरई फ़क़ीर को **ज़कात** दी जाए और वोह ले कर रख ले तो अब उस से नेक कामों के लिये जब्रन नहीं ले सकते क्यूं कि अब वोह मालिक हो चुका और उसे अपने माल पर इख़्तियार ह़ासिल है। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 108)

ह़ीलए शरई के लिये भरोसे का आदमी न मिल सके तो ?

अगर भरोसे का कोई आदमी न मिल सके तो इस का मुम्किना त़रीक़ा येह है कि अगर पांच हज़ार रूपै ज़कात बनती हो तो किसी शरई फ़क़ीर के हाथ कोई चीज़ मसलन चन्द किलो गन्दुम पांच हज़ार की बेची जाए और उसे समझा दिया जाए कि इस की क़ीमत तुम्हें नहीं देनी पड़ेगी बल्कि हम तुम्हें रक़म देंगे उसी से अदा कर देना। जब वोह बैअ़ क़बूल कर ले तो गन्दुम उसे दे दी जाए, इस त़रह़ वोह आप का पांच हज़ार का मक़रूज़ हो गया। अब उसे पांच हज़ार रूपै ज़कात की मद में दें जब वोह इस पर क़ब्ज़ा कर ले तो ज़कात अदा हो गई, फिर आप गन्दुम की क़ीमत के त़ौर पर वोह पांच हज़ार वापस ले लें, अगर वोह देने से इन्कार करे तो जब्रन (ज़बर दस्ती) भी ले सकते हैं क्यूं कि क़र्ज़ ज़बर दस्ती भी वुसूल किया जा सकता है।

(الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ،ج۳، ص۲۲٦, माख़ूज़ अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 388)

फ़क़ीर को ज़कात की रक़म भलाई के कामों में ख़र्च करने का मश्वरा देना

ह़ीलए शरई में देने के बा'द उस फ़क़ीर को किसी अम्रे ख़ैर के लिये देने का कह सकते हैं इस पर اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ दोनों को सवाब मिलेगा

कि जो किसी भलाई पर राहनुमाई करता है उस पर अ़मल करने वाले का सवाब उसे भी मिलता है।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، ج۳، ص۲۲۷, माख़ूज़ अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 388)

ह़ीलए शरई किये बिग़ैर ज़कात मद्रसे में ख़र्च कर दी तो ?

अगर किसी ने ह़ीलए शरई किये बिग़ैर **ज़कात** मद्रसे में ख़र्च कर दी तो अब वोह ख़र्च **ज़कात** में शुमार नहीं हो सकता क्यूं कि अदाएगी की शराइत़ मौजूद नहीं है। जो कुछ ख़र्च किया गया वोह ख़र्च करने वाले की त़रफ़ से हुवा। उस पर लाज़िम है कि इस तमाम रक़म का तावान दे (या'नी इतनी रक़म अपने पास से अदा करे)।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा फ़क़ीहे मिल्लत, जि. 1, स. 311)

मां बाप को ज़कात देने के लिये ह़ीलए शरई करना

मां बाप मोह़ताज हों और ह़ीला कर के **ज़कात** देना चाहता है कि येह फ़क़ीर को दे दे फिर फ़क़ीर उन्हें दे येह मक्रूह है। यूंही ह़ीला कर के अपनी औलाद को देना भी मक्रूह है।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, मस्अला : 24, स. 928)

ज़कात की जगह नफ़्ली सदक़ा करना

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْہِ رَحْمَۃُ الرَّحْمٰن ने **फ़तावा रज़विय्या** जिल्द 10 सफ़ह़ा 175 पर एक सुवाल के जवाब में जो कुछ इर्शाद फ़रमाया उस का ख़ुलासा पेशे ख़िदमत है, चुनान्चे आप رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ लिखते हैं :

उस से बढ़ कर **अह़मक़** कौन कि अपने माल झूटे सच्चे नाम की **ख़ैरात** में सर्फ़ करे और **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का फ़र्ज़ और उस बादशाहे

क़ह्हार का वोह भारी क़र्ज़ गरदन पर रहने दे। शैत़ान का बड़ा धोका है कि आदमी को नेकी के पर्दे में हलाक करता है। नादान समझता ही नहीं, येह समझा कि नेक काम कर रहा हूं और न जाना कि नफ़्ल बे फ़र्ज़ निरे धोके की टट्टी है, उस के **क़बूल** की उम्मीद तो मफ़्क़ूद और उस के तर्क का अ़ज़ाब गरदन पर मौजूद। ऐ अ़ज़ीज़ ! **फ़र्ज़ ख़ास सुल्त़ानी क़र्ज़ है और नफ़्ल गोया तोह़फ़ा व नज़राना । क़र्ज़** न दीजिये और बालाई बेकार **तोह़फ़े** भेजिये वोह क़ाबिले क़बूल होंगे ख़ुसूसन उस शहन्शाहे ग़नी की बारगाह में जो तमाम जहान व जहानियां से बे नियाज़ ? यूं यक़ीन न आए तो दुन्या के झूटे ह़ाकिमों ही को आज़्मा ले, कोई ज़मीन दार **माल गुज़ारी** तो बन्द कर ले और **तोह़फ़े** में डालियां भेजा करे, देखो तो सरकारी **मुजरिम** ठहरता है या उस की डालियां कुछ बहबूद का फल लाती हैं ? ज़रा आदमी अपने ही गिरीबान में मुंह डाले, फ़र्ज़ कीजिये आसामियों से किसी खंडसारी (चीनी बनाने वाले) का रस बंधा हुवा है जब देने का वक़्त आए वोह रस तो हरगिज़ न दें मगर तोह़फ़े में आ़म ख़रबूज़े भेजें, क्या येह शख़्स इन आसामियों से राज़ी होगा या आते हुए उस की ना दिहन्दगी पर जो आज़ार उन्हें पहुंचा सकता है उन आम ख़रबूज़े के बदले उस से बाज़ आएगा ? سُبْحٰنَ اللہ ! जब एक खंडसारी के मुत़ालबे का येह ह़ाल है तो मलिकुल मुलूक अह़्कमुल ह़ाकिमीन جَلَّ وَعَلَا के क़र्ज़ का क्या पूछना !

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ की वसिय्यत

जब ख़लीफ़ए रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم सय्यिदुना सिद्दीक़े अक्बर رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ की नज़्अ़ का वक़्त हुवा अमीरुल मुअमिनीन

फ़ारूके़ आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ को बुला कर फ़रमाया : ऐ उ़मर ! अल्लाह से डरना और जान लो कि अल्लाह के कुछ काम दिन में हैं कि उन्हें रात में करो तो क़बूल न फ़रमाएगा और कुछ काम रात में कि उन्हें दिन में करो तो मक़्बूल न होंगे, और ख़बरदार रहो कि कोई नफ़्ल क़बूल नहीं होता जब तक फ़र्ज़ अदा न कर लिया जाए ।

(حلیۃ الاولیاء،اسم ابو بکر الصدیق،ج ۱،ص ۷۱)

ग़ौसे आ'ज़म رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ की तम्बीह

हुज़ूर पुरनूर सय्यिदुना ग़ौसे आ'ज़म मौलाए अकरम ह़ज़रते शैख़ मुह्युल मिल्लत वद्दीन **अबू मुह़म्मद अ़ब्दुल क़ादिर जीलानी** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ने अपनी किताबे मुस्तत़ाब "**फुतूहुल ग़ैब शरीफ़**" में क्या क्या जिगर शिगाफ़ **मिसालें** ऐसे शख़्स के लिये इर्शाद फ़रमाई हैं जो **फ़र्ज़** छोड़ कर **नफ़्ल** बजा लाए । फ़रमाते हैं : इस की **कहावत** ऐसी है जैसे किसी शख़्स को बादशाह अपनी **ख़िदमत** के लिये बुलाए, येह वहां तो **ह़ाज़िर** न हुवा और उस के **गुलाम की ख़िदमत गारी** में मौजूद रहे । फिर ह़ज़रते अमीरुल मुअमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यिदुना **मौला अ़ली मुर्तज़ा** کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡہَہٗ से उस की मिसाल नक़्ल फ़रमाई कि जनाब इर्शाद फ़रमाते हैं : ऐसे शख़्स का **ह़ाल** उस औ़रत की त़रह़ है जिसे ह़म्ल रहा जब बच्चा होने के दिन क़रीब आए **इस्क़ात़** (या'नी बच्चा ज़ाएअ़) हो गया अब वोह **न ह़ामिला है न बच्चे वाली** । या'नी जब पूरे दिनों पर अगर इस्क़ात़ हो तो **मेह़नत** तो पूरी उठाई और **नतीजा** ख़ाक नहीं कि अगर बच्चा होता तो **समरा** (या'नी फल) ख़ुद मौजूद था ह़म्ल बाक़ी रहता तो आगे **उम्मीद** लगी थी, अब न ह़म्ल न बच्चा, न उम्मीद न समरा

और **तक्लीफ़** वोही झेली जो बच्चे वाली को होती । ऐसे ही इस **नफ़्ल ख़ैरात** देने वाले के पास से **रूपिया** तो उठा मगर जब कि **फ़र्ज़ छोड़ा येह नफ़्ल भी क़बूल न हुवा तो ख़र्च का ख़र्च हुवा और ह़ासिल कुछ नहीं ।** इसी किताबे मुबारक में हुज़ूर मौला رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ने फ़रमाया है कि : فان اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه واهين या'नी फ़र्ज़ छोड़ कर सुन्नत व नफ़्ल में मश्ग़ूल होगा येह क़बूल न होंगे और ख़्वार किया जाएगा । (شرح فتوح الغيب،ص ٥١١تا٥١٤)

ह़ज़रते शैख़ुश्शुयूख़ इमाम शहाबुल मिल्लत वद्दीन सोहरवर्दी قُدِّسَ سِرُّہُ الْعَزِیْز अ़वारिफ़ शरीफ़ के باب الثامن والثّلاثون में ह़ज़रते ख़्वास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से नक़्ल फ़रमाते हैं : بلغنا ان اللّٰه لايقبل نافلة حتى يؤدى فريضة يقول اللّٰه تعالىٰ مثلكم كمثل العبد السوء بداء بالهداية قبل قضاء الدين۔ या'नी हमें ख़बर पहुंची कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ कोई नफ़्ल क़बूल नहीं फ़रमाता यहां तक कि फ़र्ज़ अदा किया जाए, अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों से फ़रमाता है कहावत तुम्हारी बद बन्दे की मानिन्द है जो क़र्ज़ अदा करने से पहले तोह़फ़ा पेश करे ।

(عوارف المعارف،ص ١٩١)

चार फ़राइज़ में तीन पर अ़मल करना

ख़ुद ह़दीस में है : हुज़ूर पुरनूर सय्यिदे आ़लम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : اربع فرضهن اللّٰه فى الاسلام فمن جاء بثلث لم يغنين عنه شيئًا حتى ياتى بهن جميعًا الصّلوة والزكوٰة وصيام رمضان وحج البيت चार[4] चीज़ें

अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम में फ़र्ज़ की हैं जो उन में से तीन अदा करे वोह उसे कुछ काम न दें जब तक पूरी चारों न बजा लाए नमाज़, **ज़कात**, रोज़ए रमज़ान, ह़ज्जे का'बा। (مسند امام احمد،مسند الشامیین، ج٦،ص٢٣٦)

नमाज़ क़बूल नहीं

ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ फ़रमाते हैं : امرنا باقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ ومن لم یزک فلا صلوۃ له हमें हुक्म दिया गया कि नमाज़ पढ़ें और **ज़कात** दें और जो **ज़कात** न दे उस की नमाज़ क़बूल नहीं। (المعجم الکبیر،الحدیث ١٠٠٩٥ ج١٠،ص١٠٣)

سُبْحٰنَ اللّٰہ ! जब ज़कात न देने वाले की नमाज़, रोज़े, ह़ज तक **मक़्बूल** नहीं तो इस **नफ़्ल ख़ैरात** नाम की काएनात से क्या उम्मीद है बल्कि इन्ही से अस्बहानी की रिवायत में आया कि फ़रमाते हैं : من اقام الصلوۃ ولم یؤت الزکوۃ فلیس بمسلم ینفعه। जो नमाज़ अदा करे और ज़कात न दे वोह मुसल्मान नहीं कि उसे उस का अ़मल काम आए। (الزواجر، ج١،ص٢٨٠) **इलाही !** मुसल्मान को हिदायत फ़रमा आमीन !

जो सदक़ा व ख़ैरात कर चुका उस का हुक्म

बिल जुम्ला जिस शख़्स ने आज तक जिस क़दर **ख़ैरात** की, मस्जिद बनाई, गाउं **वक़्फ़** किया, येह सब उमूर **सह़ीह़ व लाज़िम** तो हो गए कि अब न दी हुई ख़ैरात फ़क़ीर से वापस कर सकता है न किये हुए **वक़्फ़** को फेर लेने का इख़्तियार रखता है, न इस गाउं की तौफ़ीर अदाए ज़कात, ख़्वाह अपने और किसी काम में सर्फ़ कर सकता है कि वक़्फ़ बा'द

तमामी **लाज़िम** व **ह़त्मी** हो जाता है जिस के इब्त़ाल का हरगिज़ **इख़्तियार** नहीं रहता।

मगर इस के बा वुजूद जब तक **ज़कात** पूरी पूरी न अदा करे इन अफ़आ़ल पर **उम्मीदे सवाब व क़बूल** नहीं कि किसी फे़'ल का सह़ीह़ हो जाना और बात है और उस पर **सवाब** मिलना, मक़्बूले बारगाह होना और बात है, मसलन अगर कोई शख़्स दिखावे के लिये नमाज़ पढ़े नमाज़ सह़ीह़ तो हो गई फ़र्ज़ उतर गया, पर न क़बूल होगी न सवाब पाएगा, बल्कि उल्टा गुनाहगार होगा, येही ह़ाल उस शख़्स का है।

शैत़ान के वार को पहचानिये

ऐ अ़ज़ीज़ ! अब **शैत़ाने लईन** कि इन्सान का खुला **दुश्मन** है बिल्कुल हलाक कर देने और येह ज़रा सा डोरा जो क़स्दे ख़ैरात का लगा रह गया है जिस से फ़ुक़रा को तो नफ़्अ़ है उसे भी काट देने के लिये यूं **फ़िक़्रा** सुझाएगा कि जो ख़ैरात **क़बूल** नहीं तो करने से क्या **फ़ाएदा,** चलो इसे भी दूर करो, और शैत़ान की पूरी बन्दगी बजा लाओ, मगर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को तेरी भलाई और अ़ज़ाबे शदीद से **रिहाई** मन्ज़ूर है, वोह तेरे दिल में डालेगा कि इस हुक्मे **शरई का जवाब** येह न था जो इस **दुश्मने ईमान** ने तुझे **सिखाया** और रहा सहा बिल्कुल ही **मुतमर्रिद व सरकश** बनाया बल्कि तुझे तो **फ़िक्र** करनी थी जिस के बाइ़स अ़ज़ाबे सुल्त़ानी से भी **नजात** मिलती और आज तक कि येह वक़्फ़ व मस्जिद व ख़ैरात भी सब **क़बूल** हो जाने की उम्मीद पड़ती, भला ग़ौर करो वोह बात **बेहतर** कि बिगड़ते हुए काम फिर बन जाएं, **अकारत** जाती मेह़नतें अज़ सरे नौ **समरा** लाएं या مَعَاذَاللّٰه येह बेहतर कि रही सही नाम को जो सूरते बन्दगी बाक़ी है उसे भी सलाम

कीजिये और खुले हुए **सरकशों, इश्तिहारी बाग़ियों** में नाम लिखा लीजिये, वोह **नेक तदबीर** येही है कि ज़कात न देने से तौबा कीजिये।

ज़कात अदा कर दीजिये

आज तक जितनी **ज़कात** गरदन पर है फ़ौरन दिल की ख़ुशी के साथ अपने रब का हुक्म मानने और उसे राज़ी करने को अदा कर दीजिये कि **शहन्शाहे बे नियाज़** की दरगाह में **बाग़ी ग़ुलामों** की फ़ेहरिस्त से नाम कट कर **फ़रमां बरदार बन्दों** के दफ़्तर में चेहरा लिखा जाए। **मेह्रबान मौला** जिस ने जान अ़ता की, आ'ज़ा दिये, माल दिया, करोड़ों ने'मतें बख़्शीं, उस के हुज़ूर मुंह **उजाला** होने की सूरत नज़र आए और **मुज़्दा** हो, बिशारत हो, नवीद हो, तहनिय्यत हो कि ऐसा करते ही अब तक जिस क़दर ख़ैरात दी है वक़्फ़ किया है, मस्जिद बनाई है, इन सब की भी मक़्बूली की उम्मीद होगी कि जिस जुर्म के बाइस येह क़ाबिले क़बूल न थे जब वोह ज़ाइल हो गया उन्हें भी بِاِذْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی **शरफ़े क़बूल** हासिल हो गया।

ज़कात का हिसाब कैसे लगाए ?

चारए कार तो येह है आगे हर शख़्स अपनी भलाई बुराई का इख़्तियार रखता है, मुद्दते दराज़ गुज़रने के बाइस अगर ज़कात का **तह़क़ीक़ी** हिसाब न मा'लूम हो सके तो आक़िबत पाक करने के लिये **बड़ी से बड़ी रक़म** जहां तक ख़याल में आ सके **फ़र्ज़** कर ले कि **ज़ियादा** जाएगा तो **ज़ाएअ़** न जाएगा, बल्कि तेरे रब मेह्रबान के पास तेरी बड़ी हाजत के वक़्त के लिये **जम्अ़** रहेगा वोह इस का **कामिल अज्र** जो तेरे हौसला व गुमान से बाहर है अ़ता फ़रमाएगा, और कम किया तो बादशाहे क़ह्हार का मुतालबा जैसा हज़ार रूपिये का वैसा ही एक पैसे का।

कुसूर अपना है

अगर इस वजह से कि माले कसीर और बरसों की ज़कात है येह रक़्म वाफ़िर देते हुए नफ़्स को दर्द पहुंचेगा, तो **अव्वल** तो येह ही ख़याल कर लीजिये कि कुसूर अपना है साल ब साल देते रहते तो येह गठड़ी क्यूं बंध जाती, फिर ख़ुदाए करीम عَزَّوَجَلَّ, की मेह्रबानी देखिये, उस ने येह हुक्म न दिया कि **ग़ैरों** ही को दीजिये बल्कि **अपनों** को देने में दूना सवाब रखा है, एक तसद्दुक़ का, एक सिलए रेह्म का। तो जो अपने घर से प्यारे, दिल के अ़ज़ीज़ हों जैसे भाई, भतीजे, भांजे, उन्हें दे दीजिये कि उन का देना चन्दां ना गवार न होगा, बस **इतना लिह़ाज़** कर लीजिये कि न वोह ग़नी हो न ग़नी बाप ज़िन्दा के ना बालिग़ बच्चे, न उन से अ़लाक़ा ज़ौजिय्यत या विलादत हो या'नी न वोह अपनी औलाद में न आप उन की औलाद में। फिर अगर रक़्म ऐसी ही फ़रावां (या'नी कसीर) है कि गोया हाथ बिल्कुल **ख़ाली** हुवा जाता है तो दिये बिग़ैर तो छुटकारा नहीं, ख़ुदा के वोह **सख़्त अ़ज़ाब** हज़ारों बरस तक झेलने बहुत **दुश्वार** हैं, दुन्या की येह चन्द सांसें तो जैसे बने **गुज़र** ही जाएंगी।

बरसों की ज़कात की अदाएगी का एक ह़ीला

अगर येह शख़्स अपने इन अ़ज़ीज़ों को ब निय्यते **ज़कात** दे कर क़ब्ज़ा दिलाए फिर वोह तर्स खा कर बिग़ैर उस के जब्र व इक्राह के (या'नी मजबूर किये बग़ैर) अपनी ख़ुशी से बतौरे **हिबा जिस** क़दर चाहें वापस कर दें तो सब के लिये सरासर **फ़ाएदा** है, उस के लिये येह कि ख़ुदा के **अ़ज़ाब** से छूटा, अल्लाह तआ़ला का क़र्ज़ व फ़र्ज़ अदा हुवा और माल भी **ह़लाल व पाकीज़ा** हो कर वापस मिला, जो **बच** रहा वोह अपने जिगर पारों के पास रहा, उन के लिये येह **फ़ाएदे** हैं कि दुन्या में **माल** मिला उ़क़्बा में अपने अ़ज़ीज़ मुसल्मान भाई पर तर्स खाने और उसे हिबा करने और उस के अदाए ज़कात में मदद देने से **सवाब** पाया, फिर अगर

इन पर पूरा इत़्मीनान हो तो **ज़कात** सालहा साल ह़िसाब लगाने की भी ह़ाजत न रहेगी, अपना कुल माल बत़ौरे तसद्दुक़ उन्हें दे कर **क़ब्ज़ा** दिला दे फिर वोह जिस क़दर चाहें उसे अपनी त़रफ़ से हिबा कर दें, कितनी ही **ज़कात** इस पर थी सब अदा हो गई और सब **मत़लब** बर आए और फ़रीक़ैन ने हर क़िस्म के दीनी व दुन्यवी **नफ़्अ़** पाए, मौला عَزَّوَجَلَّ अपने करम से तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए। आमीन आमीन وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَم

ख़ुशदिली से ज़कात दीजिये

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू दर्दा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूरे पाक, साह़िबे लौलाक, सय्याह़े अफ़्लाक صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया, ''जो ईमान के साथ इन पांच चीज़ों को बजा लाया जन्नत में दाख़िल होगा, जिस ने पांच नमाज़ों की उन के वुज़ू और रुकूअ़ और सुजूद और अवक़ात के साथ पाबन्दी की और रमज़ान के रोज़े रखे और जिस ने इस्तित़ाअ़त होने पर ह़ज किया और ख़ुशदिली से ज़कात अदा की।''

(مجمع الزوائد، کتاب الایمان ، فیما بنی علیه الا سلام ، رقم ۱۳۹، ج۱، ص ۲۰۵)

ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन मुआ़विया अल ग़ाज़िरी رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है सय्यिदुल मुबल्लिग़ीन, रह़्मतुल्लिल आ़लमीन صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया, ''जिस ने तीन काम किये उस ने ईमान का ज़ाएक़ा चख लिया, (1) जिस ने एक अल्लाह की इ़बादत की और येह यक़ीन रखा कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के सिवा कोई मा'बूद नहीं (2) जिस ने ख़ुशदिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा की (3) जिस ने ज़कात में बूढ़े और बीमार जानवर या बोसीदा कपड़े और घटिया माल की बजाए औसत़ दरजे का माल दिया क्यूं कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ तुम से तुम्हारा बेहतरीन माल त़लब नहीं करता और न ही घटिया माल देने की इजाज़त देता है।''

(ابو دائود،، کتاب الزکاة ، فی زکاة السائمه ،رقم ۱۵۸۲، ج۲، ص ۱٤۷)

जानवरों की ज़कात

जानवरों की ज़कात कब फ़र्ज़ होगी ?

हर क़िस्म के **जानवर की ज़कात** नहीं देंगे इस में **तफ़्सील** येह है कि

★ जो जानवर **तिजारत** की ग़रज़ से ख़रीदे गए हैं, वोह माले तिजारत हैं और उन की **ज़कात** उन की **क़ीमत** के हिसाब से दी जाएगी।

★ जो **जानवर** साल का अक्सर हिस्सा जंगल में **चर** कर गुज़ारा करते हों और चराने से मक़्सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना और फ़र्बा करना है, येह साएमा कहलाते हैं इन की **ज़कात** देना होगी।

★ जो जानवर अगर्चे जंगल में चरते हों लेकिन इस से **मक़्सूद** बोझ लादना या हल वग़ैरा के काम में लाना या सुवारी में इस्ति'माल करना या उन का गोश्त खाना हो तो येह जानवर साएमा नहीं हैं, इन की **ज़कात** देना वाजिब नहीं है।

★ जिन **जानवरों** को घर पर चारा खिलाते हों उन की भी **ज़कात** वाजिब नहीं है।

(ماخوذ از الدرالمختارو رد المحتار ، کتاب الزکوٰۃ ، باب السائمۃ،ج٣،ص٢٣٢،٢٣٤)

नोट : जानवरों की ज़कात के मसारिफ़ भी वोही हैं जो सोने चांदी और करन्सी नोटों वग़ैरह के हैं।

तिजारत के लिये जानवर ख़रीद कर चराना शुरूअ़ कर दिया तो......

अगर जानवर **तिजारत** के लिये ख़रीदा था मगर बा'द में **चराना** शुरूअ़ कर दिया तो अगर उसे **साएमा** बनाने की **निय्यत** कर ली तो अब साल शुरूअ़ हो जाएगा और अगर **निय्यत** नहीं की थी तो **माले तिजारत** ही रहेगा।

(الفتاویٰ الھندیۃ، کتاب الزکوٰۃ،الباب الثانی ،الفصل الاول،ج٣،ص١٧٧)

वक़्फ़ के जानवरों की ज़कात

वक़्फ़ के जानवरों की **ज़कात** देना वाजिब नहीं है।

(ماخوذاز الدرالمختارو رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب السائمۃ،ج۳،ص۲۳۶)

कितनी क़िस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है ?

3 क़िस्म के जानवरों में **ज़कात** वाजिब है जब कि साएमा हों :

(1) ऊंट (2) गाय (3) बकरी

ऊंट की ज़कात

ऊंट की ज़कात की तफ़्सील कुछ इस त़रह़ से है :

★ कम अज़् कम 5 ऊंटों पर निसाब पूरा होता है, पांच से कम ऊंटों में **ज़कात** वाजिब नहीं है।

★ 5 से 25 तक की **ज़कात** इस त़रह़ देंगे कि हर 5 के बदले **एक सालह बकरी या बकरा** देंगे। एक निसाब से दूसरे निसाब की दरमियानी ता'दाद शामिले **ज़कात** नहीं होगी मसलन पांच के बा'द अगर एक, दो, तीन या चार ऊंट ज़ाइद हों उन की **ज़कात** नहीं दी जाएगी बल्कि दस ऊंट पूरे होने पर दी जाएगी।

★ 25 से 35 तक एक सालह मादा ऊंटनी जो दूसरे बरस में हो, दी जाएगी।

★ 36 से 45 तक मादा ऊंटनी जो दो साल की हो कर तीसरे बरस में हो, दी जाएगी।

★ 46 से 60 तक मादा ऊंटनी जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हो, दी जाएगी।

★ 61 से 75 तक मादा ऊंटनी जो चार साल की हो कर पांचवें बरस में हो, दी जाएगी।

★ 76 से 90 तक 2 मादा ऊंटनियां जो दो साल की हो कर तीसरे बरस में हों, दी जाएंगी।

★ 91 से 120 तक 2 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी।

★ 121 से 145 तक 2 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों और हर पांच पर एक सालह बकरी या बकरा दिया जाए। मसलन 125 पर 2 ऊंटनियों के साथ एक बकरी, 130 पर 2 ऊंटनियों के साथ दो बकरियां, 135 में पर 2 ऊंटनियों के साथ तीन बकरियां, 140 में 2 ऊंटनियों के साथ चार बकरियां।

★ 145 में 2 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों और एक ऊंट का बच्चा जो एक साल का हो कर दूसरे बरस में हो, दिया जाएगा।

★ 150 ऊंटों पर 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी।

★ 150 से 170 तक 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों दी जाएंगी और हर पांच पर एक सालह बकरी या बकरा दिया जाए। मसलन 155 पर 3 ऊंटनियों के साथ एक बकरी, 160 पर ऊंटनियों के साथ दो बकरियां, عَلٰی ھٰذَا الْقِیَاس।

★ 175 से 185 तक 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी और एक सालह ऊंटनी जो दूसरे साल में हो दी जाएगी।

★ 186 से 195 तक 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी और एक ऊंटनी जो दो साल की हो कर तीसरे साल में हो, दी जाएगी।

★ 195 से 200 तक 4 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी। अगर चाहें तो 5 मादा ऊंटनियां जो दो साल की हो कर तीसरे बरस में हों, दे सकते हैं।

★ 200 से 250 तक का ह़िसाब इसी त़रह़ से किया जाएगा जिस त़रह़ 150 से 200 तक किया गया है।

(الفتاوٰی الھندیہ، کتاب الزکوٰۃ،الباب الثانی،الفصل الثانی ،ج۱، ص۱۷۷، الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ،باب نصاب الابل،ج۳،ص۲۳۸)

मज़ीद आसानी के लिये नीचे दिया गया जद्वल मुलाह़ज़ा कीजिये।

ऊंटों की ता'दाद	ज़कात
5 से 9 तक	एक बकरी
10 से 14 तक	दो बकरियां
15 से 19 तक	तीन बकरियां
20 से 24 तक	चार बकरियां
25 से 35 तक	ऊंट का एक साल का मादा बच्चा
36 से 45 तक	ऊंट का दो साल का मादा बच्चा
46 से 60 तक	तीन साल की ऊंटनी
61 से 75 तक	चार साल की ऊंटनी
76 से 90 तक	दो, दो साल की दो ऊंटनियां
91 से 120 तक	तीन, तीन साल की दो ऊंटनियां

ऊंटों की ज़कात में मादा ऊंटनी की जगह नर ऊंट देना कैसा ?

ऊंटों की ज़कात में मादा ऊंटनी की जगह नर ऊंट भी दिया जा सकता है मगर इस के लिये ज़रूरी है वोह क़ीमत में मादा से कम न हो।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، باب نصاب الابل، ج۳، ص ۲٤۰)

ऊंटों की ज़कात में मज़्कूरा जानवरों की जगह उन की क़ीमत देना

ऊंटों की ज़कात में मज़्कूरा जानवरों की जगह उन की क़ीमत भी दी जा सकती है।

गाय की ज़कात

गाय और भेंस की ज़कात की तफ़्सील कुछ इस त़रह़ से है :

★ कम अज़ कम 30 गायों या भेंसों पर निसाब पूरा होता है, तीस से कम में **ज़कात** वाजिब नहीं।

★ 30 से 39 तक की **ज़कात** में साल भर का बछड़ा, या बछिया देंगे।

★ 40 से 59 तक की **ज़कात** में दो सालह बछड़ा, या बछिया देंगे।

★ 60 में साल भर के 2 बछड़े या बछिया देंगे।

★ 70 में साल भर का 1 और एक 2 सालह बछड़ा या बछिया देंगे।

★ 80 में 2 सालह दो बछड़े या बछिया देंगे।

(الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ البقر، ج۳، ص ۲٤۱)

मज़ीद आसानी के लिये जद्वल मुलाह़ज़ा कीजिये :

गाय या भेंस की ता'दाद	ज़कात
30 हों तो	एक साल का बछड़ा या बछिया
40 हों तो	पूरे दो साल का बछड़ा या बछिया
60 हों तो	एक एक साल के दो बछड़े या बछियां
70 हों तो	एक साल का बछड़ा और एक दो साल का बछड़ा
80 हों तो	दो साल के दो बछड़े

बकरियों की ज़कात

बकरियों, बकरों, भेड़ों या दुम्बों की ज़कात की तफ़्सील कुछ इस त़रह़ से है :

★ कम अज़ कम 40 बकरियों या बकरों वग़ैरा पर निसाब पूरा होता है, चालीस से कम में ज़कात वाजिब नहीं है।

★ 40 से 120 तक की ज़कात में साल भर की बकरी या बकरा देंगे।

★ 121 से 200 तक की ज़कात में साल भर की 2 बकरियां या बकरे देंगे।

★ 201 से 399 तक की ज़कात में साल भर की 3 बकरियां या बकरे देंगे।

★ 400 में साल भर की 4 बकरियां या बकरे देंगे।

★ इस के बा'द हर सो पर एक बकरी या बकरे का इज़ाफ़ा करते चले जाएंगे।

(الفتاوىٰ الهنديه ، كتاب الزكوٰة ،الباب الثانى فى صدقة السوائم،الفصل الرابع،ج١،ص١٧٨)

मज़ीद आसानी के लिये जद्वल मुलाह़ज़ा कीजिये :

बकरियों की ता'दाद	ज़कात
40 से 120 तक	एक बकरी
121 से 200 तक	दो बकरियां
201 से 399 तक	तीन बकरियां
400 पूरे होने पर	चार बकरियां
400 से ज़ियादा हों तो	हर सो पर एक बकरी

जानवरों की ज़कात के दीगर मसाइल

कितनी उ़म्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है ?

एक साल की उ़म्र के जानवरों की **ज़कात** वाजिब है मसलन अगर 39 बकरियां साल से कम उ़म्र की हैं और एक साल भर का हो चुका तो अब तमाम को शामिले हि़साब किया जाएगा और अगर कोई भी साल भर का नहीं तो नहीं किया जाएगा।

(ماخوذ از الجوهرة النيره ، كتاب الزكوٰة، باب زكوٰة الخيل ، ج٣، ص٢٠٨)

अगर कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो ?

अगर किसी के पास ऊंट, गाएं और बकरियां हों लेकिन उन में से कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो उन को नहीं मिलाया जाएगा।

(ماخوذ از الدرالمختار، كتاب الزكوٰة، باب زكوٰة المال ، ج٣، ص٢٠٨)

घोड़े गधे और ख़च्चर की ज़कात

घोड़े गधे और ख़च्चर की जक़ात देना वाजिब नहीं है अगर्चे साएमा हों, हां ! अगर तिजारत के लिये हों तो वाजिब है।

(ماخوذ از الدرالمختار، كتاب الزكوٰة، باب زكوٰة الغنم ، ج٣، ص٢٤٤)

सदक़ए फ़ित्र[1]

बा'दे रमज़ान नमाज़े ईद की अदाएगी से क़ब्ल दिया जाने वाला सदक़ए वाजिबा, **सदक़ए फ़ित्र** कहलाता है। ख़लीले मिल्लत ह़ज़रत अ़ल्लामा मुफ़्ती मुह़म्मद ख़लील ख़ान बरकाती عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : "**सदक़ए फ़ित्र** दर अस्ल रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का सदक़ा है ताकि लग़्व और बेहूदा कामों से रोज़े की त़हारत हो जाए और साथ ही ग़रीबों, नादारों की ईद का सामान भी और रोज़ों से ह़ासिल होने वाली ने'मतों का शुक्रिया भी।" (हमारा इस्लाम, ह़िस्सा : 7, स. 87)

"ह़ुसैन" के चार ह़ुरूफ़ की निस्बत से सदक़ए फ़ित्र की फ़ज़ीलत की 4 रिवायात

(1) अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से इस आयते करीमा के बारे में सुवाल किया गया

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی ﴿۱۴﴾ وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰی ﴿۱۵﴾ (پ۳۰،الاعلی:۱۴،۱۵)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुवा और अपने रब का नाम ले कर नमाज़ पढ़ी।

तो आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "येह आयत **सदक़ए फ़ित्र** के बारे में नाज़िल हुई।" (صحیح ابن خزیمہ،الحدیث ۳۹۷ ،ج ٤، ص ۹۰)

(2) सरकारे **मदीनए मुनव्वरह**, सरदारे **मक्कए मुकर्रमा** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का फ़रमाने बरकत निशान है : "जो तुम्हारे मालदार हैं अल्लाह तआ़ला (सदक़ए फ़ित्र देने की वजह से) उन्हें

1 : "सदक़ए फ़ित्र के फ़ज़ाइल व मसाइल" (अज़ अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه) का पेम्फ़लेट मक्तबतुल मदीना से हदिय्यतन त़लब कीजिये।

पाक फ़रमा देगा और जो तुम्हारे ग़रीब हैं तो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उन्हें इस से भी ज़ियादा देगा।''

(سنن ابی داود، کتاب الزکوٰۃ، باب روی من ضاع من قمح، الحدیث۱۶۱۹، ج۲، ص۱۶۱)

(3) ह़ज़रते इब्ने उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا फ़रमाते हैं, कि ''**सदक़ए फ़ित्र** अदा करने में तीन फ़ज़ीलतें हैं : पहली रोज़े का क़बूल होना, दूसरी सकराते मौत में आसानी और तीसरी अ़ज़ाबे क़ब्र से नजात।''

(المبسوط للسرخسی، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۲، ص۱۱٤)

(4) ह़ज़रते सय्यिदुना अबू ख़लदह رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ कहते हैं कि : मैं ह़ज़रते सय्यिदुना अबुल आ़लिया رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुवा। उन्हों ने फ़रमाया कि कल जब तुम ईदगाह जाओ, तो मुझ से मिलते जाना। जब मैं गया तो मुझ से फ़रमाया : ''क्या तुम ने कुछ खाया ?'' मैं ने कहा : ''हां।'' फ़रमाया : ''क्या तुम नहा चुके हो ?'' मैं ने कहा : ''हां।'' फ़रमाया : ''सदक़ए फ़ित्र अदा कर चुके हो ?'' मैं ने कहा : ''हां सदक़ए फ़ित्र अदा कर दिया है।'' फ़रमाने लगे : ''मैं ने तुम्हें इसी लिये बुलाया था।'' फिर आप ने येह आयते करीमा ﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ(۱۴) وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰىؕ(۱۵)﴾ तिलावत की और फ़रमाया : ''अहले मदीना **सदक़ए फ़ित्र** और पानी पिलाने से अफ़ज़ल कोई सदक़ा नहीं जानते थे।''

(تفسیر طبری، ج۱۲، ص۵٤۷، رقم:۳٦۹۹۲)

सदक़ए फ़ित्र कब मशरूअ़ हुवा ?

2 सि.हि. में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और उसी साल ईद से दो दिन पहले सदक़ए फ़ित्र का हुक्म दिया गया।

(الدرالمختار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳٦۲)

सदक़ए फ़ित्र की अदाएगी की हिक्मत

हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا से मरवी है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने रोज़ों को लग्व और बे हयाई की बात से पाक करने के लिये और मिस्कीनों को खिलाने के लिये सदक़ए फ़ित्र मुक़र्रर फ़रमाया।

(سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الفطر، الحدیث ۱۶۰۹، ج۲، ص۱۵۷)

हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ الْغَنِی इस हदीस के तहत फ़रमाते हैं : या'नी फ़ित्रा वाजिब करने में 2 **हिक्मतें** हैं एक तो रोज़ादार के रोज़ों की कोताहियों की मुआफ़ी। अक्सर रोज़े में गुस्सा बढ़ जाता है तो बिला वजह लड़ पड़ता है, कभी झूट ग़ीबत वग़ैरा भी हो जाते हैं, रब तआला इस फ़ित्रे की बरकत से वोह कोताहियां मुआफ़ कर देगा कि नेकियों से गुनाह मुआफ़ होते हैं। दूसरे मसाकीन की रोज़ी का इन्तिज़ाम। (मिरआतुल मनाजीह, जि. 3, स. 43)

सदक़ए फ़ित्र का शर्ई हुक्म

सदक़ए फ़ित्र देना वाजिब है। (الدرالمختار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳۶۲) सहीह बुख़ारी में अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने मुसल्मानों पर सदक़ए फ़ित्र मुक़र्रर किया।

(صحیح البخاري، کتاب الزکوٰۃ، باب فرض صدقۃ الفطر، الحدیث: ۱۵۰۳، ج۱، ص۵۰۷. ملخصا)

सदक़ए फ़ित्र किस पर वाजिब है ?

सदक़ए फ़ित्र हर उस **आज़ाद मुसल्मान** पर वाजिब है जो मालिके **निसाब** हो और उस का निसाब **हाजते अस्लिया** से फ़ारिग़ हो। (ماخوذ ازالدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳۶۵) **मालिके**

निसाब मर्द अपनी त़रफ़ से, अपने छोटे बच्चों की त़रफ़ से और अगर कोई **मजनून** (या'नी पागल) औलाद है (चाहे फिर वोह पागल औलाद बालिग़ ही क्यूं न हो) तो उस की त़रफ़ से भी **सदक़ए फ़ित्र** अदा करे। हां ! अगर वोह बच्चा या मजनून ख़ुद साहिबे निसाब है तो फिर उस के माल में से फ़ित्रा अदा कर दे। (الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج١، ص١٩٢)

मदीना : मालिके निसाब और ह़ाजते अस्लिया की ता'रीफ़ सफ़ह़ा नम्बर 20 पर दोबारा मुलाह़ज़ा कर लीजिये।

वुजूब का वक़्त

ईद के दिन सुब्ह़े सादिक़ तुलूअ़ होते ही सदक़ए फ़ित्र वाजिब होता है, लिहाज़ा जो शख़्स सुब्ह़ होने से पहले मर गया या ग़नी था फ़क़ीर हो गया या सुब्ह़ तुलूअ़ होने के बा'द काफ़िर मुसल्मान हुवा या बच्चा पैदा हुवा या फ़क़ीर था ग़नी हो गया तो वाजिब न हुवा और अगर सुब्ह़ तुलूअ़ होने के बा'द मरा या सुब्ह़ तुलूअ़ होने से पहले काफ़िर मुसल्मान हुवा या बच्चा पैदा हुवा या फ़क़ीर था ग़नी हो गया तो वाजिब है।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج١، ص١٩٢)

ज़कात और सदक़ए फ़ित्र में फ़र्क़

ज़कात में **साल का गुज़रना, आ़क़िल बालिग़** और **निसाबे नामी** (या'नी उस में बढ़ने की सलाह़िय्यत) होना **शर्त़** है जब कि सदक़ए फ़ित्र में येह शराइत़ नहीं हैं। चुनान्चे अगर घर में ज़ाइद सामान हो तो **माले नामी** न होने के बा वुजूद अगर उस की क़ीमत निसाब को पहुंचती है तो उस के मालिक पर सदक़ए फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। **ज़कात** और सदक़ए फ़ित्र के निसाब में येह

फ़र्क़ कैफ़िय्यत के ए'तिबार से है।

(ما خوذ ازالدر المختار، کتاب الزکوٰۃ،باب صدقۃ الفطر،ج٣،ص٢٠٧،٢١٤،٣٦٥)

फ़ित्रे की अदाएगी की शराइत़

सदक़ए फ़ित्र में भी निय्यत करना और मुसल्मान फ़क़ीर को माल का मालिक कर देना शर्त़ है।

(ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج٣، ص ٣٨٠)

ना बालिग़ पर सदक़ए फ़ित्र

ना बालिग़ अगर साहि़बे निसाब हो तो उस पर भी सदक़ए फ़ित्र वाजिब है। उस का वली उस के माल से फ़ित्रा अदा करे।

(ما خوذ ازالدر المختار، کتاب الزکوٰۃ،باب صدقۃ الفطر،ج٣،ص٢٠٧،٢١٤،٢١-٣٦٥)

मां के पेट में मौजूद बच्चे का फ़ित्रा

जो बच्चा मां के पेट में हो, उस की त़रफ़ से सदक़ए फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं।

(الفتاویٰ الھندیۃ، کتاب الزکوٰۃ،الباب الثامن فی صدقۃ الفطر،ج١،ص١٩٢)

छोटे भाई का फ़ित्रा

अगर बड़ा भाई अपने छोटे ग़रीब भाई की परवरिश करता हो तो उस का सदक़ए फ़ित्र मालदार बाप पर वाजिब है न कि बड़े भाई पर। फ़तावा आ़लमगीरी में है **:** "छोटे भाई की त़रफ़ से सदक़ा वाजिब नहीं अगर्चे वोह उस की इ़याल में शामिल हो।"

(الفتاویٰ الھندیۃ، کتاب الزکوٰۃ،الباب الثامن فی صدقۃ الفطر،ج١،ص١٩٣)

अगर किसी का फ़ित्रा न दिया गया हो तो ?

ना बालिग़ी की ह़ालत में बाप ने बच्चे का सदक़ए फ़ित्र अदा न किया तो अगर वोह बच्चा मालिके निसाब था और बाप ने अदा न किया तो बालिग़ होने पर ख़ुद अदा करे और अगर वोह बच्चा मालिके निसाब न था तो बालिग़ होने पर उस के ज़िम्मे अदा करना वाजिब नहीं।

(الدرالمختارو ردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳٦٥)

बाप ने अगर रोज़े न रखे हों

बाप जब मालिके निसाब हो अगर्चे उस ने रमज़ान के रोज़े न रखे हों तो सदक़ए फ़ित्र ना बालिग़ बच्चों का उसी पर वाजिब है, न कि उन की मां पर।

(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳٦٧۔۳٦٨)

मां पर बच्चों का फ़ित्रा वाजिब नहीं

अगर बाप न हो तो मां पर अपने छोटे बच्चों की त़रफ़ से सदक़ए फ़ित्र देना वाजिब नहीं।

(الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ،باب صدقۃ الفطر،ج۳،ص۳٦٨)

यतीम बच्चों का फ़ित्रा

बाप न हो तो उस की जगह दादा पर अपने ग़रीब यतीम पोते, पोती की त़रफ़ से सदक़ए फ़ित्र देना वाजिब है जब कि येह बच्चे मालदार न हों। (الدرالمختار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳٦٨)

ग़रीब बाप के बच्चों का फ़ित्रा

बाप ग़रीब हो तो उस की जगह मालिके निसाब दादा पर अपने ग़रीब पोते, पोती की त़रफ़ से सदक़ए फ़ित्र देना वाजिब है

जब कि बच्चे मालदार न हों।

(الدرالمختار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳۶۸)

सदक़ए फ़ित्र के लिये रोज़ा शर्त़ नहीं

सदक़ए फ़ित्र वाजिब होने के लिये रोज़ा रखना शर्त़ नहीं, लिहाज़ा किसी उ़ज़्र मसलन सफ़र, मरज़, बुढ़ापे या مَعَاذَاللّٰه(عَزَّوَجَلَّ) बिला उ़ज़्र रोज़े न रखने वाला भी फ़ित्रा अदा करेगा।

(ما خوذ ازالدر المختار، کتاب الزکوٰۃ،باب صدقۃ الفطر،ج۳،ص۳۶۷)

ना बालिग़ मन्कूह़ा लड़की का फ़ित्रा किस पर ?

ना बालिग़ लड़की जो इस क़ाबिल है कि शोहर की ख़िदमत कर सके उस का निकाह़ कर दिया और शोहर के यहां उसे भेज भी दिया तो किसी पर उस की त़रफ़ से सदक़ा वाजिब नहीं, न शोहर पर न बाप पर और अगर क़ाबिले ख़िदमत नहीं या शोहर के यहां उसे भेजा नहीं तो ब दस्तूर बाप पर है फिर येह सब उस वक़्त है कि लड़की ख़ुद मालिके निसाब न हो, वरना बहर ह़ाल उस का सदक़ए फ़ित्र उस के माल से अदा किया जाए। (الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳۶۸)

बच्चे हिन्दुस्तान में और बाप मुल्क से बाहर हो तो

अगर किसी के छोटे बच्चे हिन्दुस्तान में रहते हैं और बाप मुल्क से बाहर है तो इस सूरत में बाप पर छोटे (ना बालिग़) बच्चों के सदक़ए फ़ित्र के गेहूं की क़ीमत बैरूने मुल्क के ह़िसाब से निकालना वाजिब है। फ़तावा आ़लमगीरी में है, सदक़ए फ़ित्र में सदक़ा देने वाले के मकान का ए'तिबार है छोटे बच्चों के मकान का ए'तिबार नहीं।

शबे ईद बच्चा पैदा हुवा तो......?

शबे ईद बच्चा पैदा हुवा तो उस का भी फ़ित्रा देना होगा क्यूं कि ईद के दिन सुब्हे सादिक़ तुलूअ़ होते ही सदक़ए फ़ित्र वाजिब हो जाता है, और अगर बा'द में पैदा हुवा तो वाजिब नहीं।

(الفتاویٰ الهندية، كتاب الزكوٰة،باب الثامن ،ج ١،ص١٩٢)

शबे ईद मुसल्मान होने वाले का फ़ित्रा

ईद के दिन सुब्हे सादिक़ तुलूअ़ होते ही सदक़ए फ़ित्र वाजिब हो जाता है, लिहाज़ा अगर इस वक़्त से पहले कोई मुसल्मान हुवा तो उस पर फ़ित्रा देना वाजिब है और अगर बा'द में मुसल्मान हुवा तो वाजिब नहीं।

(الفتاویٰ الهندية، كتاب الزكوٰة،باب الثامن ،ج ١،ص١٩٢)

माल ज़ाएअ़ हो जाए तो......?

अगर सदक़ए फ़ित्र वाजिब होने के बा'द माल हलाक हो जाए तो फिर भी देना होगा क्यूं कि ज़कात व उ़श्र के बर ख़िलाफ़ सदक़ए फ़ित्र अदा करने के लिये माल का बाक़ी रहना शर्त़ नहीं।

(الدر المختار، كتاب الزكوٰة،باب صدقة الفطر،ج٣،ص٣٦٦)

फ़ौत शुदा शख़्स का फ़ित्रा

अगर किसी शख़्स ने वसिय्यत न की और माल छोड़ कर मर गया तो वुरसा पर उस मय्यित के माल से फ़ित्रा अदा करना वाजिब नहीं क्यूं कि सदक़ए फ़ित्र शख़्स पर वाजिब है माल पर नहीं, हां ! अगर वुरसा बत़ौरे एह़सान अपनी त़रफ़ से अदा करें तो हो सकता है कुछ उन पर जब्र नहीं। (الفتاوٰی الهندية، كتاب الزكاة، الباب فی صدقة الفطر،ج٣، ص١٩٣)

मेहमानों का फ़ित्रा

ईद पर आने वाले मेहमानों का सदक़ए फ़ित्र मेज़बान अदा नहीं करेगा अगर मेहमान साहिबे निसाब हैं तो अपना फ़ित्रा ख़ुद अदा करें। (फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 296)

शादी शुदा बेटी का फ़ित्रा

अगर शादी शुदा बेटी बाप के घर ईद करे तो उस के छोटे बच्चों का फ़ित्रा उन के बाप पर है जब कि औ़रत का न बाप पर न शोहर पर, अगर साहिबे निसाब है तो ख़ुद अदा करे।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 296)

बिला इजाज़त फ़ित्रा अदा करना

अगर बीवी ने शोहर की इजाज़त के बिग़ैर उस का फ़ित्रा अदा किया तो सदक़ए फ़ित्र अदा नहीं होगा। जब कि सराहतन या दलालतन इजाज़त न हो।

(ملخَصًّاالفتاوٰ ی الھندیة، کتاب الزکوٰة،الباب الثامن فی صدقة الفطر،ج١،ص١٩٣)

अगर शोहर ने बीवी या बालिग़ औलाद की इजाज़त के बिग़ैर उन का फ़ित्रा अदा किया तो **सदक़ए** फ़ित्र अदा हो जाएगा बशर्ते कि वोह उस के इ़याल में हो।

(ماخوذ ازالدر المختارو رد المحتار، کتاب الزکوٰة،باب صدقة الفطر،ج٣،ص٣٧٠)

आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْه फ़तावा रज़विय्या में फ़रमाते हैं कि सदक़ए फ़ित्र इ़बादत है और इ़बादत में निय्यत शर्त़ है तो बिला इजाज़त ना मुम्किन है हां इजाज़त के लिये सराह़त होना ज़रूर नहीं दलालत काफ़ी है मसलन ज़ैद उस के इ़याल में है, उस का खाना पहनना सब उस के पास से होता है, इस सूरत में अदा हो जाएगा।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 20, स. 453)

सदक़ए फ़ित्र किन चीज़ों से अदा होता है

गन्दुम या इस का आटा या सत्तू निस्फ़ साअ़, खजूर या मुनक़्क़ा

या जव या इस का आटा या सत्तू एक साअ़ । इन चार चीज़ों (या'नी गेहूं, जव, खजूर, मुनक़्क़ा) के इ़लावा अगर किसी दूसरी चीज़ से फ़ित्रा अदा करना चाहे, मसलन चावल, जुवार, बाजरा या और कोई ग़ल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो क़ीमत का लिह़ाज़ करना होगा या'नी वोह चीज़ आधे साअ़ गेहूं या एक साअ़ जव की क़ीमत की हो, यहां तक कि रोटी दें तो इस में भी क़ीमत का लिह़ाज़ किया जाएगा अगर्चे गेहूं या जव की हो ।

(बहारे शरीअ़त, ह़िस्सए पन्जुम, स. 939, मुलतक़त़न)

सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार

साअ़ की तह़क़ीक़ में इख़्तिलाफ़ होने के सबब सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार में उ़लमाए किराम का इख़्तिलाफ़ है । फ़तावा रज़विय्या में है एह़तियात़ येह है कि जव के साअ़ से गेहूं दिये जाएं, जव के साअ़ में गेहूं तीन सो इकावन[351] रुपै भर आते हैं तो निस्फ़ साअ़ एक सो पछत्तर[175] रुपै आठ आने भर हुवा । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 295)

सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार आसान लफ़्ज़ों में

"एक सो पछत्तर रुपै अठन्नी भर ऊपर" (या'नी दो सैर तीन छटांक आधा तोला, या 2 किलो में से 80 ग्राम कम) वज़्न गेहूं या उस का आटा या इतने गेहूं की क़ीमत एक **सदक़ए फ़ित्र** की मिक़्दार है । अगर खजूर या **मुनक़्क़ा** (या'नी किशमिश) या जव या उस का आटा या सत्तू या उन की क़ीमत देना चाहें तो "तीन सो इकावन रुपै भर" (या'नी 4 किलो में से 160 ग्राम कम) एक सदक़ए फ़ित्र की मिक़्दार है ।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअ़त, जिल्द अव्वल, ह़िस्सा : 5, स. 938, 939)

सदक़ए फ़ित्र की अदाएगी का वक़्त

बेहतर येह है कि ईद की सुब्ह़े सादिक़ होने के बा'द और ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे ।

(الدرالمختار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر، ج۳، ص۳۷۶)

सदक़ए फ़ित्र रमज़ान में अदा कर दिया तो ?

फ़तावा आ़लमगीरी में है : अगर ईदुल फ़ित्र से पहले फ़ित्रा अदा करें तो जाइज़ है। (الفتاویٰ الهندیة، کتاب الزکوٰة،الباب الثامن فی صدقة الفطر ،ج١،ص١٩٣)

रमज़ान से भी पहले सदक़ए फ़ित्र अदा करना

अगर सदक़ए फ़ित्र रमज़ान से भी पहले अदा कर दिया तो जाइज़ है। (الفتاویٰ الهندیة، کتاب الزکوٰة،الباب الثامن فی صدقة الفطر ، ج١،ص١٩٢ ملخصا)

पेशगी फ़ित्रा देते वक़्त साहि़बे निसाब होना

अगर निसाब का मालिक होने से पहले सदक़ा दे दिया फिर निसाब का मालिक हुवा तो सही़ह़ है।

(الفتاویٰ الهندیة، کتاب الزکوٰة،الباب الثامن فی صدقة الفطر ، ج١،ص١٩٢ ملخصا)

अगर ईद के बा'द सदक़ए फ़ित्र दिया तो ?

आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت फ़रमाते हैं : इस (या'नी सदक़ए फ़ित्र) के देने का वक़्त वासेअ़ है ईदुल फ़ित्र से पहले भी दे सकता है और बा'द भी, मगर बा'द को ताख़ीर न चाहिये बल्कि औला येह है कि नमाज़े ईद से पहले निकाल दे कि ह़दीस में है साह़िबे निसाब के रोज़े मुअ़ल्लक़ रहते हैं जब तक येह सदक़ा अदा न करेगा। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 253)

क्या देना अफ़्ज़ल है ?

गेहूं और जव के देने से उन का आटा देना अफ़्ज़ल है और इस से अफ़्ज़ल येह कि क़ीमत दे दे, ख़्वाह गेहूं की क़ीमत दे या जव की या खजूर की मगर ज़मानए क़ह़्त़ में खुद इन का देना क़ीमत देने से अफ़्ज़ल है। (الفتاوی الهندیه ،کتاب الزکوٰة ،الباب الثامن فی صدقة الفطر ،ج١،ص١٩١۔١٩٢ ونور الایضاح، کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر،ص١٧٣۔١٧٤ ملتقطا)

फ़ित्रा किस को दिया जाए ?

सदक़ए फ़ित्र के मसारिफ़ वोही हैं जो ज़कात के हैं। (عالمگیری ج۱ ص۱۹٤) या'नी जिन को ज़कात दे सकते हैं उन्हें **फ़ित्रा** भी दे सकते हैं और जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को **फ़ित्रा** भी नहीं दे सकते। लिहाज़ा ज़कात की त़रह़ सदक़ए फ़ित्र की रक़म भी ह़ीलए शर्ई के बा'द मदारिस व जामिआ़त और दीगर दीनी कामों में इस्ति'माल की जा सकती है। (फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 376 मुलख़्ख़सन)

किसे सदक़ए फ़ित्र नहीं दे सकते ?

जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते उन्हें सदक़ए फ़ित्र भी नहीं दे सकते। चुनान्चे सादाते किराम को सदक़ए फ़ित्र भी नहीं दे सकते। (الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ،باب صدقۃ الفطر،ج۳،ص۳۷۹)

एक शख़्स का फ़ित्रा एक ही मिस्कीन को देना

बेहतर येह है कि एक ही मिस्कीन या फ़क़ीर को फ़ित्रा दिया जाए अगर एक शख़्स का फ़ित्रा मुख़्तलिफ़ मसाकीन को दे दिया तब भी जाइज़ है इसी त़रह़ एक ही मिस्कीन को मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास का फ़ित्रा भी दे सकते हैं।

(الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ،باب صدقۃ الفطر،مطلب فی مقدار الفطر ج۳، ص۳۷۷ ملخصاً)

उ़श्र का बयान[1]

सुवाल : उ़श्र किसे कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन से नफ़्अ़ ह़ासिल करने की ग़रज़ से उगाई जाने वाली शै की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उ़श्र कहते हैं।

(الفتاوی الھندیہ ،کتاب الزکوۃ،الباب السادس،ج۱،ص۱۸۵،ملخصاً)

सुवाल : ज़मीन की ज़कात को उ़श्र क्यूं कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन की पैदावार का उ़मूमन दसवां ($^1/_{10}$) ह़िस्सा बत़ौरे ज़कात दिया जाता है इस लिये इसे उ़श्र (या'नी दसवां ह़िस्सा) कहते हैं।

उ़श्र के फ़ज़ाइल

सुवाल : उ़श्र देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी करने वालों को इन्आ़माते आख़िरत की बिशारत है जैसा कि कुरआने पाक में अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗۚ وَهُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ۝۳۹
(پ۲۲،سبا:۳۹)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो वोह उस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़्क़ देने वाला।

सूरए बक़रह में है :

---

1 : येह रिसाला **"उ़श्र के अह़काम"** के नाम से मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ हो चुका है, इफ़ादियत के पेशे नज़र उस का कुछ ह़िस्सा इस किताब में भी शामिल किया जा रहा है।

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍؕ وَ اللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ(۲۶۱) اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًىۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ(۲۶۲)

(پ۳،البقرۃ:۲۶۱،۲۶۲)

तरजमए कन्जुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उस दाने की त़रह़ जिस ने उगाईं सात बालें । हर बाल में सो दाने और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्अ़त वाला इल्म वाला है वोह जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एह़सान रखें न तक्लीफ़ दें उन का नेग (इन्आ़म) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म ।

सरवरे आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने भी तरग़ीबे उम्मत के लिये कई मक़ामात पर राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करने के कई फ़ज़ाइल बयान किये हैं : चुनान्चे

ह़ज़रते सय्यिदुना ह़सन رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से मरवी है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "ज़कात दे कर अपने मालों को मज़्बूत़ क़ल्ओं में कर लो और अपने बीमारों का इ़लाज सदक़े से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ़ व तज़र्रोअ़ (या'नी गिर्या व ज़ारी) से इस्तिआ़नत (या'नी मदद त़लब) करो ।"

(مراسیل ابی داؤد مع سنن ابی داؤد ،باب فی الصائم،ص۸)

और ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि

नबिय्ये पाक, साहि़बे लौलाक, सय्याहे़ अफ़्लाक صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह तआ़ला ने उस से शर दूर फ़रमा दिया।"

(المعجم الاوسط،باب الالف،الحدیث١٥٧٩،ج١،ص٤٣١)

उ़श्र अदा न करने का वबाल

सुवाल : उ़श्र अदा न करने का क्या वबाल है ?

जवाब : उ़श्र अदा न करने वाले के लिये कुरआने पाक व अह़ादीसे मुबारका में सख़्त वई़दें आई हैं। चुनान्चे अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

(پ٤،آل عمران:١٨٠)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़्ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अ़न्क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा।

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि मक्की मदनी सरकार, दो आ़लम के मालिको मुख़्तार صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जिस को अल्लाह عَزَّوَجَلَّ माल दे और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल गन्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या'नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में तौक़ बना कर डाल दिया जाएगा, फिर उस (ज़कात न देने वाले) की बाछें पकड़ेगा और कहेगा : मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा

ख़ज़ाना हूं। इस के बा'द नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
(پ۴، آل عمران: ۱۸۰)

तरजमए कन्जुल ईमान : और जो बुख़्ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अ़न्क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौ़क़ होगा।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوۃ ،باب اثم مانع الزکوۃ ،الحدیث ۱۴۰۳، ج۱، ص۴۷۴)

हज़रते सय्यिदुना बुरैदा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जो क़ौम ज़कात न देगी अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उसे क़ह़्त़ में मुब्तला फ़रमाएगा।"

(المعجم الاوسط،الحدیث ۴۵۷۷، ج۳، ص۲۷۵)

हज़रते सय्यिदुना अमीरुल मुअमिनीन उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "ख़ुश्की व तरी में जो माल तलफ़ होता है, वोह **ज़कात** न देने की वजह से तलफ़ होता है।"

(کنزالعمال، کتاب الزکوۃ،الفصل الثانی فی ترهیب مانع الزکوۃ،الحدیث ۱۵۸۰۳، ج۶، ص۱۳۱)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

सुवाल : ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

जवाब : जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का **नफ़्अ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो** ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ्रूट हों या सब्ज़ियां वग़ैरा मसलन अनाज और ग़ल्ला में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, और सूरज मुखी, राई, सरसों और लूसन वग़ैरा।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरूद, मालटा, लूकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संग्तरा, पपीता, नारियल, तरबूज़, फ़ालसा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ौबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वग़ैरा।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिन्डी, तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तूरिया, फूलगोभी, बन्दगोभी, शल्ग़म, गाजर, चुक़न्दर, मटर, पियाज़, लह्सन, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के साग और मेथी और बेंगन वग़ैरा। इन सब की पैदावार में से **उ़श्र** (या'नी दसवां ह़िस्सा) या **निस्फ़ उ़श्र** (या'नी बीसवां ह़िस्सा) वाजिब है।

(الفتاوی الهندیه ، کتاب الزکوۃ،الباب السادس، ج۱،ص۱۸٦)

अल्लाह तआ़ला ने सूरतुल अन्आ़म में फ़रमाया :

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ ۫

(پ۸،الانعام:۱۴۱)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उस का ह़क़ दो जिस दिन कटे।

इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए़ रिसालत, अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن लिखते हैं कि अक्सर मुफ़स्सिरीन मसलन ह़ज़रते इब्ने अ़ब्बास, त़ाऊस, ह़सन, जाबिर बिन ज़ैद और सईद बिन अल मुसय्यब رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم के नज़्दीक इस ह़क़ से मुराद **उ़श्र** है।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़काह, जि. 10, स. 65)

नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "हर उस शै में जिसे ज़मीन ने निकाला, (उस में) उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र है।"

(كنزالعمال، كتاب الزكوة، باب زكوة النبات والفواكه، الحديث ١٥٨٧٣ ، ج ٦ ، ص ١٤٠)

ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ बयान करते हैं कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश सैराब करे उन में उ़श्र (दसवां ह़िस्सा देना वाजिब) है और जो ज़मीनें ऊंट के ज़रीए़ सैराब की जाएं उन में निस्फ़ उ़श्र (बीसवां ह़िस्सा वाजिब) है।"

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب مافيه العشر اونصف عشر، الحديث ٩٨١، ص٤٨٨)

सुवाल : निस्फ़ उ़श्र से क्या मुराद है ?

जवाब : निस्फ़ उ़श्र से मुराद बीसवां ह़िस्सा $^{1}/_{20}$ है।

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 5, स. 916)

शह्द की पैदावार पर उ़श्र

सुवाल : उ़श्री ज़मीन में जो शह्द पैदा हो क्या उस पर भी उ़श्र देना पड़ेगा ?

जवाब : जी हां। (الفتاوى الهنديه، كتاب الزكاة، الباب السادس ، ج ١ ص ١٨٦)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

सुवाल : किन फ़स्लों पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

जवाब : जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़्अ़ ह़ासिल करना मक़्सूद न हो उन में उ़श्र नहीं जैसे ईंधन, घास, बैद, सरकन्डा झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं),

खजूर के पत्ते वग़ैरा, इन के इलावा हर क़िस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि इन की खेती से तरकारियां मक़्सूद होती हैं बीज मक़्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के तौर पर इस्ति'माल होते हैं मसलन कन्दर, मेथी और कलौंजी वग़ैरा के बीज, इन में भी उ़श्र नहीं है। इसी त़रह़ वोह चीज़ें जो ज़मीन के ताबेअ़ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गूंद, इस में उ़श्र वाजिब नहीं।

अलबत्ता अगर घास, बैद, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वग़ैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो और ज़मीन उन के लिये ख़ाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है। कपास और बेंगन के पौदों में उ़श्र नहीं मगर इन से ह़ासिल कपास और बेंगन की पैदावार में उ़श्र है।

(در مختار، کتاب الزکوٰۃ ، باب العشر، ج۳، ص۳۱۵، الفتاوی الھندیہ، کتاب الزکوۃ، الباب السادس فی زکوۃ زرع، ج۱، ص۱۸۶)

उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक़्दार

सुवाल : उ़श्र वाजिब होने के लिये ग़ल्ला, फल और सब्ज़ियों की कम अज़ कम कितनी मिक़्दार होना ज़रूरी है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये इन की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं है बल्कि ज़मीन से ग़ल्ला, फल और सब्ज़ियों की जितनी पैदावार भी ह़ासिल हो उस पर उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र देना वाजिब होगा।

(الفتاویٰ الھندیۃ، المرجع السابق)

पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र

सुवाल : अगर इन की पैदावार का **मालिक पागल** और ना बालिग़ हो तो उस को भी उ़श्र देना होगा ?

जवाब : उ़श्र चूंकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वोह उ़श्र अदा करेगा चाहे वोह मजनून (या'नी पागल) और ना बालिग़ ही क्यूं न हो।

(الفتاوی الهندیه ، کتاب الزکوة،الباب السادس فی زکوة زرع،ج۱،ص۱۸۵ ،ملخصاً)

क़र्ज़दार पर उ़श्र

सुवाल : क्या क़र्ज़दार को उ़श्र मुआ़फ़ है ?

जवाब : क़र्ज़दार से उ़श्र मुआ़फ़ नहीं, इस लिये अगर क़र्ज़ ले कर ज़मीन ख़रीदी हो या काश्त कार पहले से मक्रूज़ हो या क़र्ज़ ले कर काश्त कारी की हो इन सब सूरतों में क़र्ज़दार पर भी उ़श्र वाजिब है।

(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکوة،باب العشر،ج۳،ص۳۱٤)

अ़ल्लामा आ़लम बिन उ़ला अल अन्सारी رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه फ़रमाते हैं कि "**ज़कात** के बर ख़िलाफ़ उ़श्र मक्रूज़ पर भी वाजिब होता है।"

(فتاوی تاتار خانیه، کتاب العشر، ج۲،ص۳۳۰)

शरई फ़क़ीर पर उ़श्र

सुवाल : क्या शरई फ़क़ीर पर भी उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : जी हां, शरई फ़क़ीर पर भी उ़श्र वाजिब है क्यूं कि उ़श्र वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी क़ाबिले काश्त) से ह़क़ीक़तन पैदावार का होना है, इस में मालिक के ग़नी या फ़क़ीर होने का कोई ए'तिबार नहीं।

(ماخوذ من العنایة والکفایة، کتاب الزکوة،باب زکاةالزروع، ج۲ص۱۸۸)

उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त़ है या नहीं ?

सुवाल : क्या उ़श्र वाजिब होने के लिये साल गुज़रना शर्त़ है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये पूरा साल गुज़रना शर्त़ नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चन्द बार पैदावार हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है।

(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکوۃ ،باب العشر،ج٣،ص٣١٣)

मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : मुख़्तलिफ़ ज़मीनों को सैराब करने के लिये अलग अलग त़रीक़े इस्ति'माल किये जाते हैं, तो क्या हर क़िस्म की ज़मीन में उ़श्र (या'नी दसवां ह़िस्सा ही) वाजिब होगा ?

जवाब : इस सिल्सिले में **तफ़्सील** येह है कि

★जो खेत बारिश, नह्र, नाले के पानी से (क़ीमत अदा किये बिग़ैर) सैराब किया जाए, उस में उ़श्र या'नी दसवां ह़िस्सा वाजिब है,

★ जिस खेत की आबपाशी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से हो, उस में निस्फ़ उ़श्र या'नी बीसवां ह़िस्सा वाजिब है,

★ अगर (नह्र या ट्यूब वेल वग़ैरा का) पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्किय्यत है उस से ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है,

★ अगर वोह खेत कुछ दिनों बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से, तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से तो उ़श्र वाजिब है वरना निस्फ़ उ़श्र वाजिब है।

(درمختارو رد المحتار، کتاب الزکوۃ،باب العشر،ج٣،ص٣١٦)

ठेके की ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ?

जवाब : जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा।

सुवाल : येह उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : इस उ़श्र की अदाएगी काश्त कार पर वाजिब होगी।

(رد المحتار، کتاب الزکوۃ،باب العشر،ج۳،ص۳۱٤)

अगर ख़ुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : अगर ज़मीन का मालिक ख़ुद खेतीबाड़ी में हि़स्सा न ले बल्कि मुज़ारिओं से काम ले तो उ़श्र मुज़ारेअ़ पर होगा या मालिके ज़मीन पर ?

जवाब : इस सिल्सिले में देखा जाएगा कि

अगर मुज़ारेअ़ से मुराद वोह है जो ज़मीन बटाई पर लेता है या'नी पैदावार में से आधा या तीसरा हि़स्सा वग़ैरा मालिके ज़मीन का और बक़िय्या मुज़ारेअ़ का हो तो इस सूरत में दोनों पर उन के हि़स्से के मुत़ाबिक़ उ़श्र वाजिब होगा। सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्त़रीक़ह, मौलाना अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَۃُاللہِ عَلَیْہ बहारे शरीअ़त में फ़रमाते हैं, "उ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो उ़श्र दोनों पर है।"

(बहारे शरीअ़त, जि. 1, हि़स्सा : 5, स. 921)

और अगर मुज़ारेअ़ से मुराद वोह है कि जिस को मालिके ज़मीन ने ज़मीन इजारे पर दी मसलन फ़ी एकड़ पचास हज़ार रुपिया तो इस सूरत में उ़श्र मुज़ारेअ़ पर होगा मालिके ज़मीन पर नहीं।

(ماخوذ از بدائع الصنائع، ج۲ ،ص۸٤)

मुश्तरिका ज़मीन का उ़श्र

सुवाल : जो ज़मीन किसी की मुश्तरिका मिल्किय्यत हो तो उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी में ज़मीन का मालिक होना शर्त़ नहीं है बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त़ है इस लिये जो जितनी पैदावार का मालिक होगा वोह उस पैदावार का उ़श्र अदा करेगा। फ़तावा शामी में है कि "उ़श्र वाजिब होने के लिये ज़मीन का मालिक होना शर्त़ नहीं बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त़ है क्यूं कि उ़श्र पैदावार पर वाजिब होता है न कि ज़मीन पर, और ज़मीन का मालिक होना या न होना दोनों बराबर है।"

(ردالمحتار،کتاب الزکوۃ،باب العشر،ج۳،ص٣١٤)

घरेलू पैदावार पर उ़श्र

सुवाल : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर उ़श्र होगा या नहीं ?

जवाब : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो, उस में उ़श्र वाजिब नहीं है।

(الدرالمختار،کتاب الزکوۃ،مطلب مہم فی حکم اراضی مصر والشام السلطانیۃ،ج۳،ص۳۲۰)

उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़राजात अलग करना

सुवाल : क्या उ़श्र कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अख़राजात वग़ैरा निकाल कर बक़िय्या पैदावार से अदा किया जाएगा ?

जवाब : जिस पैदावार में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हो, उस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़राअ़त, हल, बैल, हिफ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज, खाद और अदवियात वग़ैरा के अख़राजात निकाल कर बाक़ी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाए।

(الدرالمختار وردالمحتار،کتاب الزکوۃ،مطلب مہم فی حکم اراضی مصر والشام السلطانیۃ، ج۳،ص۳۱۷)

सुवाल : हुकूमत को जो माल गुज़ारी दी जाती है क्या उसे भी पैदावार से नहीं निकाला जाएगा ?

जवाब : जी नहीं, उस माल गुज़ारी को भी पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि उसे भी शामिल कर के उ़श्र का हि़साब लगाया जाएगा।

उ़श्र की अदाएगी

सुवाल : उ़श्र कब अदा करना होगा ?

जवाब : जब पैदावार ह़ासिल हो जाए या'नी फ़स्ल पक जाए या फल निकल आएं और नफ़्अ़ उठाने के क़ाबिल हो जाएं तो उ़श्र वाजिब हो जाएगा। फ़स्ल काटने या फल तोड़ने के बा'द हि़साब लगा कर उ़श्र अदा करना होगा।

(الدرالمختار و ردالمحتار، کتاب الزکوۃ،باب العشر،مطلب مھم فی حکم اراضی ....الخ،ج۳،ص ۳۲۱)

उ़श्र पेशगी अदा करना

सुवाल : क्या उ़श्र पेशगी तौ़र पर अदा किया जा सकता है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हैं :

(1) जब खेती तय्यार हो जाए तो उस का उ़श्र पेशगी देना जाइज़ है।

(2) खेती बोने और ज़ाहिर होने के बा'द अदा किया तो भी जाइज़ है।

(3) अगर बोने के बा'द और ज़ाहिर होने से पहले अदा किया तो अज़्हर (या'नी ज़ियादा ज़ाहिर) येह है कि पेशगी अदा करना जाइज़ नहीं।

(4) फलों के ज़ाहिर होने से पहले दिया तो पेशगी देना जाइज़

नहीं और ज़ाहिर होने के बा'द दिया तो जाइज़ है।

(فتا وی عالمگیر ی ،کتاب الزکاۃ،ج ۱ ،ص ۱۸۶)

मदीना : अगर्चे ज़िक्र की गई बा'ज़ सूरतों में पेशगी उ़श्र अदा करना जाइज़ है लेकिन अफ़्ज़ल येह है कि पैदावार ह़ासिल होने के बा'द उ़श्र अदा किया जाए। (البحرالرائق،کتا ب الزکوۃ، ج۲،ص ۳۹۲)

फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से क्या मुराद है ?

जवाब : इस से मुराद येह है कि खेती इतनी तय्यार हो जाए और फल इतने पक जाएं कि उन के ख़राब होने या सूख जाने वग़ैरा का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने या काटने के क़ाबिल न हुए हों।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने के बा'द फल बेचे तो उ़श्र बेचने वाले पर होगा या ख़रीदने वाले पर ?

जवाब : ऐसी सूरत में उ़श्र बेचने वाले पर होगा।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर

सुवाल : उ़श्र अदा करने में ताख़ीर करना कैसा ?

जवाब : उ़श्र पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जो अह़काम ज़कात की अदाएगी के हैं, वोही अह़काम उ़श्र की अदाएगी के भी हैं। इस लिये बिग़ैर मजबूरी के इस की अदाएगी में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है और उस की शहादत (या'नी गवाही) मक़्बूल नहीं।

(الفتاویٰ الهندیة،کتاب الزکوٰۃ،الباب الاول ،ج۱،ص ۱۷۰)

सुवाल : अगर कोई ड़ुश्र वाजिब होने के बा वुजूद अदा न करे तो क्या करना चाहिये ?

जवाब : जो खुशी से ड़ुश्र न दे तो बादशाहे इस्लाम जब्रन (या'नी ज़बर दस्ती) उस से ड़ुश्र ले सकता है और इस सूरत में भी ड़ुश्र अदा हो जाएगा मगर सवाब का मुस्तहिक़ नहीं और खुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तहिक़ है।

(الفتاوی الهندیه ،کتاب الزکوۃ ،الباب السادس فی زکوۃ الزرع والثمار،ج۱،ص۱۸۵)

मदीना : याद रहे कि ज़बर दस्ती ड़ुश्र वुसूल करना बादशाहे इस्लाम ही का काम है आम लोगों को येह इख़्तियार हासिल नहीं है। ऐसी सूरते हाल में उसे ड़ुश्र अदा करने की तरग़ीब दी जाए और रब तआला की ना राज़गी का एहसास दिलाया जाए। ऐसे लोगों को रिसाला ''ड़ुश्र के अहकाम'' या येह किताब ''फ़ैज़ाने ज़कात'' पढ़ने के लिये तोहफ़तन पेश करना भी बेहद मुफ़ीद होगा, اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ ।

ड़ुश्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल

सुवाल : क्या ड़ुश्र अदा करने से पहले पैदावार इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : जब तक ड़ुश्र अदा न कर दे या पैदावार से ड़ुश्र अलग न कर ले, उस वक़्त तक पैदावार में से कुछ भी इस्ति'माल करना जाइज़ नहीं और अगर इस्ति'माल कर लिया तो उस में जो ड़ुश्र की मिक्दार बनती है उतना तावान अदा करे अलबत्ता थोड़ा सा इस्ति'माल कर लिया तो मुआफ़ है।

(الدرالمختار وردالمحتار، کتاب الزکاۃ،مطلب مهم فی حکم اراضی مصر الخ،ج۳،ص۳۲۱،۳۲۲)

ड़ुश्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

सुवाल : जिस पर ड़ुश्र वाजिब हो और वोह फ़ौत हो जाए और पैदावार भी मौजूद है तो क्या उस में से ड़ुश्र दिया जाएगा ?

जवाब : ऐसी सूरत में अगर पैदावार मौजूद हो तो उस पैदावार में से उ़श्र दिया जाएगा। (الفتاوی الهندیه، کتاب الزکوة،الباب السادس فی زکاة الزرع،ج۱،ص۱۸۵)

उ़श्र में रक़म देना

सुवाल : क्या उ़श्र में सिर्फ़ पैदावार ही देनी होगी या इस की क़ीमत भी दी जा सकती है ?

जवाब : मौजूदा फ़स्ल में से जिस क़दर ग़ल्ला या फल हों उन का पूरा उ़श्र अ़लाहि़दा करे या उस की पूरी क़ीमत (बतौ़रे उ़श्र) दे, दोनों त़रह़ से जाइज़ है। (अल फ़तावल मुस्त़फ़िवय्या, स. 298)

अगर त़वील अ़र्से से उ़श्र अदा न किया हो तो ?

सुवाल : अगर कई साल उ़श्र अदा न किया हो तो क्या किया जाए ?

जवाब : उ़श्र की अ़दमे अदाएगी पर तौबा करे और साबिक़ा सालों के उ़श्र का हि़साब लगा कर ब क़दरे इस्तित़ाअ़त अदा करता रहे।

(माख़ूज़ अज़ अल फ़तावल मुस्त़फ़िवय्या, स. 298)

अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?

सुवाल : अगर ज़राअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद किसी ने फ़स्ल काश्त नहीं की तो क्या इस सूरत में भी उस पर उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : अगर किसी ने ज़राअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद फ़स्ल काश्त नहीं की तो पैदावार न होने की बिना पर उस पर उ़श्र की अदाएगी वाजिब नहीं क्यूं कि उ़श्र ज़मीन पर नहीं उस की पैदावार पर वाजिब होता है।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ ، باب العشر ، ج۳،ص۳۲۳)

फ़स्ल ज़ाएअ़ होने की सूरत में उ़श्र

सुवाल : अगर किसी वजह से फ़स्ल ज़ाएअ़ हो गई तो उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : खेत बोया मगर पैदावार ज़ाएअ़ हो गई मसलन खेती डूब गई या जल गई या सरदी और लू से जाती रही तो इन सब सूरतों में उ़श्र साक़ित़ है, जब कि कुल जाती रही और अगर कुछ बाक़ी है तो उस बाक़ी का उ़श्र लेंगे और अगर जानवर खा गए तो (उ़श्र) साक़ित़ नहीं और (उ़श्र) साक़ित़ होने के लिये येह भी शर्त़ है कि इस के बा'द उस साल के अन्दर उस में दूसरी ज़राअ़त तय्यार न हो सके और येह भी शर्त़ है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित़ नहीं।

(ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، ج۳،ص۳۲۳)

उ़श्र किस को दिया जाए

सुवाल : उ़श्र किसे दिया जाए ?

जवाब : उ़श्र चूंकि खेत की पैदावार की **ज़कात** का नाम है, इस लिये जिन को **ज़कात** दी जा सकती है उन को उ़श्र भी दिया जा सकता है।

(الفتاوی الخانیه، کتاب الزکوۃ،فصل فی العشر فی مایخرجه الارض ،ج۱،ص۱۳۲)

ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

ख़रीफ़ : इस से मुराद मौसिमे गरमा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे गरमा के आग़ाज़ में मार्च ता जून जब कि कटाई मौसिमे गरमा के इख़्तिताम और ख़ज़ां में अगस्त ता नवम्बर होती है।

ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें :

कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, कमाद (या'नी गन्ना) और **सूरज मुखी** ख़रीफ़ की अहम **फ़स्लें** हैं दालों में दाल

मूंग, दाल माश और लौबिया ख़रीफ़ में काश्त होती हैं।

सब्ज़ियां : गर्मियों में कद्दू शरीफ़, टींडा (टिन्डा), करेला, भिन्डी, तूरी, आलू, टमाटर, घियातोरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी शामिल हैं।

फल : मौसिमे गरमा में ख़रबूज़ा, तरबूज़, आम, फ़ालसा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ौबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा शामिल हैं।

रबीअ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

रबीअ़ : इस से मुराद मौसिमे सरमा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे सरमा के आग़ाज़ में अक्तूबर से दिसम्बर तक होती है और कटाई मौसिमे सरमा के इख़्तिताम और मौसिमे बहार में जनवरी ता एप्रिल होती है।

रबीअ़ की अहम फ़स्लें :

रबीअ़ की अहम फ़स्लों में गन्दुम, चना, जव, बरसीम, तूरिया, राई, सरसों और लूसन हैं दालों में मसूर की दाल रबीअ़ की अहम फ़स्ल है।

सब्ज़ियां : इस मौसिम की सब्ज़ियों में फूलगोभी, बन्दगोभी, शल्ग़म, गाजर, चुक़न्दर, मटर, पियाज़, लह्सन, मूली, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के साग और मेथी शामिल हैं।

फल : रबीअ़ के फलों में मालटा, लूकाट, बेर, अमरूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आमलोक (जापानी फल), संग्तरा, पपीता और नारियल शामिल हैं। उ़मूमन शह्द भी रबीअ़ की फ़स्ल के साथ ही ह़ासिल किया जाता है।

सुवाल करने का वबाल

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज कल सुवाल करने में कोई क़बाहत नहीं समझी जाती । अच्छे ख़ासे तन्दुरुस्त लोग भीक मांगते दिखाई देते हैं जो कमा कर ख़ुद भी खा सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं । याद रखिये बिला इजाज़ते शर्ई सुवाल करना ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है ।

(फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 253)

''मुमानअ़त'' के छ हुरूफ़ की निस्बत से सुवाल करने की मज़म्मत के बारे में मदनी आक़ा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के 6 फ़रामीन

(1) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअ़त्तर पसीना, बाइसे नुज़ूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''तुम में से कोई शख़्स सुवाल करता रहेगा यहां तक कि वोह अल्लाह तआ़ला से इस ह़ाल में मुलाक़ात करेगा कि उस के जिस्म पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा ।''

(صحیح مسلم ، کتاب الزکوٰۃ،باب کراھۃالمسألۃ للناس ،الحدیث،۱۰۴۰،ص۵۱۸)

(2) ह़ज़रते सय्यिदुना समुरह बिन जुन्दब رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''सुवाल एक क़िस्म की ख़राश है कि आदमी सुवाल कर के अपने मुंह को नोचता है, जो चाहे अपने मुंह पर इस ख़राश को बाक़ी रखे और जो चाहे छोड़ दे ।''

(سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ،باب ما تجوز فیه المسألۃ،الحدیث۱۶۳۹،ج۲،ص۱۶۸)

(3) ह़ज़रते सय्यिदुना आ़यज़ बिन अ़म्र رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए़ रोज़े शुमार, दो आ़लम के मालिको मुख़्तार, ह़बीबे परवर्द गार صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "अगर लोगों को मा'लूम होता कि सुवाल करने में क्या है तो कोई किसी के पास सुवाल ले कर न जाता।"

(سنن نسائی، کتاب الزکوٰۃ، باب المسألۃ ج۵، ص۹۵)

(4) ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्त़ाने बह़रो बर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जो माल बढ़ाने के लिये सुवाल करता है वोह अंगारे का सुवाल करता है तो चाहे ज़ियादा मांगे या कम का सुवाल करे।"

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب کراھۃ المسألۃ للناس، الحدیث، ۱۰٤۰، ص۵۱۸)

(5) ह़ज़रते सय्यिदुना इब्ने अ़ब्बास رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا से मरवी है कि हुज़ूरे पाक, साहि़बे लौलाक, सय्याहे़ अफ़्लाक صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "जिस पर न फ़ाक़ा गुज़रा न इतने बाल बच्चे हैं जिन की त़ाक़त नहीं रखता और सुवाल का दरवाज़ा खोले, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर फ़ाक़े का दरवाज़ा खोल देगा ऐसी जगह से जो उस के ख़याल में भी नहीं।"

(شعب الایمان، باب فی الزکوٰۃ، فصل فی الاستعفاف عن المسألۃ، الحدیث ۳۵۲٦، ج۳، ص۲۷٤)

(6) ह़ज़रते सय्यिदुना अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا से मरवी है कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के मह़बूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उ़यूब صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने सदक़ा और सुवाल से बचने का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया : "ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला है और नीचे वाला मांगने वाला।"

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب بیان ان الید العلیا...الخ، الحدیث، ۱۰۳۳، ص۵۱۵)

मदनी इल्तिजा

ज़कात अदा करने वाले ख़ुश नसीब इस्लामी भाइयों और बहनों की ख़िदमत में मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि अपनी ज़कात क़रीबी रिश्तेदारों को दें जो ज़कात के मुस्तह़िक़ भी हों या फिर ऐसे मक़ाम पर देने की कोशिश फ़रमाएं जहां न सिर्फ़ इस का देना जाइज़ हो बल्कि येह सदक़ा आप के लिये अ़ज़ीमुश्शान सवाबे जारिया बन सके। इस को यूं समझिये कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहें और दो क़िस्म के कारोबार आप के पेशे नज़र हों :

(1) जिस में एक मर्तबा नफ़्अ़ ह़ासिल होगा फिर मुन्क़त़ेअ़ हो जाएगा।

(2) जिस में नफ़्अ़ का सिल्सिला ता क़ियामत हो।

तो यक़ीनन आप का दिल व दिमाग़ दूसरी क़िस्म के कारोबार के ह़क़ में फ़ैसला देगा। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर तह़रीक दा'वते इस्लामी 36 से ज़ियादा शो'बाजात में मदनी काम कर रही है। बराए करम ! अपनी ज़कात व उ़श्र और सदक़ात व ख़ैरात दा'वते इस्लामी को देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इन्फ़िरादी कोशिश फ़रमा कर उन के ज़कात व उ़श्र और दीगर अ़त़िय्यात **दा'वते इस्लामी** के मदनी मर्कज़ पर पहुंचा कर या किसी ज़िम्मादार इस्लामी भाई को दे कर या मदनी मर्कज़ पर फ़ोन कर के किसी इस्लामी भाई को त़लब फ़रमा कर उन्हें इनायत फ़रमा दीजिये। अल्लाह عَزَّوَجَلَّ आप का सीना मदीना बनाए। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

मदनी मर्कज़ (दा'वते इस्लामी)

फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर, अह़मदआबाद, गुजरात, इन्डिया।

फ़ोन : 84696 05565

दा'वते इस्लामी की झलकियां

अज़ : शैखे़ त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी

ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार

क़ादिरी रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

(1) 66 मुमालिक : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे़ कुरआनो सुन्नत की गै़र सियासी तह़रीक "दा'वते इस्लामी" ता दमे तह़रीर दुन्या के तक़रीबन **66 मुमालिक** में अपना **पैग़ाम** पहुंचा चुकी है। **(2) तब्लीग़ : लाखों बे अ़मल मुसल्मान,** नमाज़ी और **सुन्नतों** के **आ़दी** बन चुके हैं। **(3) मदनी क़ाफ़िले :** आ़शिक़ाने रसूल के सुन्नतों की तरबिय्यत के **बे शुमार मदनी क़ाफ़िले** शह्‌र ब शह्‌र और क़रिया ब क़रिया सफ़र कर के इ़ल्मे दीन और सुन्नतों की बहारें लुटा रहे और नेकी की दा'वत की धूमें मचा रहे हैं। **(4) दारुस्सुन्नह :** मुतअ़द्दद मक़ामात पर दारुस्सुन्नह क़ाइम हैं जिन में दूरो नज़्दीक से इस्लामी भाई आ कर क़ियाम करते, **आ़शिक़ाने रसूल की सोह़बत में सुन्नतों की तरबिय्यत** पाते और फिर कुर्बो जवार में जा कर "नेकी की दा'वत" के मदनी फूल महकाते हैं। **(5) मसाजिद की ता'मीर :** के लिये "मजलिसे खुद्दामुल मसाजिद" क़ाइम है, **मुतअ़द्दद मसाजिद की ता'मीरात** का हर वक़्त सिल्सिला रहता है, कई शहरों में "मदनी मर्कज़ फै़ज़ाने मदीना" की ता'मीरात का काम भी जारी है। **(6) आइम्मए मसाजिद :** बे शुमार मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन और ख़ादिमीन के **मुशाहरे** (तनख़्वाहों) की अदाएगी का भी सिल्सिला है। **(7) गूंगे, बहरे और नाबीना :** इन के अन्दर भी **मदनी काम** हो रहा है और इन के **मदनी क़ाफ़िले** भी सफ़र करते रहते हैं। **(8) इज्तिमाई ए'तिकाफ़ :** दुन्या की बे शुमार मसाजिद में माहे रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन

और **आख़िरी अ़शरह** में इज्तिमाई ए'तिकाफ़ का एहतिमाम किया जाता है। इन में हज़ारहा इस्लामी भाई **इल्मे दीन ह़ासिल करते**, सुन्नतों की तरबिय्यत पाते हैं। नीज़ कई मो'तकिफ़ीन चांदरात ही से आ़शिक़ाने रसूल के साथ सुन्नतों की तरबिय्यत के मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर बन जाते हैं। **(9) इस्लामी बहनों में मदनी इन्क़िलाब :** इस्लामी बहनों के भी शर्ई पर्दे के साथ मुतअ़द्दद मक़ामात पर हफ़्तावार इज्तिमाआ़त होते हैं। **ला ता'दाद बे अ़मल इस्लामी बहनें बा अ़मल, नमाज़ी और मदनी बुर्क़ओं की पाबन्द** हो चुकी हैं। अक्सर घरों के अन्दर इन के तक़रीबन रोज़ाना हज़ारों मदारिस बनाम मद्रसतुल मदीना (बराए बालिग़ात) भी लगाए जाते हैं। **(10) मदनी इन्आ़मात :** इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और तुलबा को फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तह़ब्बात और अख़्लाक़िय्यात का पाबन्द बनाने और मोहलिकात (या'नी गुनाहों) से बचने के लिये मदनी इन्आ़मात की सूरत में एक **निज़ामे अ़मल** दिया गया है। बे शुमार इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और तुलबा मदनी इन्आ़मात के मुत़ाबिक़ अ़मल कर के रोज़ाना सोने से क़ब्ल "**फ़िक्रे मदीना**" या'नी अपने आ'माल का जाएज़ा ले कर कार्ड या पॉकिट साइज़ रिसाले में दिये गए ख़ाने पुर करते हैं। **(11) मदनी मुज़ाकरात :** बसा अवक़ात मदनी मुज़ाकरात के इज्तिमाआ़त का इन्एक़ाद भी होता है जिस में अ़क़ाइदो आ'माल, शरीअ़त व त़रीक़त, तारीख़ो सीरत, त़िबाबत व रूह़ानिय्यत वग़ैरा **मुख़्तलिफ़ मौज़ूआ़त** पर पूछे गए सुवालात के जवाबात दिये जाते हैं। (येह जवाबात खुद अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه देते हैं। **मजलिसे मक्तबतुल मदीना**) **(12) रूह़ानी इलाज और इस्तिख़ारा :** दुख्यारे मुसल्मानों का ता'वीज़ात के ज़रीए़ फ़ी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है नीज़

इस्तिख़ारा करने का सिल्सिला भी है। माहाना कमो बेश डेढ़ लाख मुसल्मान इस से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। **(13) हुज्जाज की तरबिय्यत :** ह़ज के मौसिमे बहार में ह़ाजी केम्पों में **मुल्लिग़ीने दा'वते इस्लामी ह़ाजियों की तरबिय्यत** करते हैं। ह़ज व ज़ियाराते मदीनए मुनव्वरह में रहनुमाई के लिये मदीने के मुसाफ़िरों को **ह़ज की किताबें भी मुफ़्त** पेश की जाती हैं। **(14) ता'लीमी इदारे :** ता'लीमी इदारों मसलन दीनी मदारिस, स्कूल्ज़, कॉलिजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा व तुलबा को मीठे मीठे आक़ा मदीने वाले मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की सुन्नतों से रू शनास करवाने के लिये भी मदनी काम हो रहा है। बे शुमार तुलबा सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में शिर्कत करते हैं नीज़ मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते रहते हैं। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ मुतअ़द्दद दुन्यवी उ़लूम के दिल दादह **बे अ़मल त़ुलबा, नमाज़ी और सुन्नतों के आ़दी** हो गए। छुट्टियों में दीनी तरबिय्यत के लिये **''फ़ैज़ाने क़ुरआनो ह़दीस कोर्स''** की भी तरकीब की जाती है। **(15) जामिअ़तुल मदीना :** कसीर जामिआ़त बनाम ''जामिअ़तुल मदीना'' क़ाइम हैं इन के ज़रीए़ ला ता'दाद इस्लामी भाइयों को (ह़स्बे ज़रूरत क़ियाम व त़आ़म की सहूलतों के साथ) ''दर्से निज़ामी'' (या'नी **आ़लिम कोर्स**) और इस्लामी बहनों को **''आ़लिमा कोर्स''** की मुफ़्त ता'लीम दी जाती है। **(16) मद्रसतुल मदीना :** मुल्क में हि़फ़्ज़ो नाज़िरा के ला ता'दाद मदारिस बनाम **''मद्रसतुल मदीना''** क़ाइम हैं। **(17) मद्रसतुल मदीना (बालिग़ान) :** इसी त़रह़ मुख़्तलिफ़ मसाजिद वग़ैरा में उ़मूमन बा'द नमाज़े इशा हज़ारहा मद्रसतुल मदीना की तरकीब होती है जिन में इस्लामी भाई सह़ीह़ मख़ारिज से हुरूफ़ की दुरुस्त अदाएगी के साथ क़ुरआने करीम सीखते और दुआ़एं याद करते, नमाज़ें वग़ैरा

दुरुस्त करते और सुन्नतों की ता'लीम मुफ़्त ह़ासिल करते हैं। **(18) शिफ़ाख़ाने :** मह़दूद पैमाने पर शिफ़ा ख़ाने भी क़ाइम हैं जहां बीमार तुलबा और मदनी अ़मले का **मुफ़्त इलाज** किया जाता है। ज़रूरतन दाख़िल भी करते हैं नीज़ ह़स्बे ज़रूरत बड़े अस्पतालों के ज़रीए भी इलाज की तरकीब बनाई जाती है। **(19) तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह :** या'नी "मुफ़्ती कोर्स" का भी सिल्सिला है जिस में **मुतअ़द्दद** उ़लमाए किराम **इफ़्ता की तरबिय्यत** पा रहे हैं। **(20) शरीअ़त कोर्स :** ज़रूरिय्याते दीन से रू शनास करवाने के लिये अपनी नौइय्यत का मुन्फ़रिद "शरीअ़त कोर्स" भी शुरूअ़ किया गया है जिस में तमाम शो'बाहाए ज़िन्दगी से तअ़ल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई शिर्कत करते हैं। इस्लामी बहनों में भी येह कोर्स जारी है। इस के लिये दा'वते इस्लामी की "मजलिसे तह़क़ीक़ाते शरइय्या" के मुबल्लिग़ीन उ़लमाए किराम كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی ने बा क़ाइदा एक **ज़ख़ीम** किताब बनाम "निसाबे शरीअ़त (ह़िस्सए अव्वल)" मुरत्तब फ़रमाई है जो कि मक्तबतुल मदीना की तमाम शाख़ों से हदिय्यतन त़लब की जा सकती है। **(21) मजलिसे तह़क़ीक़ाते शरइय्या :** मुसल्मानों को पेश आमदा **जदीद मसाइल** के **ह़ल** के लिये मजलिसे तह़क़ीक़ाते शरइय्या मस्रूफ़े अ़मल है जो कि दा'वते इस्लामी के मुबल्लिग़ीन उ़लमा व मुफ़्तियाने किराम पर मुश्तमिल है। **(22) दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत :** मुसल्मानों के शरई मसाइल के **ह़ल** के लिये **मुतअ़द्दद** "दारुल इफ़्ता" क़ाइम किये गए हैं जहां दा'वते इस्लामी के मुबल्लिग़ीन मुफ़्तियाने किराम, बिल मुशाफ़ा, तह़रीरी और मक्तूबात के ज़रीए शरई मसाइल का ह़ल पेश कर रहे हैं। अक्सर फ़तावा कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कर के दिये जाते हैं। **(23) मक्तबतुल मदीना** और **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या :** इन दोनों इदारों

के ज़रीए सरकारे आ'ला हज़रत और दीगर उ़लमाए अहले सुन्नत की किताबें ज़ेवरे त़ब्अ़ से आरास्ता हो कर लाखों लाख की ता'दाद में अ़वाम के हाथों में पहुंच कर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं। **(24) मजलिसे तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल :** ग़ैर मोह़तात़ कुतुब छापने के सबब उम्मते मुस्लिमा में फैलने वाली गुमराही और होने वाले गुनाहे जारिय्या के सद्दे बाब के लिये "मजलिसे तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल" क़ाइम है जो मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की कुतुबु को अ़क़ाइद, कुफ़्रिय्यात, अख़्लाक़िय्यात, अ़रबी इ़बारात और फ़िक़्ही मसाइल के ह़वाले से मुलाह़ज़ा कर के सनद जारी करती है। **(25) मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ :** मुबल्लिग़ीन की तरबिय्यत के लिये मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ का एहतिमाम किया जाता है मसलन 41 दिन का मदनी क़ाफ़िला कोर्स, 63 दिन का कोर्स, गूंगे बहरों के लिये 30 दिन का कोर्स, इमामत कोर्स और मुदर्रिस कोर्स वग़ैरहुम। **(26) ईसाले सवाब :** अपने मर्हूम अ़ज़ीज़ों के नाम डलवा कर फ़ैज़ाने सुन्नत, नमाज़ के अह़काम और दीगर छोटी बड़ी किताबें तक़्सीम करने के ख़्वाहिश मन्द इस्लामी भाई मक्तबतुल मदीना से राबित़ा करते हैं। **(27) मक्तबतुल मदीना के बस्ते :** शादी बियाह व दीगर ख़ुशी व ग़मी के मवाक़ेअ़ पर अहले ख़ाना की त़रफ़ से मुफ़्त किताबें बांटने के लिये मक्तबतुल मदीना के बस्ते (स्टॉल) लगाए जाते हैं येह ख़िदमत मक्तबे का मदनी अ़मला ख़ुद पेश करता है आप सिर्फ़ राबित़ा फ़रमाएं। **(28) मजलिसे तराजिम :** मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ होने वाले मुख़्तलिफ़ रिसालों के मुख़्तलिफ़ ज़बानों में तराजिम कर के उसे ज़ियादा से ज़ियादा लोगों तक भेजने की तरकीब की जाती है। **(29) इज्तिमाआ़त :** मुल्क में ज़िम्मादारान के दो/तीन दिन के इज्तिमाआ़त मुन्अ़क़िद

किये जाते हैं जिन में हज़ारों ज़िम्मादारान शिर्कत कर के मदनी काम को मज़ीद बेहतर अन्दाज़ में करने का अ़ज़्म कर के लौटते हैं ।

तफ़्सीली मा'लूमात के लिये रिसाला ''दा'वते इस्लामी का तआ़रुफ़'' मक्तबतुल मदीना से हदिय्यतन त़लब कीजिये

क्या ग़ुस्सा ह़राम है ?

अ़वाम में येह ग़लत़ मश्हूर है कि ''**ग़ुस्सा** ह़राम है'' **ग़ुस्सा** एक ग़ैर इख़्तियारी अम्र है, इन्सान को आ ही जाता है, इस में इस का क़ुसूर नहीं, हां **ग़ुस्से** का बे जा इस्ति'माल बुरा है । बा'ज़ सूरतों में **ग़ुस्सा** ज़रूरी भी है मसलन जिहाद के वक़्त अगर **ग़ुस्सा** नहीं आएगा तो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के दुश्मनों से किस त़रह़ लड़ेंगे ।

ماٰخذ ومراجع

(۱)	قرآن مجید	کلام باری تعالیٰ	ضیاء القران
(۲)	کَنْزُالْاِیْمَان فِیْ تَرجَمَۃِالْقُرْاٰن	اعلیٰحضرت امام احمد رضا خان متوفّٰی ۱۳۴۰ھ	ضیاء القران
(۳)	صَحِیْحُ الْبُخَارِی	امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفّٰی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت
(۴)	صَحِیح مُسْلِم	امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری متوفّٰی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم بیروت
(۵)	سُنَن الترمذی	امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی متوفّٰی ۲۸۹ھ	دار الفکر بیروت
(۶)	سُنَنُ اَبِی دَاوٗد	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفّٰی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی
(۷)	سُنَنُ ابنِ ماجۃ	امام ابوعبداللہ محمد بن یزید القزوینی متوفّٰی ۲۷۳ھ	دار الفکر بیروت
(۸)	اَلْمُسْنَدُ لِلاِمامِ اَحْمَد بْنِ حنبل	امام احمد بن حنبل متوفّٰی ۲۴۱ھ	دار الفکر بیروت
(۹)	اَلْمُعْجَمُ الْکَبِیْر	امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفّٰی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث العربی
(۱۰)	اَلْمُعْجَمُ الْاَوْسَط	امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفّٰی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت
(۱۱)	شُعَبُ الْاِیْمَان	امام احمد بن حسین بیہقی متوفّٰی ۴۵۸ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت
(۱۲)	مَجْمَعُ الزَّوَائِد	حافظ نورالدین علی بن ابوبکر ہیثمی متوفّٰی ۸۰۷ھ	دار الفکر بیروت
(۱۳)	اَلتَّرغِیبُ والتَّرهِیب	امام زکی الدین عبدالعظیم المنذری متوفّٰی ۱۱۸۵ھ	دار الفکر بیروت
(۱۴)	المسند لابی یعلیٰ	شیخ الاسلام ابویعلیٰ احمد الموصلی متوفّٰی ۳۰۷ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
(۱۵)	صَحِیْحُ ابْنِ خُزَیْمَۃ	امام الائمہ ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ متوفّٰی ۳۱۱ھ	المکتب الاسلامی بیروت
(۱۶)	مَراسِیْل اَبِیْ دَاوٗد	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفّٰی ۲۷۵ھ	باب المدینہ
(۱۷)	اَلزَّوَاجِر	امام الشیخ ابن حجر مکی متوفّٰی ۹۷۴ھ	دار الحدیث قاھرہ
(۱۹)	مِرْاٰۃُ الْمَنَاجِیْح	مفتی احمد یار خان نعیمی متوفّٰی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن
(۲۰)	اَلدُّرُّ الْمُخْتَار	علامہ علاؤالدین محمد بن علی متوفّٰی ۱۰۸۸ھ	دار المعرفہ بیروت
(۲۱)	ردُّالْمُحتَار	علامہ سید محمد امین بن علی متوفّٰی ۱۲۵۲ھ	دار المعرفہ بیروت
(۲۲)	بَہارِشَرِیعَت	صدرالشریعہ مفتی امجد علی اعظمی متوفّٰی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ
(۲۳)	فتاوٰی فَقِیہِ مِلَّت	جلال الدین امجدی متوفّٰی ۱۴۲۲ھ	
(۲۴)	وَقَارُ الْفَتَاوٰی	علامہ وقارالدین متوفّٰی ۱۴۱۳ھ	بزم وقارالدین
(۲۵)	فَتَاوٰی هِنْدِیه	علامہ ملا نظام الدین متوفّٰی ۱۱۶۱ھ	
(۲۶)	فَتَاوٰی رَضَوِیه	اعلیٰحضرت امام احمد رضا متوفّٰی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن
(۲۷)	فَتَاوٰی امجدیه	مفتی امجد علی اعظمی متوفّٰی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ رضویہ
(۲۸)	فَتَاوٰی فیضُ الرسول	مفتی جلال الدین احمد امجدی	
(۲۹)	فَتَاوٰی سراجیه	علامہ علی بن عثمان سراج الدین	باب المدینہ
(۳۰)	فَتَاوٰی الخانیه	علامہ عالم بن العلاء انصاری متوفّٰی ۷۸۶ھ	باب المدینہ
(۳۱)	حبیب الفتاوٰی	مفتی حبیب اللہ نعیمی	
(۳۲)	بَدَائِعُ الصَّنَائِع	امام علاؤالدین ابوبکر بن مسعود متوفّٰی ۵۸۷ھ	دار احیاء التراث العربی بیروت
(۳۳)	شرح نقایه	امام نورالدین ابوالحسن متوفّٰی ۱۰۱۴ھ	دار ارقم بیروت
(۳۴)	حاشیه الطحطاوی	علامہ احمد بن طحطاوی متوفّٰی ۱۲۳۱ھ	
(۳۵)	غمز عیون البصائر	علامہ احمد بن محمد الحموی متوفّٰی ۱۰۹۸ھ	
(۳۶)	تنویر الابصار	شیخ شمس الدین تمرتاشی متوفّٰی ۱۰۰۴ھ	دار المعرفۃ بیروت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुमे'रात बा'द नमाज़े मग़रिब आप के यहां होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ۞ सुन्नतों की तरबियत के लिये **मदनी क़ाफ़िले** में आ़शिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ۞ रोज़ाना जाएज़ा लेते हुए "नेक आ'माल" का रिसाला पुर कर के हर महीने की पहली को तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा मदनी मक़्सद : "मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ" अपनी इस्लाह़ के लिये रिसाला "**नेक आ'माल**" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**मदनी क़ाफ़िलों**" में सफ़र करना है। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ